लोक सभा वाद-विवाद

पांचवां सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष बैठकें

26 से 30 अगस्त और 1 सितम्बर, 1997

4 से 8 और 10 भाद्र, 1919 (शक)

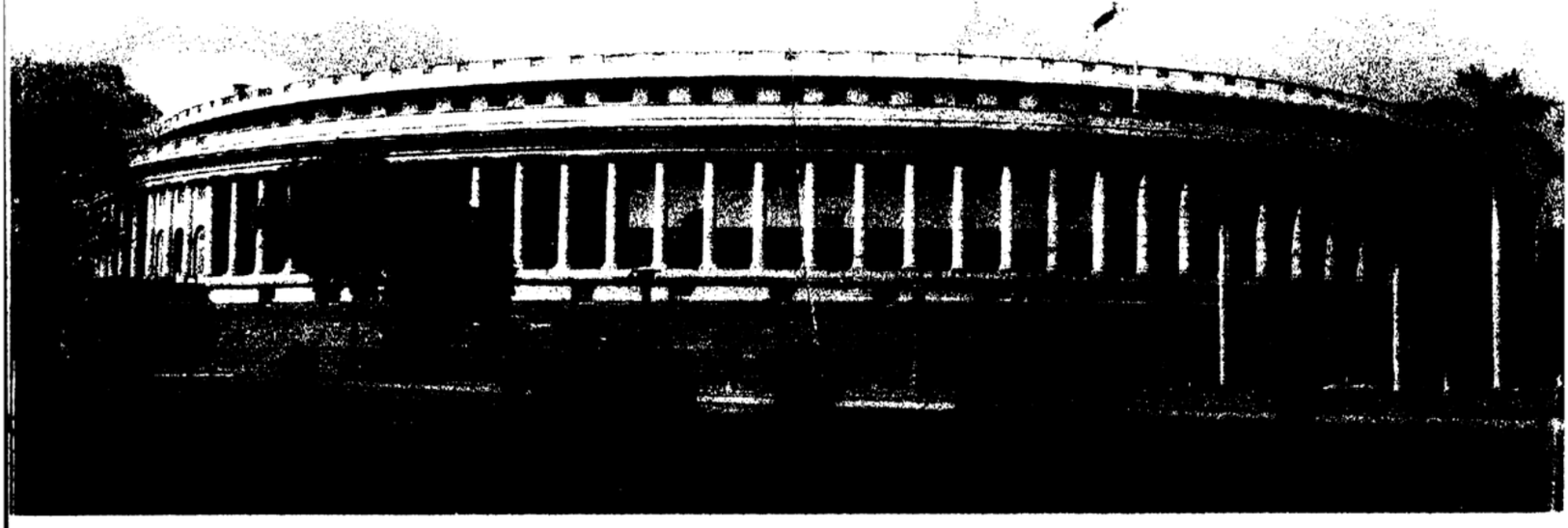

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एकादश माला, खंड 17, अंक 18 से 23

26 से 30 अगस्त और 1 सितम्बर, 1997
4 से 8 और 10 भाद्र, 1919 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष बैठकें

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

(खंड 17 में अंक 18 से 23 हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पाण्डेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री एम. आर. खोसला
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री विद्या सागर शर्मा
वरिष्ठ सम्पादक

श्री हरनाम दास टक्कर
सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्री जगदीश चन्द चौहान
सहायक सम्पादक

श्रीमती ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

मूल्य : 1500 रु./-

© 1999 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित तथा जैनको आर्ट इंडिया, 13/10, डब्ल्यू.ई.ए., सरस्वती मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।

आमुख

देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने लोक सभा के छह दिन के एक विशेष सत्र में भाग लिया और विगत पांच दशकों के दौरान पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने का प्रयास किया। ये क्षेत्र थे, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का कार्यकरण, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, बुनियादी ढांचे का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियां और संभावनाएं तथा मानव विकास की स्थिति।

सभा के इतिहास में पहली बार स्वयं माननीय अध्यक्ष ने चर्चा की शुरूआत की। उन्होंने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 360 के अन्तर्गत सभा को सम्बोधित किया। उन्होंने आजादी की दूसरी लड़ाई छेड़ने का आह्वान किया। उनका विचार था कि इस बार यह लड़ाई ''हमारी समृद्धि और गरीबी के बीच, संसाधन व्यवस्था के प्राचुर्य और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन के अभाव के बीच, शांति और सहनशीलता की हमारी संस्कृति और वर्तमान की हिंसा, असहनशीलता और भेदभाव की ओर बढ़ते हुए झुकाव के बीच हमारे आन्तरिक विरोधाभासों से मुक्ति के लिए होनी चाहिए।'' उन्होंने सदस्यों को आमंत्रित किया कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चर्चा करें। स्वतंत्रता के समय से लेकर अब तक की उपलब्धियों का जायजा लें, कमियों का आत्मलोचन करें और देश के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें।

सभा ने, लोक सभा में सभी दलों और ग्रुपों के नेताओं की ओर से, विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचार किया। यह प्रस्ताव लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 342 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था।

लोक सभा सचिवालय ने इस अवसर पर चर्चा को सुगम बनाने हेतु ''भारतीय संसदीय लोकतंत्र के पचास वर्ष'' नामक एक वृहत सन्दर्भ दस्तावेज प्रकाशित किया।

सभा की इन विशेष बैठकों से कई कीर्तिमान स्थापित हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि सभा का विशेष सत्र केवल एक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। सभा ने इस प्रस्ताव पर 64 घन्टे और 29 मिनट चर्चा की जोकि अपने आप में एक रिकार्ड है। इस चर्चा में माननीय अध्यक्ष, प्रधान मंत्री और 9 मंत्रियों सहित सभा के 209 सदस्य बोले। चूंकि समयाभाव के कारण बोलने के इच्छुक सभी सदस्यों को मौका दिया जाना संभव नहीं था, इसलिए 5 मंत्रियों सहित 103 सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे। इस चर्चा में कुल 312 सदस्यों ने भाग लिया जो सभा की कुल सदस्य संख्या (545) का 57.25 प्रतिशत था। सभापति तालिका के सदस्य श्री पी.सी. चाक्को ने 31 अगस्त, 1997 को 00.30 बजे से लेकर प्रात: 08.24 बजे तक लगातार 7 घन्टे 54 मिनट सभा में पीठासीन होकर नया इतिहास रचा।

चर्चाओं के दौरान सौहार्दपूर्ण तथा व्यवस्थित वातावरण बना रहा जो अपने आप में एक मिसाल है।

सभा ने इस ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया जिसमें ''भारत के लिए कार्यसूची'' की रूपरेखा दी गई है।

लोक सभा सचिवालय ने इन बैठकों की कार्यवाहियों को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में अलग-अलग विशेष खण्ड के रूप में प्रकाशित किया है।

मुझे आशा है कि इसके हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सांसदों, इतिहासकारों, विद्वानों, शोधकर्ताओं और हमारे संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए सन्दर्भ-ग्रन्थ सिद्ध होंगे।

नई दिल्ली;
अक्तूबर, 1997
आश्विन, 1919 (शक)

एस. गोपालन,
महासचिव

विषय सूची

[एकादश माला, खंड 17, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)]

अंक 18, मंगलवार, 26 अगस्त, 1997/4 भाद्र, 1919 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1
सभा के कार्य के बारे में घोषणा	2
अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन	3
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	16–25
श्री माधवराव सिंधिया	25–35
श्री शरद यादव	36–47
श्री सोमनाथ चटर्जी	47–55
श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे	55–60
श्री चतुरानन मिश्र	60–69
श्री जगमोहन	69–76
श्री पी.आर. दासमुंशी	76–85
श्री चित्त बसु	85–90
श्री पी. कोदंड रमैया	90–95
श्री जार्ज फर्नान्डीज	95–107
श्री मेजर सिंह उबोक	107–113
श्री अनंत कुमार	113–117
डा. गिरिजा व्यास	117–122

अंक 19, बुधवार, 27 अगस्त, 1997/5 भाद्र, 1919 (शक)

निधन संबंधी उल्लेख	123
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव–*जारी*	
डा. गिरिजा व्यास	123–126
श्री चन्द्रशेखर	126–137
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	137–142
श्री सुन्दर लाल पटवा	142–149
श्री शरद पवार	150–158
श्रीमती गीता मुखर्जी	158–162
कर्नल राव राम सिंह	162–167
श्री कांशी राम	168–176
कुमारी ममता बनर्जी	177–185
श्री एन.वी.एन. सोमू	186–189
श्री जी.जी. स्वैल	190–194
डा. एम. जगन्नाथ	194–197
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	197–204
श्री नीतीश कुमार	205–212

विषय	कालम
श्री संतोष कुमार गंगवार	213–218
श्री एन.एस.वी. चित्यन	219–225
श्री सैयद मसूदल हुसैन	225–228
श्री अनंत गंगाराम गीते	229–232
श्री नवल किशोर शर्मा	232–240
श्री राम कृपाल यादव	240–245
डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा	245–250
श्री लाल बिहारी तिवारी	250–253
श्री मनोरंजन भक्त	253–260

अंक 20, गुरुवार, 28 अगस्त, 1997/6 भाद्र, 1919 (शक)

सभा के कार्य के बारे में घोषणा	261
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव – *जारी*	
श्री पी.वी. नरसिंह राव	262–275
श्रीमती सुषमा स्वराज	276–286
श्री मुलायम सिंह यादव	287–305
श्री सुरेन्द्र सिंह	306–311
श्री शिवराज वी. पाटिल	312–330
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	331–348
श्री सत्यदेव सिंह	349–361
श्री कमरूल इस्लाम	361–367
श्री ई. अहमद	367–373
श्री शिबु सोरेन	374–377
डा. अरविन्द शर्मा	377–380
कुमारी उमा भारती	380–389
श्रीमती संध्या बौरी	390–393
श्रीमती मीरा कुमार	394–399
श्रीमती वसुन्धरा राजे	400–403
श्री पीताम्बर पासवान	404–407
श्री एल. बालारमन	407–412
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	412–415
श्रीमती रजनी पाटिल	415–419
श्री इलियास आजमी	419–425
श्री नवीन पटनायक	426–429
श्री सतपाल महाराज	429–431
श्री चमन लाल गुप्त	432–435
श्री सुरेश प्रभु	435–442
श्री सनत मेहता	442–448
श्री नील एलायसियस ओ'ब्रायन	448–450
श्री मानवेन्द्र शाह	450–454
डा. देवी प्रसाद पाल	454–459
श्री बादल चौधरी	460–464
श्री के.एस. रायुडू	464–470

विषय	कालम
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	470–474
श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण	475–479
श्री बृज भूषण तिवारी	479–482
डा. राम विलास वेदान्ती	482–485
श्री आर. ज्ञानगुरुस्वामी	485–488
प्रो. पी.जे. कुरियन	488–493
डा. जयन्त रंगपी	493–497
श्री आई.डी. स्वामी	498–502
श्री नारायण आठवले	503–505
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	506–508
श्री एस.के. कारवेंधन	508–510
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	511–514
श्री दिलीप सिंह भूरिया	514–516
प्रो. ओम पाल सिंह ''निडर''	517–522
श्री शिवानन्द एच. कौजलगी	523–524
श्री हंसराज अहीर	525–526
प्रो. आर.आर. प्रामानिक	527–531
श्री रमेश चेन्नित्तला	531–535
श्री पुण्डलिकराव रामजी गवाली	536–537
श्री लालमुनी चौबे	537–542
श्री सुकदेव पासवान	543–545
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	546–551
श्री डी.पी. यादव	552–554
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	555–558
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल	559–561
श्री मंगत राम शर्मा	561–564

अंक 21, शुक्रवार, 29 अगस्त, 1997/7 भाद्र, 1919 (शक)

सभा के कार्य के बारे में घोषणा	565
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव–*जारी*	
श्री राम विलास पासवान	567–577
डा. मुरली मनोहर जोशी	578–597
श्रीमती शारदा टाडीपारथी	597–600
श्री एस. बंगारप्पा	601–607
श्री तरित वरण तोपदार	607–613
श्री बेनी प्रसाद वर्मा	613–619
प्रो. रीता वर्मा	619–630
श्री पी. उपेन्द्र	631–639
श्री मोहम्मद मकबूल डार	640–645
श्री वी.वी. राघवन	646–650
श्री भक्त चरण दास	651–654
श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता	655–658
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	659–664
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	664–669
डा. के.पी. रामलिंगम	670–671

विषय	कालम
श्री समीक लाहिड़ी	672–675
श्री सत महाजन	675–679
श्री आनन्द मोहन	679–682
श्री ओ.पी. जिन्दल	683–685
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल	685–688
श्री मोहन सिंह	689–691
श्री ए.सी. जोस	691–695
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	695–698
श्री चन्द्रभूषण सिंह	699–701
श्री अनादि चरण साहू	702–706
श्री सी. नारायण स्वामी	706–710
श्री के.डी. सुल्तानपुरी	711–714
श्री पी.एस. गढ़वी	715–720
कुमारी सुशीला तिरिया	720–723
श्री सत्य पाल जैन	724–725
श्री के.एच. मुनियप्पा	725–728

अंक 22, शनिवार, 30 अगस्त, 1997/8 भाद्र, 1919 (शक)

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव–*जारी*

श्री देवेन्द्र बहादुर राय	729–737
श्री अब्दुल रहमान अन्तुले	737–751
श्री मधुकर सरपोतदार	751–762
श्री रूपचन्द पाल	762–769
श्री जोआचिम बक्सला	769–771
श्री सोहन वीर सिंह	772–781
श्री राजेश पायलट	781–790
श्री राजाभाऊ ठाकरे	791–797
डा. अरुण कुमार शर्मा	798–805
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	805–810
श्री पी.सी. चाक्को	811–816
श्री राम टहल चौधरी	816–820
श्री ए. सम्पत	820–827
श्री पी.सी. थामस	828–835
श्री उत्तम सिंह पवार	838–838
श्री इन्द्रजीत गुप्त	838–842
श्री नकली सिंह	842–846
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	847–852
श्री नवल किशोर राय	852–855
श्रीमती हैडविग माइकेल रीगो	855–856
श्री सुख राम	857–860
श्री हरिन्दर सिंह खालसा	860–862
श्री अजय चक्रवर्ती	863–865
श्री बुद्धसेन पटेल	866–868
श्री अमर रायप्रधान	869–871

विषय	कालम
श्री मनोज कुमार सिन्हा	872–876
श्री सुरेश कलमाडी	877–881
श्री सी. नरसिम्हन	881–884
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	885–888
श्री वी. प्रदीप देव	888–890
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	891–896
श्री पी. षण्मुगम	896–900
*श्री प्रदीप भट्टाचार्य	900–901
श्री सुरेश आर. जाधव	901–905
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	905–913
श्री लक्ष्मण सिंह	913–916
डा. शफीकुर्रहमान बर्क	916–920
*श्री किशन लाल दिलेर	921–922
*श्री मोहन रावले	923–933
श्री गंगा चरण राजपूत	934–939
*श्री विजय गोयल	940–943
श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा	944–948
श्री कृष्ण	948–952
*श्री के. परसुरामन	953–955
चौधरी रामचन्द्र बैंदा	955–958
*श्री महेन्द्र बैठा	959–960
*श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा	960–962
डा. रामचन्द्र डोम	963–966
राजकुमारी रत्ना सिंह	966–968
श्री पी. नामग्याल	969–971
श्री एल. रमना	972–975
*श्री वीरेन्द्र कुमार	975–978
श्रीमती कमल रानी	978–981
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका	982–983
श्रीमती भावना बेन देवराजभाई चिखलिया	983–985
श्री विजय हाण्डिक	986–989
*श्री अशोक प्रधान	989–997
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल	997–999
डा. रामकृष्ण कुसमरिया	999–1003
*श्री चन्द्रेश पटेल	1003–1005
श्री दत्ता मेघे	1005–1009
श्री तिलक राज सिंह	1009–1012
श्री राजीव प्रताप रूडी	1012–1017
श्री के.सी. कोंडय्या	1017–1020
श्री हन्नान मोल्लाह	1021–1025
*श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्त	1025–1028
श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर	1028–1031
लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी	1032–1035
श्री शरत पटनायक	1036–1039
प्रो. अजित कुमार मेहता	1039–1043
डा. रमेश चन्द तोमर	1043–1045

विषय	कालम
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	1046–1050
डा. वल्लभभाई कथीरिया	1050–1054
श्री रामबहादुर सिंह	1055–1057
डा. बी.एन. रेड्डी	1058–1061
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	1061–1065
श्री राजू राणा	1065–1067
श्री सौम्य रंजन	1068–1072
श्री राधा मोहन सिंह	1072–1076
श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी	1076–1077
श्री अंचल दास	1078–1080
डा. राम लखन सिंह	1081–1085
श्री पवन सिंह घाटोवार	1085–1088
श्री रामशकल	1089–1091
श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा	1091–1093
श्री आर.एल.पी. वर्मा	1093–1096
श्री नन्दकुमार सिंह चौहान	1097–1099
श्री सुरेन्द्र यादव	1100–1103
डा. अमृत लाल भारती	1104–1106
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	1106–1110
श्री शिवराज सिंह	1110–1116

अंक 23, सोमवार, 1 सितम्बर, 1997/10 भाद्र, 1919 (शक)

निधन संबंधी उल्लेख	1117
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव - *जारी*	
*श्री धीरेन्द्र अग्रवाल	1118–1121
*श्री सनत कुमार मंडल	1121–1123
*वैद्य दाऊ दयाल जोशी	1123–1125
*श्री के.एस.आर. मूर्ति	1125–1135
*श्री जी.ए. चरण रेड्डी	1135–1139
*श्री आर. साम्बासिवा राव	1140–1142
*श्री पुन्नू लाल मोहले	1143–1145
*श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	1145–1149
*श्रीमती पूर्णिमा वर्मा	1150–1154
*श्री लुई इस्लेरी	1154
*श्री हरिवंश सहाय	1155–1156
*जस्टिस गुमान मल लोढा	1156–1157
*श्री श्रीकान्त जेना	1158–1165
*श्री पवन दीवान	1165–1168
*श्री टी. गोपाल कृष्ण	1168–1169
*श्री हरिन पाठक	1169–1170
*श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह	1171–1172
*श्री पी.एम. सईद	1172–1177
*प्रो. रासा सिंह रावत	1177–1179

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विषय	कालम
*श्रीमती सुभावती देवी	1179–1180
*श्री सुखलाल कुशवाहा	1180–1182
*श्री एस.पी. जायसवाल	1182–1185
*श्री विश्वेश्वर भगत	1186–1188
*श्रीमती रत्नमाला डी. सवानूर	1189–1193
*डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	1193–1195
*श्री सिद्दय्या कोटा	1195–1197
*श्री जसवंत सिंह	1198–1204
*श्रीमती कान्ति सिंह	1204–1208
*डा. सी. सिल्वेरा	1209–1210
*श्री संतोष मोहन देव	1211–1217
*श्री के.पी. सिंह देव	1217–1224
*श्री आनन्द रत्न मौर्य	1224–1225
*श्री येल्लैया नंदी	1225–1230
*श्री मृत्युंजय नायक	1230–1233
*श्री भगवान शंकर रावत	1233–1236
*चौधरी तेजवीर सिंह	1236–1238
*श्री अनिल कुमार यादव	1239–1240
*श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला	1241–1242
*श्री बीर सिंह महतो	1243–1244
*श्रीमती केतकी देवी सिंह	1244
*श्रीमती सुमित्रा महाजन	1245–1246
*श्री छतर सिंह दरबार	1247–1248
*श्री जगतवीर सिंह द्रोण	1248–1250
*श्री अशोक शर्मा	1250–1251
*श्री प्रह्लाद सिंह	1251–1253
*डा. सत्यनारायण जटिया	1253–1255
*श्री एम. कमालुद्दीन अहमद	1256–1258
*श्री निहाल चन्द चौहान	1258–1260
*श्री कल्लप्पा आवाडे	1260–1261
*श्री विद्यासागर सोनकर	1262–1263
*श्री साई प्रताप अन्नाय्यागरी	1263–1265
*कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	1266–1275
*श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1275–1276
*श्री गिरधारी लाल भार्गव	1276–1277
*स्वामी सच्चिदानन्द साक्षी	1277–1279
*कुमारी शैलजा	1279–1284
*श्री टी.आर. बालू	1284–1288
*श्रीमती उषा मीणा	1288–1289
*श्री जयसिंह चौहान	1289–1290
*श्री दादा बाबूराव परांजपे	1291–1294
*श्री देवी बक्स सिंह	1294–1296
*श्री नन्द कुमार साय	1296–1297
*श्री कृष्ण लाल शर्मा	1298–1300

*भाषण सभा पटल पर रखे गए।

विषय	कालम
*श्री श्याम बिहारी मिश्र	1300–1302
*श्री भेरूलाल मीणा	1302–1304
*श्री छत्रपाल सिंह	1305–1306
*श्री माणिकराव होडल्या गावीत	1307–1309
*श्री चित्रसेन सिंकु	1309–1310
*श्री राममूर्ति सिंह वर्मा	1310–1311
*श्री श्रीराम चौहान	1311–1314
*श्री पद्मसेन चौधरी	1314–1315
*श्री चुन चुन प्रसाद यादव	1315–1317
*श्री ऑस्कर फर्नान्डीज	1317–1319
*श्री अशोक अर्गल	1319–1321
*श्री सौडे रमैया	1322–1324
*श्री अनिल बसु	1324–1325
*श्री नरेन्द्र बुडानिया	1326–1330
*श्री लाल बाबू प्रसाद यादव	1330–1331
*श्रीमती फूलन देवी	1331–1332
*श्रीमती शीला गौतम	1332–1334
*मुहम्मद शहाबुद्दीन	1334–1337
*श्री परसराम मेघवाल	1337
*श्री राजकेशर सिंह	1338–1339
*श्री गिरधारी यादव	1339–1341
*श्री मुनिलाल	1341–1343
*श्री तसलीमुद्दीन	1344–1345
*श्री विनय कटियार	1345–1347
*श्री छीतुभाई गामीत	1347–1350
*श्री वी. धनन्जय कुमार	1350–1351
*श्रीमती भगवती देवी	1351–1353
*कर्नल सोनाराम चौधरी	1353–1355
*श्री नामदेव दिवाथे	1356–1357
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	1357–1363
श्री धर्मभिक्षम	1363–1365
श्री सोमजीभाई डामोर	1365–1369
डा. बलिराम	1369–1372
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	1372–1378
**श्री इन्द्र कुमार गुजराल	1379–1404
विदाई उल्लेख	1404–1406
स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर "भारत के लिए कार्यसूची" के बारे में संकल्प—*स्वीकृत*	1406–1410
राष्ट्र गीत—राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई	1410
अनुबंध – *संकल्प, लोक सभा सदस्यों के हस्ताक्षर सहित*	1411–1453
अनुक्रमणिका	1455–1474

*भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ लिखित अंश भी सभा पटल पर रखे।

लोक सभा

मंगलवार, 26 अगस्त, 1997/4 भाद्र, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे सहयोगी श्री द्वारका नाथ दास के दु:खद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री द्वारका नाथ दास वर्तमान लोक सभा में असम के करीमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने वर्ष 1991 से 1996 तक दसवीं लोक सभा के दौरान भी इसी निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

पेशे से शिक्षक, श्री द्वारका नाथ दास ने अपने पैतृक जिले में एक स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में सेवा की।

एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, श्री दास ने दक्षिण असम की बाराक घाटी के सामाजिक-आर्थिक विकास में काफी योगदान दिया। शिक्षा, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र में उनकी विशेष रुचि थी।

एक सक्रिय सांसद के रूप में वे पेट्रोलियम तथा रसायन संबंधी स्थायी समिति तथा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति के सदस्य रहे। वे वर्ष 1994-96 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य भी रहे।

श्री द्वारका नाथ दास का 68 वर्ष की आयु में 18 अगस्त, 1997 को कलकत्ता में निधन हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने में यह सदन मेरे साथ है।

सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे

पूर्वाह्न 11.04 बजे

सभा के कार्य के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, हमें गर्व है कि हम अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती मनाने के उद्देश्य से लोक सभा के विशेष सत्र के लिए यहां एकत्र हुए हैं।

जैसा कि आप को जानकारी है, मैंने विशेष सत्र के दौरान की जाने वाली चर्चा की रूपरेखा के बारे में दलों तथा ग्रुपों के नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा की है। अन्तत: आज की कार्य सूची में शामिल प्रस्ताव पर चर्चा करने का निर्णय किया गया। यह भी निर्णय किया गया कि विशेष सत्र के दौरान कोई औपचारिक कार्य नहीं किया जायेगा।

माननीय सदस्यगण इसकी सराहना करेंगे कि यह प्रस्ताव व्यापक अर्थों में तैयार किया गया है तथा इसका क्षेत्र व्यापक है। मैं चर्चा के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं करूंगा लेकिन सभा के सभी वर्गों से मेरा यह अनुरोध है कि प्रत्येक सदस्य के लिए प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर बोलना आवश्यक नहीं होगा।

उपलब्ध समय के भीतर सार्थक चर्चा करने के लिए यह अच्छा होगा कि सदस्य बोलते समय प्रस्ताव में शामिल विषयों में से केवल एक विषय पर ध्यान केन्द्रित करें, जिसमें उसकी विशेष रुचि हो। मेरे विचार से, ऐसा करने से पुनरावृत्ति न्यूनतम होगी और साथ ही चर्चा में अधिक से अधिक सदस्यों को भाग लेने का अवसर मिलेगा।

मैं सभा को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि नेताओं के साथ बैठकों के दौरान यह भी निर्णय किया गया था कि इस प्रस्ताव पर चर्चा दलीय आधार पर न हो। अत: रचनात्मक आलोचना के साथ स्वतंत्र तथा निसंकोच अभिव्यक्ति तथा जहां कहीं आवश्यक हो वहां प्रशंसा तथा सुधार के लिए ठोस सुझाव दें और चर्चा को और अधिक सार्थक बनाएंगे। सीमित उपलब्ध समय के भीतर यथा संभव सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए नेताओं की बैठक में यह सहमति हुई है कि प्रत्येक सदस्य के लिए समय-सीमा दस मिनट होगी। तथापि, नेताओं को अधिक समय दिया जायेगा। सुबह यह निर्णय लिया गया कि श्री वाजपेयी जो कि प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, उन्हें छोड़कर प्रत्येक

राजनैतिक दल के नेताओं को बीस-बीस मिनट समय दिया जायेगा। श्री वाजपेयी के लिए मैं कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करना चाहता। अन्य सदस्यों को दस मिनट का समय दिया जायेगा।

मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे समय-सूची का पालन करें। विशेष सत्र की समस्त कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। यह निर्णय लिया गया है कि सभा का भोजनावकाश अपराह्न 1 बजे के स्थान पर अपराह्न 1.35 बजे से 2.35 बजे तक होगा ताकि प्रतिदिन 2 बजे से 2.35 बजे तक प्रसारित होने वाले हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू समाचार बुलेटिन के प्रसारण में बाधा न पड़े। आज यह भी निर्णय किया गया है कि सभा की बैठक प्रति दिन एक घंटा अधिक अर्थात् अपराह्न 7 बजे तक होगी ताकि अधिक सदस्य इसमें भाग ले सकें। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस अवसर की गरिमा बढ़ाने के लिए विशेष सत्र के दौरान सभा की प्रतिष्ठा और मर्यादा को बनाये रखना हम सभी का कर्त्तव्य बनता है।

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। सचिवालय ने एक दस्तावेज, ''संसदीय लोकतंत्र के पचास वर्ष'' वितरित किया है। इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक तैयार किया गया है तथा यह बहुत ही जानकारीपूर्ण है। यह इन चार दिन में वाद-विवाद की सर्वोत्तम स्वर शैली की स्थापना करेगा। मैं सुझाव देता हूं कि यह दस्तावेज सभा पटल पर रखा जाये ताकि यह कार्यवाही का भाग बन सके।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, यह आवश्यक नहीं है, यह पहले ही वितरित किया जा चुका है। यह केवल पृष्ठभूमि दस्तावेज है।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

श्री पूर्णो ए. संगमा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में अध्यक्ष के रूप में यह मेरा पहला भाषण है और मुझे विश्वास है कि इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा।

माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे पीठासीन अधिकारी के पद पर रहते हुए इस सभा के इतिहास में पहली बार वक्ता की हैसियत से बोलने का अधिकार प्रदान किया है।

हम अपनी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोहों की एक कड़ी के रूप में आयोजित इस विशेष सत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् की अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करने, अपनी कमियों का आत्मविश्लेषण करने तथा भविष्य के लिए अपनी कार्यसूची तैयार करने हेतु एकत्रित हुए हैं।

राजनीतिक जीवन

लोकप्रिय चुनाव और लोकतंत्र का स्थायित्व

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे यहां अब तक ग्यारह आम चुनाव तथा राज्यों के 300 से अधिक बार चुनाव हुए हैं। अनुवर्ती सरकार को सत्ता का अंतरण सुगमतापूर्वक तथा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे अनेक देशों में जहां सत्ता परिवर्तन प्राय: सैनिक विद्रोहों और क्रांतियों के माध्यम से हुआ। इसलिए, हम एक सच्चा लोकतांत्रिक देश होने पर गर्व कर सकते हैं। 1952 के पहले आम चुनावों में हुए 45 प्रतिशत मतदान की तुलना में 1984 के बाद के आम चुनावों में औसतन लगभग 60 प्रतिशत हुए मतदान से हमारी जनता की बढ़ती हुई राजनीतिक जागरूकता का पता चलता है। हमारी लोकतंत्र की शैली ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि राजनीतिक जागरूकता के लिए साक्षरता जरूरी नहीं है।

सभा का कार्य संचालन

यद्यपि वयस्क मताधिकार हमारे यहां अत्यधिक सफल रहा है, तथापि हमारे कार्य संचालन के बारे में इस लोकप्रिय सभा के पीठासीन अधिकारी के नाते मुझे जन सामान्य से जो संकेत मिल रहे हैं उनसे लगता है कि आमतौर से लोगों में अत्यधिक जागरूकता है। सभा में बार-बार होने वाले शोरगुल, पीठासीन अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने हेतु सदस्यों द्वारा एक साथ अपने स्थान पर खड़े होने, अध्यक्षपीठ के आसन के समीप बार-बार जाने, आपस में बातचीत करने तथा सदस्यों द्वारा बीच में टोका-टाकी करने के कारण उत्पन्न होने वाले व्यवधानों आदि के प्रति जन सामान्य में भारी रोष है तथा वे यह महसूस करते हैं कि संसद पर लगभग सात हजार रुपये प्रति मिनट खर्च होने वाली राशि एक ऐसा महंगा व्यय है जिसे हमारा देश कतई वहन नहीं कर सकता है। यह बात समझ में आती है कि ग्यारहवीं लोक सभा का स्वरूप पिछली लोक सभाओं से इस दृष्टि से भिन्न है कि इसके अधिकांश सदस्य अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में सही मायने में भूमिपुत्र हैं तथा इस सभा में पहली बार चुनकर आये हैं और इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अपने क्षेत्र की जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आतुर हैं। इसीलिये, वे अति उग्र एवं मुखर हैं। इस संबंध में

हमारे राजनीतिक दलों को एक अहम भूमिका निभानी है। उन्हें इस सभा के सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए चुनाव-पूर्व प्रशिक्षण आयोजित करने की जरूरत है।

उत्तरदायिता

संसद और कार्यपालिका के बीच संबंध, मोटे तौर पर आपसी समझ-बूझ पर आधारित और परस्पर परिपूरक रहे हैं। फिर भी हाल ही में लोगों में ऐसी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि वे बहुत बड़ी संख्या में जनहित याचिकाओं के माध्यम से लोक सेवकों के विरुद्ध अपनी शिकायतों के मुद्दों को न्याय निर्णयन हेतु न्यायालयों में लाने लगे हैं। भारतीय विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों ने पिछले वर्ष के अंत में एक विचार-गोष्ठी में इस मुद्दे पर विचार किया था। उन्होंने पाया कि इस समस्या का मूल कारण उत्तरदायिता से संबंधित है। मैं उनकी टिप्पणी को यहां उद्धृत करता हूं, ''सिविल सेवा की राजनैतिक कार्यपालिका के प्रति, राजनैतिक कार्यपालिका की विधायिका के प्रति तथा विधायिका की जनता के प्रति उत्तरदायिता की कड़ी पूरी तरह टूट गई है। इन सभी स्तरों पर उत्तरदायिता बहाल की जानी चाहिए।'' इसलिए, हम मिलजुल कर उत्तरदायिता को अपनी कार्य-शैली का एक अंग बनाते हुए इसे बहाल करने में जुट जाएं।

सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और आदर्श

सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी तथा आदर्श भी उत्तरदायिता से जुड़ा एक मुद्दा है। यह केवल राजनैतिक क्षेत्र की ही समस्या नहीं है, बल्कि सिविल सेवकों, व्यावसायिकों, सार्वजनिक पदधारकों तथा गैर-सरकारी संगठनों सहित उन सभी से जुड़ी हुई है जो इनके संपर्क में आते हैं। व्यापार जगत भी इस समस्या से अछूता नहीं है। इस संबंध में सक्रियतापूर्वक पहल करने वाले सदस्यों का एक ग्रुप इस मुद्दे पर अभी भी विचार कर रहा है। मेरा सुझाव है कि ''सार्वजनिक पदधारक'' की परिभाषा को और व्यापक बनाया जाना चाहिए, जैसाकि ब्रिटिश संसद के लार्ड नोलान ने अपनी अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की है जो हाउस ऑफ कामन्स को प्रस्तुत की गई थी। इस परिभाषा की परिधि में आने वाले लोगों के दोषपूर्ण व्यवहार को रोकने के लिए निर्माण की जाने वाली व्यवस्था के माध्यम से अपने-अपने कार्य क्षेत्र में उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और आदर्श का अपना महत्व है और साथ ही लोगों में विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए भी इनकी जरूरत है। विश्वसनीयता तभी पैदा होगी जब हम अपनी कथनी को अपने आचरण में भी उतारेंगे। लोक पदधारकों के पूरे वर्ग को अवमानित करने के बजाए सम्यक् कानूनी प्रक्रिया से कुछेक दोषी लोक पदधारकों के विरुद्ध सफलतापूर्वक अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने और लोकपाल विधेयक अधिनियम जैसी कार्यवाहियों से न केवल विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी बल्कि इससे अपना संपूर्ण जीवन नि:स्वार्थ भाव से जनसेवा के लिए समर्पित करने वाले अपने अधिकांश नेताओं के प्रति भी हम न्याय कर पायेंगे।

इस समस्या के समाधान के लिए हमें इसके मूल में जाना होगा। दोषपूर्ण व्यवहार के लिए दंडात्मक कार्यवाही करना कार्योपरांत की गई कार्यवाही के समान है। भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने, जिसके संबंध में मैंने पहले भी उल्लेख किया है, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राजनैतिक दलों को यह परामर्श दिया था कि वे अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय, उनके पूर्ववृत्त, उनकी शिक्षा तथा उनके प्रशिक्षण को ध्यान में रखें। उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर भी जोर दिया था कि लोगों को भी अपने मताधिकार का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए तथा विधायी निकायों में उन्हीं उम्मीदवारों को विजयी बनाकर भेजना चाहिए जो अपनी सत्यनिष्ठा और जन सेवाओं में रुचि के लिए जाने जाते हों। राजनैतिक दलों को भी इस संबंध में मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए आगे आना होगा क्योंकि मतदाताओं को संगठित करना उनका मुख्य कार्य है।

सामाजिक शान्ति, हिंसा और विद्रोह

सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु सामाजिक शान्ति एक बुनियादी आवश्यकता है। महात्मा गांधी, जिन्हें पूरे विश्व में ''अहिंसा मूर्ति'' के रूप में जाना जाता है, के नेतृत्व में अहिंसा द्वारा अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद आज हमारे देश में अनेक भागों में हिंसा, आतंकवाद, विद्रोह तथा सामाजिक तनाव उभर रहे हैं। हमें गंभीर आत्म-निरीक्षण करने व इस समस्या की तह तक पहुंचने, इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले तत्वों की पहचान करने तथा उनका सफाया करने की आवश्यकता है। देश की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षाओं से पता चलता है कि इन प्रवृत्तियों के पनपने के निम्नलिखित कारण हैं:—

- जातियों, समुदायों और धर्म के आधार पर सामाजिक अलगाव।
- आर्थिक अलगाव जो बेरोजगारी, अल्प-रोजगार, आय के असमान वितरण, गरीबी तथा शोषण के कारण होता है।
- क्षेत्रीय आकांक्षाओं को नकारने के कारण उत्पन्न राजनैतिक अलगाव।
- जातीय प्रबंधन में पर्याप्त संवेदनशीलता का अभाव।
- युवाओं की हताशा के कारण उत्पन्न राजनैतिक अतिवादिता।
- सार्वजनिक जीवन अर्थात् प्रशासन में पदों पर आसीन व्यक्तियों के जीवन में आदर्शों में स्पष्ट गिरावट।
- सीमा-पार से तोड़-फोड़ की कार्यवाही।
- स्वदेश छोड़ कर अन्य देशों में चले गये लोगों का मोहभंग।

- राज्य के अधिकारों का प्रयोग करने वालों द्वारा की जा रही ज्यादतियां।
- मानवाधिकारों का स्पष्ट हनन।
- मीडिया द्वारा प्रस्तुतीकरण में असंतुलन।
- महत्वपूर्ण नीतिगत सोच तथा आसूचना की कमी।
- आपराधिक न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली में कमियां।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोपेनहेगन में सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित करके 1995 में अपनी स्वर्ण जयन्ती मनायी। शिखर सम्मेलन में आधारभूत सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अलगाव की समस्याओं की ओर ध्यान देकर ऐसी सामाजिक एकता का आह्वान किया गया जिसमें उपरोक्त सभी अलगावों का समावेश न हो। भारत इस शिखर सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण भागीदार था। हमारे लिये शिखर सम्मेलन की घोषणा तथा कार्य योजना पर अनुवर्ती कार्यवाही करना श्रेयस्कर होगा।

महिलाओं को अधिकार सम्पन्न करना

हमें यह स्मरण रखने की आवश्यकता है कि लगभग दो वर्ष पूर्व, संयुक्त राष्ट्र संघ के महिलाओं संबंधी चौथे विश्व सम्मेलन में, सबसे पहले हमने ही बीजिंग घोषणा तथा कार्यवाही-मंच का बिना कोई आपत्ति उठाए समर्थन किया था। हमने महिलाओं को अधिकार सम्पन्न करने हेतु एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करने की भी प्रतिबद्धता दर्शायी थी। स्वाधीनता के इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सभा में उस प्रारूप नीति को लाए जो बीजिंग सम्मेलन के बाद से पूरे राष्ट्र में किए गए व्यापक विचार-विमर्श के फलस्वरूप बनी है। संसद अपनी ओर से पहले ही महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने संबंधी संयुक्त समिति का गठन कर चुकी है।

प्रशासन

हमारी प्रशासन-प्रबंधन संबंधी प्रणाली अत्यधिक त्रुटिपूर्ण है। यह जनता से दूर, एक अत्यधिक केन्द्रीकृत प्रशासन है। एक अरब की जनसंख्या वाले विशाल उपमहाद्वीप के नाते, हमें अपने प्रशासनिक प्रबंधन को सार्थक रूप से विकेन्द्रीकृत करना ही होगा। संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के पीछे यही मूल भावना निहित है। इन संशोधनों को पारित हुए चार वर्ष हो चुके हैं। क्या हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि हमने वास्तव में सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित की है तथा पंचायती राज व्यवस्था को वास्तव में अमली जामा पहनाया है। हमें अपनी अन्तरात्मा को टटोलना होगा।

खेद की बात है कि पुलिस बल समेत हमारे प्रशासन का अत्यधिक राजनीतिकरण हो चुका है। सिविल सेवा जिसका गठन तटस्थ रूप से सेवा के लिए किया गया था, का उपयोग राजनीतिक आकांओं की सेवा करने के लिए किया जा रहा है तथा राजनीतिक बदला लेने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल आज का कटु सत्य है। यह विधि के शासन के अनुरूप नहीं है। प्रशासन को राजनीति से मुक्त किया जाना चाहिए तथा इसे जनता के प्रति उत्तरदायी एवं केवल विधि के शासन के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

जनसंख्या

हमारा देश धनधान्य से परिपूर्ण है। किन्तु, हमारे लोग विपन्न हैं। इसका एकमात्र कारण अबाध गति से बढ़ती हमारी जनसंख्या है। यदि हम अपनी खाद्य, सुरक्षा, बेरोजगारी, अल्प-रोजगार, निर्धनता, असमानता जैसी अधिकांश समस्याओं का समाधान तथा वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था के सभी सामाजिक और राजनैतिक पहलुओं का प्रबन्धन इस सरल किन्तु बुनियादी समस्या के सफल समाधान में निहित है। यदि हम अपनी जनसंख्या को अपने देश की भरण-पोषण क्षमता के अनुरूप बनाये रखें तो हम अपने देश को एक मानव संसाधन उत्पादक, सुपुष्ट एवं रुग्णता रहित राष्ट्र बना पाएंगे। हमें जनसंख्या संबंधी डा. एम.एस. स्वामीनाथन ग्रुप की रिपोर्ट जो अलमारियों में बंद पड़ी है, को लागू करने के बारे में, कुछ ठोस निर्णय लेना चाहिएं।

शिक्षा

शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना

यह हैरानी की बात है कि हमारे यहां निरक्षर लोगों की संख्या 46 करोड़ है। अक्तूबर 1931 में लंदन में चैथम हाउस में बोलते हुए तथा हमारी शिक्षा प्रणाली की हुई क्षति पर दु:ख प्रकट करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, जिसे मैं यहां उद्धृत करता हूं: ''आंकड़ों के द्वारा अपनी बात को गलत साबित किये जाने की परवाह किए बिना मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत पचास या सौ साल पहले जितना अशिक्षित था, आज उससे कहीं अधिक अशिक्षित है..... मैं किसी भी व्यक्ति को इस बात को चुनौती देता हूं कि वह एक शताब्दी के भीतर इन लोगों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम को पूरा करके दिखाए।'' गांधी जी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। उन्होंने बुनियादी शिक्षा के रूप में इसका एक समाधान भी बताया था। इसके पीछे दर्शन यही है कि शिक्षा कार्य जगत के अनुरूप होनी चाहिए। जब तक शिक्षा के सभी स्तरों अर्थात् प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर को रोजगारोन्मुख नहीं बनाया जाता और लोगों में शिक्षा की उपयोगिता के प्रति विश्वास नहीं जगता, तब तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा लोगों में रोजगार क्षमता पैदा करना एवं उन्हें रोजगार दिलाना एक दिवा-स्वप्न ही बना रहेगा, चाहे हम शिक्षा के लिए कितनी ही मात्रा में वित्तीय संसाधन क्यों न जुटा लें।

उच्च शिक्षा के लिए संसाधन

एक दशक पूर्व इस सभा द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निष्कर्ष को मैं उद्धृत करता हूं:—

> ''मुख्य कार्य इस पिरामिड के आधार, जो शताब्दी के अन्त तक लगभग एक अरब जनसंख्या वाला होगा, को सुदृढ़ करना है। साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पिरामिड के शीर्ष पर जो हों, उनकी गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोगों में हो। अतीत में हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाये रखते हुए विदेशी प्रभाव को आत्मसात् किया है। अब मानव संसाधान विकास के कार्य में शिक्षा एक बहुमुखी भूमिका के राष्ट्रीय प्रयास को और तीव्र किया जाना चाहिए।''

इस ठोस नीति को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए शैक्षणिक पिरामिड के शीर्ष को सुदृढ़ बनाने हेतु सभी को प्राथमिक शिक्षा

उपलब्ध कराने के लिए सरकारी कोष से प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराने के साथ क्या हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की निष्पक्ष नीति अपनाकर आंतरिक संसाधन जुटा सकते हैं। जिसमें धनवान वर्ग से शिक्षा व्यय की वसूली की जा सके तथा निर्धन वर्ग के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जा सके।

कृषि

खाद्य में आत्मनिर्भरता तथा हरित क्रांति में आत्मतोष

हरित क्रांति के माध्यम से हमने न केवल वर्ष 1970 के दशक से खाद्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है वरन् हम खाद्यान्न के बड़े निर्यातक बन गये हैं। जनसंख्या में असाधारण वृद्धि के बावजूद हरित क्रांति की सफलता उल्लेखनीय रही। लेकिन हम हरित क्रांति में प्राप्त आत्मतोष से निष्क्रिय होते जा रहे हैं। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल सिंचित क्षेत्रों में ही हो पाया है। सत्तर प्रतिशत कृषि योग्य भूमि शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में है तथा देश का चालीस प्रतिशत से अधिक खाद्यान्न उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। इन क्षेत्रों के किसानों और जनसामान्य का जीवन अभी भी बहुत कठिन है। शुष्क खेती में वित्तीय और भौतिक संसाधन उपलब्ध कराये जाने के बावजूद इन क्षेत्रों के लोगों को प्रौद्योगिकी से कोई लाभ नहीं मिल पाया।

स्थिर कृषि विकास दर

वर्ष 1990-91 से वार्षिक कृषि विकास दर 1.7% मिश्रित दर पर स्थिर हो गई है। भूमि जोतों के आकार पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव, लघु (सबऑप्टिमल) भूमि जोतों में सघन खेती की आर्थिक व्यवहार्यता तथा उत्पादकता स्तर, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बहुत नीचे है, में ठहराव जैसे कारण परेशान करने वाले हैं और इनकी गहराई से जांच किये जाने की आवश्यकता है।

अजैविक कृषि पद्धतियां और उनके प्रभाव

कृषि भूमि पर एक वर्ष में 61,000 टन कीटनाशक दवाइयों के उपयोग के अतिरिक्त 33 मिलियन टन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है। अजैविक कृषि पद्धतियों पर आधारित सघन कृषि को लम्बे समय तक जारी रखने की व्यावहारिकता की भी विस्तृत रूप से जांच करनी होगी। ऐसी कृषि से खाद्यान्न की गुणवत्ता, पर्यावरण की सुरक्षा और जैविक वैविध्य के परिरक्षण की दृष्टि से अनेक जटिलतायें उत्पन्न हो जाती हैं। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के पहलू के अलावा पर्यावरण की सुरक्षा और खाद्यान्न की गुणवत्ता तथा सुरक्षा को भी खाद्य सुरक्षा के आवश्यक तत्वों के रूप में देखा जाना चाहिए।

कृषि, नागरिक आपूर्ति और कृषि उत्पादों का निर्यात

कृषि क्षेत्र का घरेलू नागरिक आपूर्ति क्षेत्र और निर्यात क्षेत्र के साथ संयोजन बनाये रखने के लिए कुशल प्रबन्धन आवश्यक है। किसानों को लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिये ताकि गैर-सरकारी निवेशक स्वत: ही कृषि के क्षेत्र में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित हो सकें। इसके साथ ही जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करवाने की भी आवश्यकता है। यदि हम अपने कृषि क्षेत्र की प्रचुर निर्यात संभावनाओं का उपयोग करना चाहते हैं, तो हमें निरन्तर निर्यात की एक दृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। क्या हम खेती की अर्थक्षमता सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादों के उत्पादन, परिवहन, विपणन और मूल्यों के संबंध में लागू अत्यधिक कड़े नियंत्रणों से किसानों को राहत दिला सकते हैं? कृषि क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सार्वजनिक निवेश हेतु अपेक्षित प्रचुर संसाधनों की जानकारी हमें कैसे मिलती है? हम कृषि उत्पादों में घरेलू खपत और इनके निर्यात व्यापार के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनकी सावधानीपूर्वक जांच किये जाने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक वितरण

भूख से मुक्ति

हालांकि हमें अकाल से मुक्ति मिल गई है किन्तु अब भी हम सभी के लिए भोजन उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। यद्यपि 1950-51 से अब तक हमारा खाद्यान्न उत्पादन चौगुना हो गया है और खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता 500 ग्राम प्रति दिन है, फिर भी सभी के लिये हम खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं, क्योंकि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों में क्रय शक्ति का अभाव है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हम गरीबी की रेखा से नीचे निर्वाह कर रहे लोगों के अतिरिक्त गरीबी की रेखा से ऊपर जीवन-यापन कर रहे लोगों को भी रियायत दरों पर राशन उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के हितार्थ सरकारी खर्च पर लक्षित आपूर्ति प्रबन्धन उचित और आवश्यक है, किन्तु दीर्घावधि और मध्यावधि में भी खाद्य सुरक्षा की समस्या पर स्थायी समाधान यही होगा कि समाज के कमजोर वर्गों को लाभप्रद रोजगार प्रदान कर उन्हें क्रय शक्ति सम्पन्न बनाया जाये।

सेवायें प्रदान करना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जब तक इसे जारी रखा जाता है, इसके अंतर्गत सेवाओं को कुशल और दोषमुक्त बनाना नितांत आवश्यक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक जिंसों की चोरी अथवा मिलावट कर उनकी गुणवत्ता कम करने को जघन्य अपराध माना जाना चाहिये और इसके लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।

उद्योग

अतीत और भविष्य

1948 से अब तक हमारे यहां छ: औद्योगिक नीतिगत दस्तावेज जारी किये गये हैं। उद्योगों का योजनाबद्ध विकास, मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया, लाइसेंसिंग विनियमन एवं नियंत्रण, देशी उद्योग संरक्षण और लघु उद्योग क्षेत्र का संरक्षण— इन नीतियों की मुख्य विशेषताएं थीं। ये नीतियां हमारी शैशव अर्थव्यवस्था के बीते वर्षों के लिए सुसंगत तथा अनुरूप थीं। इसके हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के परिणाम मिले। सकारात्मक पक्ष में हमने मूलभूत उद्योगों और स्वदेशी उद्यम की अवसंरचना का विकास किया है। नकारात्मक पक्ष में हमें विखण्डित उत्पादन क्षमता, निम्न प्रौद्योगिकीय स्तरों, कम विदेशी पूंजी का निवेश, एकाधिकारवादी प्रवृत्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का अभाव जैसी खामियों का सामना करना

पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रतिस्पर्द्धा की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सन् 1991 ई. से अपनी अर्थव्यवस्था को उदारवादी बनाना पड़ा। इसके लिए हमें लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त करनी पड़ी है और विनियमन व्यवस्था खत्म करनी पड़ी है; निवेश प्रतिबंधों को हटाना पड़ा है; निजी क्षेत्र को ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी है जो पहले आरक्षित थे और विदेशी प्रौद्योगिकी एवं पूंजी का आगमन सरल करना पड़ा है। इसमें विलय एवं एकीकरण के माध्यम से नये निगमित ढांचों का विकास, आधुनिकीकरण और नई प्रौद्योगिकी का समावेशन तथा नई प्रबंधन शैली अपरिहार्य प्रतीत होती है। हमारे निगम स्वत: ही धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय बनते जा रहे हैं। पूंजीगत अभाव एवं प्रौद्योगिकीय अप्रचलन की स्थिति में विगत वर्षों में अपनी उपादान क्षमता पर आधारित घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के साथ अपने निगमित क्षेत्र के सीमापार फैलाव को सुसंगत बनाने के लिए हमारी नीति कैसी होनी चाहिए? सभा को इस विषय पर गहराई से विचार करना चाहिए।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का पुन:स्थापन : इसकी अनिवार्यता और मानवीय आयाम

हमारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 60 उपक्रम लगातार रुग्ण अवस्था में हैं। हमें उनकी स्थिति पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। नि:संदेह इनमें से कुछ निगमों के पुन:स्थापन एवं चालू करने के लिए हमारे पास अनेक प्रस्ताव हैं। इन निगमों के भविष्य के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। इस मामले में तुरन्त एवं साहसिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। ऐसे निर्णयों के लिए अत्यन्त धैर्य और सतत् औद्योगिक संबंध स्थापित करने के लिए सुदृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति एवं समर्थन की आवश्यकता होती है। उद्यमों की पुनर्संरचना और पुन:स्थापन का कार्य अत्यन्त दुरूहपूर्ण है। आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को उनके मौजूदा कार्य से हटाने के लिए उन्हें उदार रूप से प्रतिपूर्ति राशि देने और उनके पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन के लिए, जहां कहीं संभव हो, व्यवस्था करनी होगी। जब तक सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को नया रूप देने के लिए किसी न किसी प्रकार कोई अंतिम निर्णय नहीं लिये जाते तब तक श्रमिकों के भुगतान नहीं रोके जाने चाहिए। 31 जुलाई, 1997 तक भारत सरकार के 17 मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों में श्रमिकों को भुगतान का 605 करोड़ रुपया बकाया था। इस राशि में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और उपदान कानूनों के अंतर्गत 435 करोड़ रुपये की बकाया राशि भी सम्मिलित है। इनमें से कुछ भुगतानों में देरी आपराधिक स्वरूप की है। हतोत्साहित और अमानवीय परिस्थितियों की शिकार श्रम शक्ति का आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

हमारे देश में औद्योगिक रुग्णता केवल सरकारी क्षेत्र की समस्या नहीं है बल्कि यह देश के समूचे उद्योग क्षेत्र की एक गम्भीर समस्या बन गई है। औद्योगिक रुग्णता के वित्तीय और आर्थिक आयामों को इस सत्र के लिए तैयार किये गये कार्य-योजना दस्तावेज में सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस सत्र में इस समस्या के सभी पहलूओं पर चर्चा की जा सकती है।

एक नवीन कार्य संस्कृति

हमारे देश में प्रबन्धन और औद्योगिक संबंध शैली में क्रान्तिकारी बदलाव की जरूरत है। जैसाकि मजदूर संघ के हमारे वयोवृद्ध नेता श्री रामानुजन ने सुझाव दिया है कि औद्योगिक विवाद संकल्प के साधन के रूप में त्रिपक्षवाद के स्थान पर द्विपक्षवाद को अपनाना चाहिए क्योंकि औद्योगिक संबंधों को राजनीतिकरण हो जाता है और ये त्रिपक्षवाद की कार्यविधि के अंतर्गत वाह्य कारकों से भी प्रभावित होते हैं। अतएव प्रबंध के साथ-साथ अन्य कर्मचारियों के लिए एक नवीन कार्य संस्कृति विकसित की जानी चाहिए जिसका सर्वाधिक बल उत्पादकता बढ़ाने पर हो। जहां तक उत्पादकता का सवाल है हम अपने पड़ोसी देशों की तुलना में काफी पीछे हैं। एक स्तर के बाद वेतन बढ़ोत्तरी को उत्पादन वृद्धि के साथ जोड़ा जाना चाहिए। निजी क्षेत्र के अनेक सफल उद्यमों में मजदूर संघों से बातचीत करके तैयार किये गये उत्पादकता से जुड़े वेतन ढांचे लागू हैं। हम इसे अपने यहां सब जगह लागू करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे कामकाजी लोगों को, चाहे वे प्रबंधन हों अथवा अन्य, इस सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए कि उनके लिए सबसे पक्की सामाजिक सुरक्षा उनके उद्यमों का वाणिज्यिक दृष्टि से अर्थक्षम होना है। सरकारों और मजदूर संघों को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, जो हमारे देश की श्रमशक्ति का 90 प्रतिशत हैं, की हालत सुधारने पर पहले से अधिक ध्यान देना होगा।

निर्यात परिदृश्य

पूर्व में हमने कुछ दक्षिण-पूर्व एशियाई और पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तरह निर्यात आधारित विकास पर जोर नहीं दिया था। लेकिन निर्यात के क्षेत्र में हमने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 1951 में मात्र 647 करोड़ रु. के निर्यात की तुलना में 1996 में 1,08,478 करोड़ रु. का कुल निर्यात हुआ। 1950 के दशक में प्राथमिक उत्पाद हमारे निर्यात का 85 प्रतिशत था। अब निर्मित उत्पादों का निर्यात हमारे निर्यात का 75 प्रतिशत से अधिक है। तथापि, हमारे निर्यात परिदृश्य के संबंध में उल्लेखनीय कारक निम्नवत हैं:—

रत्न एवम् आभूषण, सिले-सिलाए परिधान, सूती कपड़े, समुद्री उत्पाद, औषधियां और भेषज इत्यादि, पांच उत्पाद मूल्य के हिसाब से हमारे कुल निर्यात का 40 प्रतिशत है, शेष निर्यात में 69 उत्पाद शामिल हैं।

1969-70 के पश्चात्, हमारे निर्यात के एकक मूल्य सूचकांक में ग्यारह गुणा वृद्धि हुई है जबकि मात्रा सूचकांक केवल पांच गुणा बढ़ा है।

हमारे कुल निर्यात का लगभग 50 प्रतिशत निर्यात यूरोपीय देशों, अमरीका और जापान को होता है।

विश्व निर्यात में हमारा हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम है।

इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि विश्व निर्यात में वस्तुत: हम कहीं नहीं ठहरते। हमें अपनी निर्यात उत्पादन आधार का विस्तार करना होगा; अपने निर्यात उत्पादों तथा उनकी दिशा में विविधता लानी होगी और निर्यात की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि करनी होगी। अर्थव्यवस्थाओं के विश्वीकरण के दौर में हमारा आर्थिक अस्तित्व और

समृद्धि काफी हद तक निर्यात के संवर्द्धन पर निर्भर करती है। यह तभी हो सकता है जब हम अपने आयात का भी विस्तार करें। आर्थिक सुधारों और उदारीकरण का एक औचित्य यह भी है।

आर्थिक सुधार

धन का सृजन

आर्थिक सुधार का सीधा सा अर्थ है कि अपने साधनों के भीतर रह कर निर्वाह करना। साधनों का सृजन केवल धन के सृजन द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन धन का सृजन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक हम अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग नहीं करते। यहां तक कि चीनी जनवादी गणराज्य ने भी इस स्थिति को स्वीकार किया है और इसीलिए उन्होंने समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था को अंगीकार किया है। यदि हम कराधान के जरिए अपने संसाधनों में वृद्धि करते हैं और यदि उनके निवेश से पर्याप्त लाभ नहीं प्राप्त होता हैं तो विकास स्थिर अथवा नकारात्मक हो जायेगा। पुन: यदि हम अपने संसाधनों का राजसहायता के रूप में वितरण, बिना यह सोचे विचारे करते हैं कि उससे धन सृजन की कितनी प्रेरणा मिलती है, तो परिणाम वही होगा अर्थात् विकास में स्थिरता और नकारात्मक प्रवृत्ति। पहली बार, वित्त मंत्रालय ने राजसहायता वितरण का एक पारदर्शी और विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया है। मैं आशा करता हूं कि सभा इस सत्र का फायदा इस प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के लिए भी करेगी। शायद हम कम से कम अनावश्यक राजसहायताओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की संभावनाओं की जांच कर सकते हैं। नि:संदेह हम देश-विदेश से ऋण ले सकते हैं लेकिन उस पर ब्याज देने और कर्जा चुकाने के लिए हमारी निवेश नीतियों में दूरदर्शिता और धन सृजन की क्षमता होनी चाहिए। अतीत में ऐसा नहीं हो रहा था। अब हमें यह प्रयास करना चाहिए विशेष तौर पर क्योंकि हमारा विदेशी ऋण सेवा अनुपात हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 26 प्रतिशत हो गया है। हमारा प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण 3,286 रुपये है जोकि 9,321 रुपये की प्रति व्यक्ति आय का 35 प्रतिशत है। हम वास्तव में ऋण जाल में फंस चुके हैं। राज्य सरकारें भी आंतरिक ऋण जाल के शिकंजे में जकड़ी हुई हैं, उनकी राजस्व प्राप्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा तुलनात्मक रूप से ऋण दायित्वों को चुकता करने और भारत सरकार को अदायगी करने में चला जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की संपूर्ण अवधारणा इसी तथ्य पर आधारित है क्योंकि इससे देश पर ऋण बोध नहीं बढ़ता है। निवेश प्राप्त कर रहे निगमित निकायों से आशा की जाती है कि वे निवेशक को लाभ देने के लिए पर्याप्त लाभार्जन करेंगे।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

लोगों को यह आशंका है कि भारी मात्रा में विदेशी पूंजी आगम की वजह से अर्थव्यवस्था में तथाकथित रूप से असाधारण तेजी के कारण हमें उसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिनसे मैक्सिकों और थाइलैंड को जूझना पड़ रहा है।

जब तक हम यह सुनिश्चित न कर लें कि विदेशी पूंजी निवेश आधारभूत अवसंरचना जैसे प्राथकिता वाले क्षेत्रों, जिसके विकास के लिए हम लंबे समय तक किसी वास्तविक परिमाण में आंतरिक संसाधन नहीं जुटा पायेंगे, में किया जा रहा है, बुद्धिमत्तापूर्ण निवेश नीतियों का पालन किया जा रहा है, गैर-ज़िम्मेवार विदेशी निवेशकों के अभियानों के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध कर लिया गया है और एक सतर्क अर्थ नीति बना ली गई है तब तक मैक्सिकों और थाइलैंड की तरह विकास नहीं कर सकते।

हमें यह बात भी याद रखनी होगी कि हमारे देश में अभी भी उतना विदेशी निवेश नहीं हो पा रहा है जितना कि चीन और हमारे दक्षिण-पूर्व एशियाई पड़ोसी देशों में हो रहा है। सभी विकासशील देशों में किए जा रहे विदेशी निवेश में हमारे देश का हिस्सा एक प्रतिशत के तीन चौथाई से भी कम है। हमारे लिए विदेशी पूंजी निवेश और उसकी अधिकता उतनी ही उपयुक्त होगी जितना हम अपने देश में निवेश के लिए वातावरण तैयार करेंगे। हमें विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने तथा परियोजनाओं को चालू करने के बीच समय के अंतर को काफी कम करना होगा। मुझे चीन से मिली जानकारी के अनुसार वहा निवेश संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने तथा परियोजनाओं को आरंभ करने के बीच का समय तीन साल से अधिक नहीं है।

पानी की ही तरह निवेश पर भी गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। जहां आधारभूत अवसंरचना पहले से ही तैयार है वहां (निवेश हेतु) गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। हमारा अधिकांश निवेश महाराष्ट्र और गुजरात में, विशेष रूप से महानगरीय क्षेत्रों में हो रहा है। इससे क्षेत्रीय भेदभाव तथा रोजगार की तलाश में देश में ही आर्थिक प्रवास की समस्या जन्म लेती है। क्षेत्रीय भेदभाव की यह समस्या चीन जनवादी गणराज्य में अधिक हैं जहां उन्होंने तटवर्ती क्षेत्रों तथा कतिपय निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को औद्योगिकरण के लिए खोल रखा है। इस संबंध में यदि हम अपने अनुभवों का विश्लेषण करने के संदर्भ में अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों से सीख लें तो अच्छा होगा।

1951 से लेकर आज तक हमारे रोजगार परिदृश्य पर कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रभुत्व रहा है। उद्योग में रोजगार का अनुपात स्थिर रहा और केवल सेवा क्षेत्र में ही रोजगार में वृद्धि हुई है। मांग की तुलना में श्रम की अधिक पूर्ति के कारण रोजगार के नैमित्तिकरण में वृद्धि हुई है। रोजगार की गुणवत्ता पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव की भी गहनता से परख की जानी चाहिए। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग को अपनी रिपोर्ट दिए हुए लगभग तीन दशक बीत चुके हैं। तब से रोजगार परिदृश्य श्रम मानकों, प्रौद्योगिकी आगम, दक्षता संबंधी आवश्यकताओं में भारी परिवर्तन हए हैं। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन काफी पहले हो जाना चाहिए था।

उद्योगोन्मुखी–विज्ञान और प्रौद्योगिकी

कार्य क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेवाएं भी शिक्षा की तरह संगत होनी चाहिएं। जहां विशुद्ध विज्ञान और प्रयोगशाला पर आधारित अनुसंधान महत्वपूर्ण हैं वहीं वे प्राथमिक रूप से शिक्षा जगत–महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में हैं। हमारे उद्योगों की अप्रचलित प्रौद्योगिकी को दूर करने के लिए उद्योग और उद्यम आधारित अनुसंधानों पर नया बल दिया जाना चाहिए तथा औद्योगिकीय प्रौद्योगिकी को लगातार अद्यतन बनाते रहना चाहिये।

पर्यावरण और पारिस्थितिकी–पूर्व स्थिति की प्राप्ति एवं सुरक्षा

हमारे कृषि और औद्योगिक क्रियाकलापों, सतत् बढ़ते शहरीकरण, देश में ही पलायन और लोगों की जीवन शैली का हमारे वनों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर दुष्प्रभाव पड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमने इस समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी को उसके मूल स्वरूप में स्थापित करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। पहले ही हो चुके नुकसान को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने के उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। हमारी जीवन शैलियों और सोचने की प्रक्रियाओं के पुन: समायोजन से ही भविष्य के सुरक्षोपायों का उद्भव होगा।

अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताएं

हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं और करारों, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र में अथवा उसकी किसी विशिष्ट एजेन्सी में किए गए हों, को पूरा करने की शानदार परंपरा के लिये विख्यात है। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वचनबद्ध होने से पूर्व जहां तक हो सके राष्ट्रीय स्तर पर इस पर व्यापक चर्चा और वाद-विवाद करना उपयुक्त होगा। परन्तु एक बार वचनबद्ध होने के बाद, हमें उसका पालन करना चाहिए। हमारे देश के लिए अपनी वचनबद्धता से पीछे हटना लाभप्रद नहीं होगा। ऐसी वचनबद्धताओं का राष्ट्रीय स्तर पर पालन, जहां कहीं आवश्यक हो, विधायी कार्यवाही के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसी विधायी कार्यवाही की असफलता को भी विश्व समुदाय द्वारा लोकतंत्र की मजबूरियों के रूप में समझा और सराहा जायेगा, परन्तु इस संबंध में ढुल-मुल रवैया अपनाने से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सभ्य तरीके से न चला पाने वाला एक अविश्वसनीय राष्ट्र के रूप में बनेगी।

मैंने जिन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है, उन सब का मूल भाव यही है कि इस समय आजादी की दूसरी लड़ाई छेड़ने की आवश्यकता है। इस बार यह लड़ाई हमारी समृद्धि और गरीबी के बीच, संसाधन व्यवस्था के प्राचुर्य और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन के अभाव के बीच, शांति और सहनशीलता की हमारी संस्कृति और वर्तमान की हिंसा, असहनशीलता और भेदभाव की ओर बढ़ते हुए झुकाव के बीच हमारे आंतरिक विरोधाभासों से मुक्ति के लिए होनी चाहिये। यदि हम आजादी की दूसरी लड़ाई में सफल होते हैं तो उस स्थिति में ऐसा कोई कारण नहीं है कि आगामी शताब्दी में हम विश्व के सर्वोच्च राष्ट्रों के बीच न हों।

आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

पूर्वाह्न 11.43 बजे

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

> ''कि यह सभा देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति पर विचार करती है।''

अध्यक्ष महोदय, आपने स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती उत्सव के दौरान इस विशेष अधिवेशन का आयोजन किया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। यह अधिवेशन उन्मुक्त वातावरण में हो रहा है। न प्रश्न काल है, न शून्य काल है। प्रश्नकाल न होने से मंत्री स्वतंत्र हैं। सदन में रहना उनके लिये आवश्यक नहीं है। शून्य काल केवल शून्य में विलीन होने के कारण हमारे मीडिया के मित्र यह भरोसा कर सकते हैं कि आज कोई हाथापाई की नौबत आने वाली नहीं है। न सभा के पटल पर कागज-पत्रों को लिटाने का सवाल है, है और न नियम 377 के अधीन अपनी व्यथा-कथा कहने की गुंजाइश है।

---

*श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की सूचना निम्नलिखित सदस्यों ने भी दी: श्री शरद पवार, श्री शरद यादव, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री एन.एस.वी. चित्यन, श्री मुरासोली मारन, श्री मुलायम सिंह यादव, डा. एम. जगन्नाथ, प्रो. अजित कुमार मेहता, श्री मधुकर सरपोतदार, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री काशी राम, श्री सुरजीत सिंह बरनाला, श्री जार्ज फर्नान्डीज, श्री सनत कुमार मंडल, श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य, श्री चित्त बसु, श्री ओम प्रकाश जिन्दल, श्री राम बहादुर सिंह, श्री जी.एम. बनातवाला।

मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है जो सब विषयों में समावेश करता है। मैं सोच रहा था कि कहां से आरम्भ करूं और कहां से अंत करूं लेकिन आपके भाषण ने इसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। आप का भाषण बहुत सारगर्भित था, विस्तृत था, शायद ही राष्ट्र जीवन का कोई प्रश्न, कोई पहलू उससे छूटा हो। मैं नहीं जानता कि एक सदस्य के नाते मैं आपके भाषण पर टिप्पणी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं आपके इस आह्वान का स्वागत करता हूं, अनुमोदन करता हूं कि देश को दूसरे स्वतंत्रता संग्राम में जूझने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, 50 साल बीत गये। वक्त जाते देर नहीं लगती। आधी सदी गुज़र गई लेकिन आधी सदी हमारे सामने है। नई शताब्दी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नया युग आने वाला है और हम जब 50 साल का लेखा-जोखा लेने के लिये बैठे हैं, स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान इस बात की ओर जाए कि आखिर हमने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उस सब के बावजूद देश अपने सारे सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सका है? आज जब हम स्वाधीनता को शाश्वत् और अमर बनाने का संकल्प ले रहे हैं, हमारे मनों में बार-बार यह प्रश्न गूंजता है कि आखिर हम पराधीन क्यों हुये? 50 साल का समय कोई अधिक लम्बा समय नहीं होता। व्यक्ति के जीवन में 50 साल एक लम्बा समय हो सकता है मगर भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के जीवन में नहीं। हमारी सभ्यता और संस्कृति पांच हजार साल से भी अधिक पुरानी है। सचमुच में किसी नये राष्ट्र का जन्म नहीं हो रहा है।

जब हम पराधीनता के कारणों पर विचार करते हैं तब दिखाई देता है कि हम इसलिये पराधीन नहीं थे कि हमारे पास धन नहीं था, दौलत नहीं थी। भारत सोने की चिड़िया थी, इसीलिये आक्रमण की शिकार थी। क्लाइव ने 1757 में विभाजित बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद के बारे में कहा था, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"यह शहर लंदन की भांति विस्तृत, घनी आबादी वाला है। परन्तु मुर्शिदाबाद में लंदन से भी अधिक वैभवशाली व्यक्ति थे।"

[हिन्दी]

इस संबंध में रजनी पामदत्त का जो कथन है, वह भी उद्धृत करने लायक है जिसमें उन्होंने कहा:—

"सत्रहवीं शताब्दी में ब्रिटेन भारत को कोई ऐसी चीज़ देने की स्थिति में नहीं था जो भारत के पास नहीं थी। चाहे वह प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की दृष्टि से हो और चाहे वह टैक्नोलॉजी स्टैंडर्ड की दृष्टि से हो।"

[हिन्दी]

200 साल में देश की स्थिति क्या हो गई हम सब उससे परिचित हैं। स्पष्टत: हम इसलिए नहीं हारे कि दौलत नहीं थी। हम इसलिए भी नहीं हारे कि हमारे पास सेना नहीं थी, पराक्रम नहीं था, पौरुष नहीं था। पानीपत के मैदान में हमारे पास सेना अधिक थी, हम हार गए, स्वाधीनता खो बैठे। प्लासी में तो लड़ाई हुई ही नहीं, विश्वासघात हुआ। प्लासी के मैदान में जब लड़ाई चल रही थी तो लड़ने वालों से ज्यादा लोग प्लासी के मैदान के बाहर यह देख रहे थे कि इस लड़ाई का निर्णय क्या होता है मानो वहां कोई तमाशा हो रहा था। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है।

हमारी संस्कृति सनातन है लेकिन हम एक सार्वभौम सत्ता का निर्माण नहीं कर सके, हम भारत को एक संगठित राजशक्ति में नहीं बदल सके, एक राज्य का रूप नहीं दे सके। देश बंटा रहा—टुकड़ों में, राजों में, रजवाड़ों में। वह अपने-अपने वातावरण में खोये रहे और हम परास्त हुए, पराधीन हुए।

शताब्दियों के बाद लद्दाख से लेकर अंडमान-निकोबार तक यह सारी भूमि एक झंडे के नीचे आई है। भारतीय गणराज्य अपनी संपूर्ण गौरव-गरिमा के साथ खड़ा है, यह अभिमान की बात है, यह जिम्मेदारी की बात भी है। इस गणराज्य की रक्षा होनी चाहिए। गणराज्य मजबूत हो, समृद्धशाली हो और ऐसी समृद्धि हो जिसमें सबको हिस्सा मिले। सामाजिक समता हो, समरसता हो। आपने उल्लेख किया कि यह देश अंतर्विरोधों से भरा हुआ है मगर इस देश में अंतर्विरोधों के बीच में सामंजस्य और सौमनस्य पैदा करने की अद्‌भुत क्षमता है, अद्‌भुत शक्ति है।

कितनी विविधता है। भविष्यवाणियां हुई थीं कि भारत एक नहीं रहेगा। 500 रियासतों में देश बंटा था। मातम के मसीहा घोषणाएं कर रहे थे कि अंग्रेजों ने एक विभाजन किया है, दूसरा विभाजन स्वयं करेंगे। उन भविष्यवाणियों पर पानी फिर गया। हम एक गणराज्य के रूप में खड़े हैं।

दूसरी उपलब्धि हमारी यह है कि हमने लोकतंत्र की रक्षा की है, लोकतंत्र के अनुसार हम चल रहे हैं। लोकतंत्र को हमने सफल बनाने का प्रयास किया है। इसके बारे में भी भविष्यवाणी थी। इतनी विविधताओं का देश—शिक्षा नहीं है, गरीबी है, मताधिकार का उपयोग कैसे होगा, ये मज़हब के आधार पर बंटे हुए हैं, आपने बड़े प्रभावशाली ढंग से इसका उल्लेख किया है। मताधिकार का उपयोग करके सरकारें बदली गई हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ है। लोकतंत्र हमारा आधार है, हमारी एकता को पुष्ट करने का सबसे बड़ा कारण है। यह बात अलग है कि 1975-76 में लोकतंत्र पर आंच आ गई थी। लोकतंत्र के माथे पर कलंक का टीका लग गया था।

आज सब मामलों में माफी मांगने की बात हो रही है, माफी मांगो, माफी मांगो। जिन्होंने 1975-76 में इमरजेन्सी लगाई, 19 महीने तक नेताओं को जेल में डाला, उन नेताओं में जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे, मोरारजी भाई भी शामिल थे। कई भुक्तभोगी उधर भी बैठे हुए हैं।

उसके लिए भी किसी को माफी मांगनी चाहिए। कम से कम यह संकल्प करना चाहिए कि हम लोकतंत्र को दोबारा खतरे में नहीं पड़ने देंगे। मैं खतरों की बात इसलिए कर रहा हूं कि लोकतंत्र के लिए सचमुच में संकट पैदा हो रहे हैं। यह संकट आम आदमी से नहीं, वह तो भरोसा करके बैठा है। मगर जिन पर भरोसा करके बैठा है उनके कारण लोकशाही खतरे में है। राजनीति का अपराधीकरण, इलेक्शन कमीशन के एक माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े दिये हैं, वे अख़बारों में छपे हैं, मैंने भी पढ़े हैं। वे चौंकाने वाले हैं। कहां कितने अपराधी निर्वाचित जगहों पर बैठे हुये हैं, इसका पूरा विवरण है। चुनाव के पहले कितने अवैध हथियार बरामद किये जाते हैं, कितने वैध हथियार बरामद किये जाते हैं, इसका लेखा-जोखा है। हम किधर जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस परिवर्तन को मैं सूक्ष्मता से देखता रहा हूं, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं। पहले अपराधी हमारे पास अपने बचाव के लिए आते थे। फिर उसके बाद दूसरी स्थिति आयी। अपराधी हमारे पास हमारी मदद के लिए आने लगे। हम उनकी मदद चुनाव जीतने के लिए पोलिंग बूथ पर कब्जा करने के लिए लेने लगे। अब तो साइंटिफिक रिगिंग हो रहा है। रिगिंग का भी एक विज्ञान है, रिगिंग की भी एक कला है। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं। मुझे किस तरह से हराने का प्रयास किया गया था। मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अपराधी की जरुरत चुनाव में रिगिंग करने के लिए पड़ी। तो फिर अपराधी ने देखा कि हमारी सहायता से ये जीतकर जा सकते हैं तो हम ही क्यों न जीतकर जाएं। इनको भेजने की क्या जरुरत है।

इसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध लड़ना होगा। चुनाव कमीशन ने जो कदम उठाये हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। कुछ बुनियादी चिंतन होना चाहिए। राजनीतिक दल अपने घरों में देखें कि इस तरह के व्यक्ति टिकट प्राप्त करने न पायें। लेकिन एक दल की तरफ से फैसला नहीं हो सकता है। कहीं-कहीं अपराधी को हराने के लिए अपराधी को खड़ा करना जरूरी हो जाता है। यह खतरनाक सिलसिला है, इसको तोड़ना चाहिए। राजनीतिक अपराधीकरण कैसे रुकेगा यह गम्भीर चिंतन का विषय है। इससे लोकतंत्र पर आंच आ रही है।

दूसरा खतरा है चुनाव का बढ़ता हुआ व्यय, चुनाव का बढ़ता हुआ खर्च। चुनाव कमीशन ने खर्च पर जो सीमा लगाई थी, वह बढ़ा दी है। कहते हैं कि यह यथार्थवादी कदम है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए धन कहां से आयेगा। चुनाव लगातार महंगे होते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं 1957 में पहली बार लोक सभा का सदस्य चुनकर आया था। मेरे पास सिर्फ दो जीप गाड़ियां थीं। एक पार्टी ने दी थी, एक स्थानीय लोगों ने मुहैया करायी थी और हम चुनाव जीत गये। कार्यकर्ता साइकिल पर जाता था। घर-घर जाने की प्रवृत्ति थी। एक-एक मतदाता से सम्पर्क करने का तरीका था। अब तो कोई साइकिल पर जाने के लिए तैयार नहीं है। अब दो जीपों से काम नहीं चलेगा। अब तो दो सौ जीपें चाहिए। मैंने ऐसे चुनाव क्षेत्र देखे हैं जहां दो-दो सौ जीपें लगायी जाती हैं। यह कहां से आती हैं। इनका व्यय भार उठाने वाला कौन है। क्या काले धन के बिना चुनाव लड़े जा सकते हैं, जीते जा सकते हैं? शायद उंगलियों पर गिनने लायक लोग होंगे।

वर्षों से चुनाव सुधार की चर्चा हो रही है। 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी। मैं उसका उद्धरण नहीं देना चाहता, वही समस्या है। पब्लिक फंडिंग की सिफारिश की गई थी, उसे माना नहीं गया। पेट्रोल थोड़ा दे दो, इलेक्टोरल रोल दे दो, इतना तो पर्याप्त नहीं है। हम कालेधन से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। मगर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। कैसे लड़ें।

मध्याह्न 12.00 बजे

विदेशों से धन आ रहा है। क्या विदेशी धन से चुनाव लड़े जायेंगे? स्वदेशी काले धन से चुनाव लड़े जायेंगे फिर यह लोकतंत्र कहां जायेगा, यह देश कहां जायेगा। इस संबंध में गहराई से विचार करने की जरुरत है और शीघ्रता से निर्णय करने की जरुरत है। पब्लिक फंडिंग पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। कई अनुमान लगाये गये हैं। हम संसद के सदस्यों को एक करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विकास के कामों के लिए दे रहे हैं। क्या चुनाव को शुद्ध रखना लोकतंत्र के विकास के लिए जरूरी नहीं है। क्या बजट में पांच सौ करोड़ या एक हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष कार्पस के रूप में नहीं रखा जा सकता है और फिर बाद में उसका चुनाव के समय उपयोग किया जाए। कोई बड़ी रकम आवश्यक नहीं होगी।

राजनीतिक दलों के हिसाब पर सख्ती से नजर रखी जाए। जो भी धन उनके पास आता है उसका हिसाब रखने के लिए उन्हें मजबूर किया जाए। लोगों को उनका हिसाब-किताब देखने की छूट होनी चाहिए, उनका पब्लिक ऑडिट होना चाहिए। किसी राजनीतिक दल को देश की तकदीर के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

चुनाव की पद्धति में भी परिवर्तन पर गम्भीरता से विचार करने की जरुरत है। अनेक सुझाव आये हैं। मैं उनमें विस्तार से जाना नहीं चाहता। एक सुझाव यह है कि 50 फीसदी कांस्टीटूएंसी से लोग सीधे निर्वाचित हो जाएं और 50 फीसदी में प्रोपोशनल रिप्रेजेन्टेशन हो। 50 फीसदी सीटों पर लिस्ट सिस्टम का उपयोग किया जा सकता हैं। खर्चा कम होगा। संकुचित निष्ठाओं के लिए गुंजाइश कम होगी। लोग पार्टी के साथ जुड़ेंगे, व्यक्ति के साथ नहीं। लोकतंत्र के लिए पार्टी का ढांचा भी तो मजबूत होना चाहिए। ब्रिटेन में राजनीतिक दल कम हैं, संख्या सीमित है। हम तो संख्या सीमित नहीं कर सकते। लेकिन पार्टी में ढांचे को सबल करने के लिए कदम तो उठा सकते हैं। लेकिन अगर यह सुझाव संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ठीक नहीं है तो और तरीके ढूंढे जा सकते हैं।

एक तीसरा मसला जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार से है। राष्ट्रपति ने उस दिन केन्द्रीय कक्ष में भाषण दिया। वह उनका पहला भाषण था। केन्द्रीय कक्ष उत्साह से भरा हुआ था, उत्साह छलक रहा था। जिन्हें बैठने की जगह मिलनी चाहिए थी वे खड़े हुए थे। लेकिन कोई बुरा नहीं मान रहा था। जब पैमाना लबालब होता है तो थोड़ा छलक ही जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे भरोसा है किसी ने आपसे शिकायत नहीं की होगी। हम भविष्य में और अच्छा इंतजाम करेंगे, वह अलग बात है। लेकिन पहला भाषण और उन्होंने गांधी जी को उद्धृत किया। भ्रष्टाचार के दानव से लड़ने के लिए गांधी जी ने अपने जीवनकाल में क्या कहा था, हत्या के पहले क्या कहा था इसका उल्लेख किया। वह भ्रष्टाचार का दानव आज हमें निगलने जा रहा है। प्रधान मंत्री का लाल किले का भाषण तो अधिकांश भ्रष्टाचार के खिलाफ ही था। मैं उसे उद्धृत करना नहीं चाहता। मैं वह लाया हूं –''भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की समाप्ति के लिए सत्याग्रह किया जाएगा।''—श्री गुजराल।

सत्याग्रह की कल्पना अच्छी है। यह गांधी जी से ली है। लेकिन गांधी जी किसी दूसरे को सत्याग्रह करने के लिए कहते थे तो सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए स्वयं भी आगे बढ़कर मैदान में आते थे। सत्याग्रह कैसे होगा, कौन से कदम उठाये जायेंगे। अभी तक क्या हुआ। 15 अगस्त तो बीत गया, कई दिन बीत गये। कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में कोई सैल बना है। जब पूरा शरीर कैंसर से ग्रस्त है तो एक सैल के बनाने से या बचाने से क्या होने वाला है। वह सैल क्या करेगा, मैं नहीं जानता। हमें आशा करनी चाहिए कि कुछ करेगा।

लेकिन कथनी से नहीं, करनी से लोगों के खोए हुए विश्वास को फिर से बचाया जा सकता है। मैंने एक अंग्रेजी दैनिक, इंडियन एक्सप्रैस में लेख पढ़ा है, जिसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार के सी.बी.आई. द्वारा परीक्षित 149 मामले ऐसे हैं, जो मार्च 1997 के बाद आए हैं। इन मामलों में सी.बी.आई. प्रधान मंत्री सचिवालय से या तो चार्जशीट दाखिल करने के लिए या मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांग रही है और अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसे 194 मामले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। भ्रष्टाचार के मामलों में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। उन्होंने गलत नहीं कहा था। जहां-जहां लोकतंत्र है वहां भ्रष्टाचार पनपने लगता है। जहां-जहां फूल खिलते हैं वहां जंगली घास पैदा होने का खतरा रहा है, लेकिन कुशल माली जंगली घास को काटता रहता है। हमने अपनी आंखों से देखा है अमरीका के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ा और उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ा। जापान के प्रधान मंत्री को जेल जाना पड़ा। कोरिया के राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री को मृत्यु दंड दिया गया। इटली में मंत्री जेल गए हैं। यहां भी कदम उठाए गए हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन कदम धीरे-धीरे उठाए गए हैं। सहमे हुए कदम उठाए गए हैं। सत्ता के समीकरण पर उसका क्या असर होगा यह पूरी तरह से आंकते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। यह सत्ता का खेल नहीं है। यह राष्ट्र की अस्मिता को बचाने का सवाल है। यह गणतंत्र की मर्यादा को कायम रखने का प्रश्न है।

लोकपाल विधेयक का क्या हुआ, मैं नहीं जानता कि इसको लाने में क्यों देर लग रही है। खुली चर्चा होनी चाहिए। यह सुझाव भी आया था कि जो राजनेता हैं वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। सब कुछ लोगों के सामने आना चाहिए। लेकिन अपनी संपत्ति का विवरण देना ही काफी नहीं होगा। अपने रिश्तेदारों की संपत्ति का विवरण देना भी बहुत जरूरी है। यहां ''इंडियन थियोरी आफ रिलेटिविटी'' है। यहां आइंस्टीन की थियेरी नहीं है। सबसे पहले रिश्तेदार, कोई राजनेता चुनकर आता है, थोड़े दिनों में उसके सगे संबंधी मालदार कैसे बन जाते हैं यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आता।

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : आपने परिवार बनाया ही नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या उनके ऊपर लक्ष्मी रातों-रात प्रसन्न हो जाती है या कोई पराक्रम प्रकट हो जाता है। मैं नहीं जानता कि मुलायम सिंह जी मुझे क्यों टोक रहे हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं यह कह रहा हूं कि आपने परिवार बनाया ही नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने परिवार नहीं बनाया, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन जिन्होंने परिवार बनाया है वे रिश्तेदारों को किस तरह से अनुग्रहीत करते हैं, यह मैंने देखा है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : अब नेताओं के बाद अधिकारियों के बारे में भी कहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी हां, जब हम भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं तो राजनेता से लेकर नीचे तक जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है, उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन अगर राजनेता निष्कलंक नहीं होंगे, अगर राजनेता का जीवन पारदर्शी नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा।

अफसरों से कहना चाहिए। उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें वह नैतिक बल नहीं आएगा जिस नैतिक बल से समाज बदला जाता है, व्यवस्था बदली जाती है। यह केवल कानून बनाने का मामला नहीं है। लोकतंत्र एक वातावरण की मांग करता है। लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था है और आज वह लोकतंत्र दांव पर लगा है।

अध्यक्ष महोदय, आपने आह्वान किया है। हम स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ें। ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें न भय हो, न भूख हो, न भ्रष्टाचार हो। ऐसा भारत हमारे प्रयासों की प्रतीक्षा कर रहा है। हम संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और दावा ठीक भी है। संख्या की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन अगर कोई विदेशी हमारे सदन की लॉबी में बैठकर देखे, जिस दिन हमारे सदस्य पूरे जोर में हों, हमारे लोकतंत्र के बारे में क्या राय बनाएगा।

मैंने सभी नेताओं को, सदन में अलग-अलग दलों के नेताओं को एक पत्र लिखा है। मैं बरसों से इस सदन में मांग करता रहा हूं कि अगर हमें बाहर के वातावरण को प्रभावित करना है तो इस सदन को ठीक तरह से चलाना चाहिए, शालीन तरीके से चलाना चाहिए चाहे कोई भी सरकार हो। क्या जरूरी है कि प्रश्न काल में ही शोर-शराबा कर दिया जाए? प्रश्न काल तो सदस्यों का काल है। उसमें मंत्रियों को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन शोर-शराबा किये बिना खबर नहीं बनती है। खबर बनाने के चक्कर में हम लोकतंत्र से बेखबर हो रहे हैं। मैंने तीन सुझाव रखे हैं। प्रश्न काल में उपद्रव नहीं होना चाहिए और किसी को वैल में नहीं जाना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में व्यवधान नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन आपका रोष देखा। मैं 1957 से हूं। कभी-कभी इच्छा होती है कि इस सदन में बैठना नहीं चाहिए। लेकिन "न दैन्यम् न पलायनम्।" हम भाग तो नहीं सकते। मगर ठीक तो कर सकते हैं। क्या यह जरूरी है कि वैल में बिना जाए खबर नहीं बनेगी? बनेगी, बनानी चाहिए। मीडिया को भी इस बात की आदत डालनी चाहिए। नौजवान क्या कहेंगे, नई पीढ़ी क्या कहेगी। विधान मंडलों में क्या हो रहा है? चप्पलें फेंकी जा रही हैं। किसी को मुर्दा बनाकर ले आए और टेबल पर लिटा दिया। मैं एक दल को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं इस सवाल पर अपने दल से भी जूझता रहा हूं। श्री चटर्जी मोशाय जानते हैं। लेकिन मैं हार मान लेता हूं। वे कहते हैं कि और तो रुकते नहीं हैं। अरे, और नहीं रुकते तो आप तो रुकिए। मगर सब मिलकर सामूहिक फैसला कर सकते हैं। अगर लोकतंत्र की रक्षा होनी है तो उसका आरंभ सदन से होना चाहिए हमारे अपने व्यवहार से होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आज विरोधी सत्ता में हैं। विरोधी तो ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। कोई दूसरा आए, कोई चिन्ता नहीं है। लेकिन आचार का एक मानदंड, व्यवहार की एक कसौटी, संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का आगे बढ़ने का एक तरीका होना है।

आपने अपने भाषण में उल्लेख किया है, कितना समय हम शोर-शराबे में खर्च कर देते हैं। कानून तो बनते ही नहीं हैं। शायद सरकार सोचती है कि कानून बनेंगे तो उनका उल्लंघन होगा इसलिए बनाओ ही नहीं। गंभीर विषय पर चर्चा भी नहीं होती। यह तो आपने विशेष आयोजन किया है, इसलिए हम सब लोग बैठकर सुन रहे हैं। अन्यथा जब गंभीर चर्चा का विषय आता है तो सदन खाली हो जाता है। कोरम की घंटी बजती है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर हम चर्चा चाहते थे। डिफैंस बजट पर बहस का मौका नहीं मिलता। विदेश मंत्रालय की मांगों पर भी बहस का मौका नहीं मिलता।

आपने समय दिया है। मुझे विश्वास है कि जनसंख्या जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा करने का अवसर मिलेगा, कोई निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। कितने प्रश्न हैं जो अनुत्तरित पड़े हैं। कितनी चुनौतियां हैं जो हमारा सामना कर रही हैं। राजनैतिक मतभेदों के बावजूद कुछ मामलों में सबको मिलाकर चलने की जो हमारी पुरानी पद्धति है, वही लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का हमने आयात नहीं किया है, पंच परमेश्वर की पुरानी कल्पना है। शास्त्रार्थ के आधार पर फैसले होते थे। यह इस देश की विरासत है। लेकिन हमने राष्ट्रीय पंचायत को मछली मार्किट बना दिया है। यह स्थिति बदलनी चाहिए। यदि चार दिन का यह विशेष अधिवेशन हमें लेखा-जोखा मिलाते हुए इस परिणाम पर पहुंचता है कि यद्यपि हमारी उपलब्धियां हैं और हम उन उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं।

लेकिन जनता की अपेक्षाएं उससे ज्यादा हैं, जनता की आवश्यकताएं उससे भी ज्यादा हैं और अगर हम सब मिलकर उन अपेक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते तो आने वाला भारत हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने तीसरे सुझाव के बारे में कुछ कहेंगे? आपके तीन सुझाव थे। दो में आपने कहा, तीसरे सुझाव प्रेजीडेंशियल एड्रैस के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बाद में मैंने चर्चा की तो मुझे लगा कि जो तीसरा सुझाव है, वह यह था कि जब राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करने के लिए आते हैं तो उनके सामने कोई अशोभनीय दृश्य नहीं होना चाहिए, मगर मैंने देखा कि इस पर सहमति है और हम अभी तक इस बात का ध्यान रखते रहे हैं। मगर जो दो सुझाव पहले के हैं, वे बड़े महत्वपूर्ण हैं और आपसे सम्बन्धित हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति पर विचार करती है।"

श्री माधवराव सिंधिया

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय, 50 वर्ष पूर्व ...*(व्यवधान)* जी हां, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन ग्वालियर के ही हैं और पहली बार एक ऐसे सैशन को ओपन कर रहे हैं, जहां मैं सोचता हूं कि विचारधारा और दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, व्यापक रहना चाहिए और राष्ट्र के समक्ष जो ऐसे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के कारण राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, उन मुद्दों पर चिन्तन करके इस सैशन के पश्चात् हम सब संयुक्त रूप से यह संकल्प लें कि हम एकजुट होकर उस परम्परा को जागृत करने का प्रयास करेंगे, जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो सपने थे, उन सपनों को आप और हम सब मिलकर साकार रूप दे पायें।

50 वर्ष पूर्व हमारे राष्ट्र ने गुलामी को जंजीरों को तोड़कर आजादी के प्रकाश में प्रवेश किया। एक नया सफर भारत का प्रारम्भ हुआ। पांच हजार वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है, पर 50 वर्ष पूर्व भारत ने आधुनिक युग में अपना पहला कदम लिया। यह उस तारीख का महत्व है, उस समय का महत्व है और आज मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज मैं इस संसद् का सदस्य हूं और इस चर्चा में भागीदार बनने का सौभाग्य मुझे मिला है।

यह समय है कि हम हमारे राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ को त्यौहार मानकर मनायें। यह समय है कि हम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मरण करें, जिन्होंने सब कुछ त्याग और बलिदान करने का निर्णय लिया और जिसके कारण आज हम एक आजाद राष्ट्र हैं। आजादी के पश्चात् वाली पीढ़ी की ओर से मुझे लगता है कि अब हम सब को नतमस्तक होकर उनका नमन करना होगा, स्मरण करना होगा और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी होगी। आज समय है कि हम राष्ट्र की उपलब्धियों, सफलताओं पर एक निगाह डालकर आत्मविश्वास ग्रहण करें।

जैसे वाजपेयी जी ने कहा, जो विनाशकाल के मसीहा हैं, उनकी देश में कोई कमी नहीं है। हमारी कमियों का हम निश्चित रूप से आकलन करें। पर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस राष्ट्र ने प्रगति की है, इस राष्ट्र ने विकास किया है और हम आगे बढ़ते रहेंगे, यह हमारा संकल्प है। उसमें से हमको एक आत्मविश्वास ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो समय-समय पर विनाशकाल के जो मसीहा हैं, उनके विचारों को सुनकर कभी-कभी मनोबल टूट जाता है और जिस राष्ट्र में मनोबल टूट जाये, वह राष्ट्र कभी सफल नहीं हो सकता और इसलिए वह आत्मविश्वास हमको अपनी उपलब्धियों पर निगाह डालकर, उनका जायजा लेकर ग्रहण करना होगा।

साथ ही साथ यह समय है आत्मचिन्तन का और उस आत्मचिन्तन की प्रक्रिया के अन्तर्गत हमारी क्या-क्या कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को समझते हुए हमको यह संकल्प लेना होगा कि उन कमजोरियों को दूर करने का हम प्रयास करें। यह इसीलिए आज एक बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने यह विशेष सैशन इस उपलक्ष्य में आज आयोजित किया।

भारत ने क्या-क्या सफलताएं प्राप्त कीं? आज इन्फ्रास्ट्रक्चर की तरफ से हमारे जो बुनियादी साधन हैं, जो बुनियादी एक स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत प्रगति की है। भारत का संख्या की दृष्टि से सैकिण्ड लारजैस्ट टैक्नीकल स्किल्ड मैनपावर, प्रशिक्षित लेबर भारत की है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत ने दसवां स्थान ग्रहण किया है, उन देशों के आंकड़ों के अनुसार, जिन्होंने औद्योगिक क्रान्ति सफलता से अपने देश में पूर्ण की है। साइंस और टैक्नोलोजी के क्षेत्र में आज हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए कि भारत उन मुट्ठी पर भर देशों में से है, जिनके उपग्रह आज भी अन्तरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक एक बार नहीं, सैंकड़ों बार अंटार्कटिका गये हैं। अणुशक्ति का नियंत्रण शांतिपूर्वक लक्ष्यों के लिए भारत ने सफलता से प्राप्त किया है। पूरे विश्व में जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनमें चार में से एक भारतीय है। हमारी कई उपलब्धियां हुई हैं, कई

सफलताएं हैं और इनका आकलन करके हम अपने दिल में एक भरोसा बनायें कि हमको कोई रोक नहीं सकता। हम सफलता से आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, यह हम अपने दिल और दिमाग में बनायें।

लेकिन साथ ही साथ हमारी कमजोरियों को मानते हुए उन कमजोरियों को भी हटाने का प्रयत्न करेंगे, यह संकल्प हम साथ-साथ ले लें। अटल जी ने डैमोक्रेसी की बात कही। यह बहुत बड़ी बात है, 95 करोड़ जनता है, सफलता से लोकतांत्रिक प्रणाली चली और पिछले वर्ष दो हफ्ते के अन्दर-अन्दर तीन-तीन सरकारें शान्तिपूर्वक ढंग से परिवर्तित हुईं। यह एक विशेषता है। आज हमारा मतदाता जागरूक है, आज हमारा प्रैस निष्पक्ष है। जी हां, अध्यक्ष महोदय, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमें एक पार्टी कार्यकर्ताओं के नाते गर्व है कि भारत की जनता ने भारत के नागरिकों ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इन 50 वर्षों में कांग्रेस को 42 वर्ष राष्ट्र सेवा करने का मौका दिया। यह हमें गर्व है। हमारी कांग्रेस के कुछ ऐसे नेतागण थे, महान विभूतियां थीं, उनको राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया। जवाहरलाल नेहरू ने बुनियादी ढांचा डाला जिसके कारण आज हमारे सामने वह विकल्प है कि हम अपना रास्ता चुन सकते हैं। इंदिरा गांधी, जिन्होंने राष्ट्र को दिशा दी। ये सब उपलब्धियां जो हैं, यह इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े-बड़े बांध, बड़े-बड़े विद्युतघर मुट्ठीभर अमीरों तक ही न पहुंचें। इंदिरा गांधी ने वह एक दिशा दी क्योंकि कभी-कभी बहुत बड़ी गलतफहमी इस देश में होती है। मैं सम्पन्न परिवार का हूं। पर मैं दावे से यह कह सकता हूं कि अगर मुट्ठीभर सम्पन्न परिवारों को यह लगे कि हम अनन्तकाल तक सम्पन्नता के टापू पर आनंदित जीवन बिता सकते हैं और दरिद्रता के समुद्र से घिरे हुए हैं, तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी है क्योंकि एक दिन वह दरिद्रता का समुद्र उस सम्पन्नता के टापू को भी खा जाएगा। इसीलिए इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को नई दिशा दी और गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। यह बहुत बड़ी बात है। फिर हमारे लोकप्रिय नेता राजीव गांधी आए जिन्होंने इसके आधार पर भारत को एक आधुनिक स्वरूप देने का प्रयास किया। अपनी पुरानी संस्कृति की एक बुनियाद बनाते हुए राष्ट्र को नवनिर्माण की दिशा दी, ताकि आधुनिक युग में हमारा देश प्रथम पंक्ति में जाकर बैठे। उन्होंने अपने जीवन में यह प्रयास किया। आज हमें गर्व है उन महान नेताओं पर, आज हमें गर्व है हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जिन्होंने बल और शक्ति प्रदान की। आज भी हम यह कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र में भी जहां कांग्रेस की पराजय हुई हो, वहां भी हमें गर्व है कि हम एकमात्र वह पार्टी हैं जिसका प्रत्येक गांव में प्रतिनिधि बैठता है, निवास करता है। एक भी ऐसा गांव नहीं है, जहां कांग्रेस का प्रतिनिधि न हो। उन पर हमें गर्व है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा देश, हमारा राष्ट्र गर्व का जीवन बिता सकता है। मुझे याद है जब मैं राजनीति में पहले-पहले आया था। यह 1965-66 की बात है। उस समय पूरे देश में भयंकर अकाल पड़ा था। हमारे प्रतिनिधियों को वाशिंगटन जाना पड़ा, अपनी झोलियां फैलानी पड़ीं और पी.एल. 480 अनाज लाकर हम अपने राष्ट्र को भुखमरी से बचा पाए। इंदिरा गांधी ने उस समय प्रण लिया कि भविष्य में यह बात कभी दुहराई नहीं जाएगी। उन्होंने हरित क्रांति का नारा दिया। भारत के किसान और भारत के खेतीहर मजदूरों ने एड़ी-चोटी के पसीने को एक करके इस देश को अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया। आज हमारे देश में 200 मिलिटन टन अनाज उत्पादित होता है। परंतु हमें भविष्य के 50 सालों की ओर देखना है।

प्रकृति की दृष्टि से हमारा राष्ट्र एक सम्पन्न राष्ट्र है। प्रकृति का अपार भंडार राष्ट्र को उपलब्ध है। उसके आधार पर अगले 50 वर्षों में राष्ट्र का एक सुनहरा भविष्य बन सकता है। पर एक जो विशेषता मैं सोचता हूं राष्ट्र की सफलता के लिए होनी चाहिए, वह चार विशेष बिंदु हैं, जिन पर ध्यान देकर हम राष्ट्र को शक्तिशाली बना सकते हैं।

[अनुवाद]

हमें चार बातों में देश को मजबूत बनाना है। देश की राजनीतिक सुदृढ़ता और स्थायी प्रगति हो, देश की सामाजिक एकता में प्रगति हो। देश सैनिक बल की दृष्टि से शक्तिशाली हो, रक्षा मंत्री।

[हिन्दी]

सैनिक बल की दृष्टि से हमें शक्तिशाली होना होगा और पोलिटिकल, सोशल, मिलिटरी और इकॉमोमिक स्ट्रैन्थ अर्थात् आर्थिक विकास ये चार बिन्दु हैं। आज हम राष्ट्र के मंच पर देखते हैं तो राजनैतिक दृष्टि से यह हमें मानना होगा कि अस्थिरता फैली हुई है। क्षेत्रीयवाद को दिन-प्रतिदिन बढ़ावा दिया जा रहा है। राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, जातिवाद और साम्प्रदायिकता की भावना बढ़ती जा रही है। यह जहर है। इस पर विस्तार से अटल जी ने कुछ प्रकाश डाला है। मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि कोई न कोई कदम हमको उठाने होंगे। इस पर हमको चिंतन करना होगा। जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति ने जब यह बात कही : अपराधी व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। उसमें हमको कोई ठोस कदम उठाने होंगे। मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि 4000 एम.एल.ए. में से वर्तमान स्थिति में 700 ऐसे एम.एल.ए. हैं जो हिस्टरी शीटर्स हैं। 14000 केंडीडेट्स ने चुनाव लड़ा। उसमें से 1500 के क्रिमिनल रिकार्ड हैं और हम सब

इससे प्रभावित हैं। मैं कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जहां-जहां हम करप्शन देखें, इसके विरोध में हमको ठोस कदम उठाने होंगे।

अभी अटल जी ने लाल किले से गुजराल साहब के ऐलान की बात कही। एक तरफ तो करप्शन के अगेंस्ट आंदोलन और उसके बाद टिप्पणी करते समय उन्होंने कहा कि सिर्फ कहने से नहीं चलेगा। सिर्फ कथनी नहीं करनी की आवश्यकता है। मैं यह बात मानता हूं और आपकी तरफ भी हम मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र में आप भी प्रयास करिए और हमको रास्ता बताइए। जहां-जहां आज की स्थिति में आपका वर्चस्व है, कम से कम वहां तो आप प्रयास कर सकते हैं। हमको आप रास्ता बताइए क्योंकि यह बहुत जटिल रास्ता है। यह आसान रास्ता नहीं है और मैंने कुछ ....*(व्यवधान)* जी हां, मध्य प्रदेश, ...*(व्यवधान)* मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं पार्टी वाले मामले में नहीं पड़ना चाहता। मैं प्रयास कर रहा हूं कि पार्टी से हम कुछ ऊपर उठें। अटल जी ने भी एमरजेंसी की बात कही। मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं। ...*(व्यवधान)* लेकिन मध्य प्रदेश में भी हमने बी.जे.पी. का शासन देखा है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हम तो कहते हैं कि हम सब इस बीमारी से प्रभावित हैं। हम सबको एक रास्ता ढूंढ़ना होगा। हम कहां कहते हैं कि एक पार्टी बिल्कुल शुद्ध है? हम समाज के टुकड़े हैं। हम आसमान से तो नहीं टपके। समाज में जो चित्र हैं, उसको हम प्रतिबिम्बित करते हैं और इसीलिए हम सब प्रभावित हैं। भाइयो और बहनों, कृपया यह मत कहिए कि पार्टी वाला मामला है। जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है, उसमें हमको ठोस कदम उठाने होंगे लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी हम याद रखें कि जहां-जहां हमको भ्रष्टाचार मिले, हम उसका कड़ा विरोध करें। लेकिन राष्ट्रीय एजेंडा पर इसे अपना एक सूत्रीय कार्यक्रम मत बनाइये। नेशनल एजेंडा में दूसरे बहुत से महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। इसको भी बनाइए और अपनी कार्य सूची में इसको भी प्राथमिकता दीजिए। पर दूसरी सब बातों को नज़रअन्दाज करते हुए, मात्र एक बात पर हम लगे रहें, यह भी मैं नहीं सोचता हूं, उचित होगा। भ्रष्टाचार को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, पर छवि भी हमारी इस तरह की बन रही है कि कभी-कभी जवाब देना बहुत कठिन हो जाता है। 14 अगस्त की रात्रि को बीबीसी पर मेरा इन्टरव्यू था। तीन मिनट के इन्टरव्यू में, इन्टरव्यूअर ने जवाब देने के लिए समय नहीं दिया, उसने यही कहा कि—''माननीय सिंधिया जी, विश्व के भ्रष्ट देशों में हमारा आठवां स्थान है।'' क्या हम चाहते हैं कि हमें भ्रष्ट कहा जाये? हम लड़ें, हम जूझें, हम लोगों को दंड़ित करें। एजेंडा में यही एक विषय नहीं है। करप्शन को मिटाना हमारा प्रथम कर्तव्य है, पर साथ-ही-साथ हमारे दूसरे आइटम्स भी उपेक्षित न हो जायें। मैं बीबीसी के कॉरसपोंडेट को यही कहना चाह रहा था, मुझे समय नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार दूसरे देशों में नहीं है। अटल जी ने भी यही कहा। पर आपको हमारी तारीफ करनी चाहिए कि हम एक खुली सोसायटी में ट्रांसपैरेंट तरीके से, खुले रूप से भ्रष्टाचार का मुकाबला करते हैं। हम इसके बारे में वर्णन करते हैं। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर हमें बधाई दें न कि इसकी आलोचना करें। ग्रेट ब्रिटेन में कुछ संसद सदस्य प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत लेते हैं, तो हम तो नहीं कहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन विश्व में भ्रष्टतम देश है। इसलिए हमको एक सन्तुलन रखना होगा। एक बैलेंस हमको रखना होगा।

महोदय, हमारी जो सामाजिक एकता है, सामाजिक ढांचा है, सोशियल फैब्रिक है, इस सोशियल फैब्रिक को अस्त-व्यस्त किया जा रहा है। यह विखण्डित होती जा रही है। हम अपनी राजनीति को विखण्डित कर रहे हैं—भारतीय राजनीति का विखण्डन। छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं। पचास साल पहले अगर यही प्रवृत्ति होती, यही रवैया होता, तो आज भी हम गुलाम होते। पूज्य बापू जी ने जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा, इसलिए हम अंग्रेजों को उखाड़ फेंक कर वापिस भेज पाए, क्योंकि राष्ट्र एक था। आज दुर्भाग्य से वह एटोमाइजेशन, वह विखण्डता की प्रक्रिया अब प्रारम्भ हुई है, इसको भी रोकना अत्यन्त आवश्यक है। धर्म के आधार पर क्या नहीं किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी राजनीति में घसीट लिया है। एक हिन्दू के नाते मुझे आपत्ति है कि हमारे धर्म को कुछ पार्टियों और कुछ तत्वों ने तोड़-मरोड़कर उसकी व्यापकता को समाप्त करके संकीर्ण रूप में प्रस्तुत किया है। मैं उन पार्टियों और उन तत्वों को याद दिलाना चाहता हूं कि हिन्दू धर्म में व्यापकता है, संकीर्णता नहीं। हमारी भारतीय परम्परा थी, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को गोद में समेट कर पालपोस कर बड़ा करेंगे और एक सामान्य जीवन तथा समानता का जीवन बिताने का अवसर देंगे। वह संकीर्णता कभी इस धर्म में नहीं आई। स्वामी विवेकानन्द जी ने अपने धर्म पर गर्व करते हुऐ कहा था, ''मेरा धर्म मुझे अधिकार देता है'' मुझे अधिकार देता है कि मैं अपने ईसाई भाई के साथ चर्च में जाकर क्रॉस के सामने नतमस्तक होकर नमन करूं, कि मैं अपने मुसलमान भाई के साथ मजिस्द में जाऊं, कि मैं अपने बौद्ध भाई के साथ, परमपूजनीय बौद्ध भगवान का जो प्रवचन था, उसमें कुछ राहत महसूस करूं, कि मैं अपने हिन्दू भाई के साथ वन और जंगल में जाकर चिन्तन कर पाऊं। मेरा धर्म मुझे यह अधिकार देता है। मैं आपको कहना चाहता हूं मुझे भयंकर आपत्ति है जिस तरह से हिन्दू धर्म को प्रस्तुत किया गया है और जिस तरह से हिन्दू धर्म को राजनीति में घसीटने का प्रयास किया गया है, ऐसे लोगों से हमको जूझना होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे गर्व है कि मैं हिन्दू हूं परन्तु साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश में निवास करता हूं जहां मुसलमान इस्लाम पर गर्व कर सकते हैं, जहां मेरे ईसाई भाई ईसा-मसीह पर गर्व कर सकते हैं और जहां मेरे सिख भाई गुरुनानक देव का जप कर सकते हैं। यह मेरा देश है, इस देश को आपने क्या बनाया है? आपने क्या प्रयास किया है? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, परन्तु इसको जो समझ सकते हैं वे समझें।

अध्यक्ष महोदय, जो सेक्यूलरिज़म है वह एक एंटी स्लोगन रह गया है। अब धर्मनिरपेक्षता में लोग सोचते हैं यह कहने वाली बात है। हम चाहते हैं कि उस धर्मनिरपेक्षता को शरीर दिया जाए। इस धर्मनिरपेक्षता को एक शरीर प्रदान किया जाय। हमें माइनोरिटीज़ के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और यह मेजोरिटी कम्यूनिटी के इंटरस्ट में है। अपने आपको माइनोरिटीज़ सुरक्षित महसूस करे। वे इस राष्ट्र के बराबर के नागरिक हों, यह उन पर एक मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव पड़े, हमको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष शिक्षा अभियान चलायें। एक विशेष शिक्षा अभियान होना चाहिए। जहां तक रोजगार का सवाल है, यह सबसे ज्यादा कागजी बात रह गई है कि हरेक चयन समिति के ऊपर अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व रहे, वह नहीं रहता। हमें यह आवश्यक बना देना चाहिए कि पी.एस.यू. या सरकारी सेवाओं हेतु किसी भी चयन समिति की बैठक नहीं होगी जब तक कि उस कक्ष में अल्पसंख्यकों का कोई प्रतिनिधि न उपस्थित हो। पुलिस फोर्सेस में भर्ती, ताकि साम्प्रदायिक तनाव के समय में लोगों में विश्वास हो। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस बलों में भर्ती हो। गुजराल साहब की कमेटी उर्दू के विस्तार पर थी। अभी भी हम उसको क्रियान्वित नहीं कर पाए हैं। उसके बाद जरूर एक जाफरी कमेटी और सरकार कमेटी बनी कि आपके रिकोमेडेशंस कैसे क्रियान्वित हों, उसके रिकोंमेडेशंस भी क्रियान्वित नहीं हुए। उर्दू का विस्तार किया जाए। हमें सभी को यह महसूस कराना है कि वे इस राष्ट्र को सशक्त बनाने की प्रक्रिया के अविभाज्य अंग हैं। मैं यही सोचता हूं कि हमारा अंतिम मंत्र इस राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना, सशक्त बनाना और सफल बनाना है, हमें इस ओर ध्यान देना होगा। हमें पिछड़े वर्गों के बारे में गर्व है, जब केसरी जी कल्याण मंत्री थे तो उस समय आरक्षण की व्यवस्था की स्थापना हुई। हम इस बात को मानते हैं, आप नार्थ ब्लाक, साउथ ब्लाक जाइए वहां जो नामपट हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। हमको यह बात माननी होगी कि ऐसे वर्ग हैं, ऐसे पिछड़े वर्ग हैं, ऐसी दूसरी जातियां हैं जिनको अधिकार और निर्णय लेने की प्रक्रिया से वंचित रखा गया है और इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कांग्रेस ने हर समय पहल की और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हम चाहते हैं कि एक विशेष अलग से कमीशन बने। इसके साथ ही साथ उनकी जो औद्योगिक गतिविधियां आदिवासी क्षेत्रों में होती हैं उसका प्रत्यक्ष लाभ हमारे आदिवासियों को पहुंचता रहे। उनका जो सांस्कृतिक और भावनात्मक व्यक्तित्व है उसको सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो।

सामाजिक दृष्टि से हमारा एक ही संदेश है, और वह है सर्ववाद। उसके दो आधारभूत स्तम्भ हैं। एक है, गरीबी हटाने का, गरीबों की स्थिति में सुधार लाने का और दूसरा है सामाजिक न्याय प्रदान करने का। गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय दिलाने के दायरे में जो-जो आते हैं चाहे हमारी नीतियां हों, प्रोग्राम हों या योजनाएं हों, उनको हमें प्राथमिकता देनी होगी। आर्थिक सवालों के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। उसमें मात्र कुछ विचारों का अंतर है। ओपन-एंडिड-ग्लोबलाइजेशन, खुले द्वार, उदारवादी जो आर्थिक नीतियां हैं वह कुछ क्षेत्रों तक निश्चित रूप से लागू होनी चाहिएं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्यूनिकेशन, पावर, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स और उसके पश्चात् जब तक आप इंडियन इंडस्ट्री को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे तब तक यह खतरा है कि उन पर कब्जा हो सकता है। अभी मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि 1991 में भारत में जो 200 लीडिंग कंपनियां थीं उनमें से 15 कंपनियां विदेशी हाथों में थी लेकिन आज 200 में से 50 कंपनियां विदेशी हाथों में पहुंच चुकी हैं। मैं सोचता हूं कि इनके लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए।

[अनुवाद]

आपके धन की ब्याज दर बहुत अधिक है, यह बहुत ज्यादा है। आपके ब्याज की दरें ज्यादा हैं। आपकी बिजली नहीं मिलती; बिजली की दरें अंतर्राष्ट्रीय बाजार दरों से अधिक हैं।

[हिन्दी]

ये सब बातें, पांच वर्ष में आप उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दीजिए तो भारत का श्रमिक और मजदूर किसी भी तरह के कम्प्टीशन का सामना करने में सक्षम हैं। वह स्थिति आपको उन्हें देनी होगी। तब तक हमें सावधान होकर चलना होगा। साथ ही साथ आपको कुछ न कुछ रेलूगलेटरी मैकेनिज्म की भी स्थापना करनी होगी। जो स्कैम होते रहते हैं, उनका कारण यह है कि उनकी निगरानी की व्यवस्था अब तक रखी नहीं गयी है।

सैनिक बल की दृष्टि से मैं सोचता हूं कि आज उपयुक्त वक्त है क्योंकि पिछले दो दिनों से पाकिस्तान की ओर से भयंकर फायरिंग हो रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे रक्षा मंत्री ने इस बात का ऐलान किया है कि हम सबसे मैत्री चाहते हैं लेकिन किसी ने अगर हमारे ऊपर आक्रमण किया, किसी ने संघर्ष में जूझने का प्रयास किया तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम अपने आर्मी के जवानों की तारीफ करते हैं कि उन्होंने हमारे मान-सम्मान को सुरक्षित रखा है।

अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि हम एक सम्प्रभू राष्ट्र हैं और सुरक्षा की दृष्टि से जो-जो कदम प्रधान मंत्री गुजराल साहब उठाना चाहते हैं वे उठाएं। किसी को एक्सप्लेनेशन देने की उनको आवश्यकता नहीं है। हमारा पृथ्वी मिसाइल हैदराबाद से कुछ आगे बढ़ा तो वाशिंगटन पोस्ट ने यह बात लीक कर दी तो हमारे यहां से स्पष्टीकरण दिया गया कि, नहीं-नहीं वह सीमा पर नहीं जा रहा है वह तो मात्र स्टेरेज बेस पर था। हम तो यह कहते हैं कि पृथ्वी मिसाइल है तो सीमा पर उसको तैनात किया जाए। हम सम्प्रभु राष्ट्र हैं तो क्यों नहीं उसको सीमा पर तैनात किया जाए। अग्नि के बारे में जो टैक्नोलोजिकल डैमोस्ट्रेशन की बात कहीं गई, तो रक्षा मंत्री ने कुछ दिनों पहले स्पष्ट किया कि वह टैक्नोलोजिकल डैमोस्ट्रेशन वाला मामला नहीं रहेगा। हम एक सम्प्रभुता-सम्पन्न राष्ट्र हैं। हमारा देश सम्प्रभुता सम्पन्न देश है। हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार है। हमें अपनी सैन्य शक्ति लगा देनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हम दूसरे देशों पर आक्रमण करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि मैत्री हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी हम एक शक्तिशाली देश बनकर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। एक शक्तिशाली स्थिति बनाकर हम वह मैत्री का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमें अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में संकोच नहीं करना चाहिए। हम किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहते लेकिन किसी को एक्सप्लनेशन देने की आवश्यकता नहीं है चाहे वह विश्व का सबसे पावरफुल राष्ट्र ही क्यों न हो? चाइना की एस-एस मिसाइल तैनात है। हत्फ मिसाइल-III जो 800 किलोमीटर की दूरी पर जा सकती है, उसका पाकिस्तान ने टैस्ट फायर किया है। हमको अपना न्यूक्लियर ऑप्शन भी समय-समय पर री-एग्जामिन करना होगा। आपने सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत नहीं किए, इसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। अमेरिका ने सी.टी.बी.टी. के अंतर्गत अपने आणविक हथियारों को परिष्कृत करने के लिए सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के बाद कुछ अग्नि परीक्षण किये हैं।

मैं अंत में मात्र यह कहना चाहता हूं कि विश्व में तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। इतनी तेजी से कि अगर हम आपसी मतभेद में जूझते रहें तो किसी दूसरे के पास अपना समय बर्बाद करने का समय नहीं है। हमको सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण और प्रवृत्ति अपने दिल और दिमाग में पैदा करनी होगी। हमें विश्वास है कि इस सैशन में जो एक एजेंडा उभर कर आएगा, उसके कार्यान्वयन में मात्र हम नहीं अपितु हमारे सभी नागरिकगण जुट जाएंगे। मैंने एक छोटा सा एजेंडा बनाया है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मूल्यों के आधार पर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमैंट्री एजुकेशन, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, प्रत्येक के द्वार पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना हमारा ध्येय होना चाहिए। ये फेज्ड प्रोग्राम होने चाहिए चाहे आप इसको पूरा करने का लक्ष्य 2005 या 2010 रखें। अभी भी विश्व के 33 परसैंट नेत्रहीन भारत में निवास करते हैं। अपहोल्डिंग दी रूल ऑफ लॉ, मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों पर विशेष जोर देते हुए एक संतुलन कायम करना होगा। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच इसे सुरक्षित रखना होगा। कभी-कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिन से कभी-कभी चिन्ता महसूस होती है। चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, हमको एक परिपक्व आत्मनियंत्रण इस्तेमाल करना होगा। एक मैच्योर सैल्फ-रैस्ट्रेन्ट पापुलेशन की बात होने वाली है। फाइटिंग करप्शन ऐंड क्रिमिनल चार्जिस की तरफ ध्यान देना होगा। इलैक्शन लॉ में फेर-बदल करना बहुत जरूरी है। अभी इस सम्बन्ध में वाजपेयी जी ने काफी अच्छे सुझाव दिए। राजीव जी ने शासन के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत एम्पावरमैंट ऑफ वुमैन को लागू किया था। हमारा यह मत है कि इसको असेम्बली और पार्लियामेंट में भी लागू किया जाए। इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद है। इसको सुलझाया जा सकता है। इस पर बैठकर चर्चा हो ताकि एक आक्रामक और उत्तेजित वातावरण में वह पास न हो। इस पर मिल-बैठकर और सोचकर परिवर्तन लाना चाहिए लेकिन एम्पावरमैंट ऑफ वुमैन होना चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय का मंत्री होने के नाते मैंने बीजिंग और बाली में इसका कमिटमैंट किया था। प्रैगमैटिक लिबरलाइजेशन टू सूट दी कंट्री, व्यावहारिक उदारीकरण, रूरल डैवलपमैंट और रूरल इनफ्रास्ट्रक्चर, शासन का विकेन्द्रीकरण, इन सब को अपनाना होगा। डेलीगेशन ऑफ एथॉरिटी बट एकाउंटेबिलिटी विशेषकर ब्यूरोक्रेसी में लानी होगी। डिफेंस ऐंड सिक्योरिटी इशूज पर मैत्री के चलते शक्तिशाली स्थिति अपनानी होगी।

अंत में हमें एक टैक्नोलॉजिकली एडवांस्ड विकसित समाज और राष्ट्र बनाना होगा जो कि जागरूक हो।

सूचना, संचार और अन्तरिक्ष पर विशेष ध्यान देते हुये, अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया है। मैं आपसे मात्र पांच मिनट और चाहूंगा। हमारा देश जो है, उस पर हमें गर्व करना होगा, यह गर्व हमें दिल में पैदा करना होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 39 मिनट ले चुके हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : आपने मुझे 40 मिनट तक बोलने की अनुमति प्रदान की है।

अध्यक्ष महोदय : आप 39 मिनट ले चुके हैं। एक मिनट शेष है।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : हमारा राष्ट्र पांच हजार वर्ष पुराना राष्ट्र है। थर्ड सैंचुरी बी.सी. में सुश्रुत की जब बात की जाती है, जहां सिजेरियन सर्जरी की बात की जाती है, जहां सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाती है। फोर्थ सैंचुरी ए.डी. गुप्त पीरियड में ज़ीरो का कांसैप्ट भारत में पैदा हुआ था और उसी सैंचुरी में डैसीमल पाइंट, जिसको अभी भी अरब देशों में हिन्दूसार कहा जाता है, उसी डैसीमल पाइंट का कांसैप्ट भारत से निकला था। हिन्दूसार भारत से आया हुआ है। सात सैंचुरी में ह्वानसांग, जो चाईनिज एक्सप्लोरर थे, उन्होंने नालंदा की बात कही। यह हमारी महानता थी। हमारी इस पीढ़ी को इस सैशन में यह निर्णय और संकल्प लेना होगा क्योंकि हम इस पीढ़ी के, इस राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठे हैं। इस पीढ़ी को यह निर्णय लेना होगा जो आपने आह्वान किया है। विकास के लिए भूख, भ्रष्टाचार और गरीबी के प्रति दूसरा स्वतंत्रता संघर्ष करे। उस फ्रीडम स्ट्रगल से प्रेरणा पाते हुये हम जूझें और इस भारत को हम विश्व की प्रथम पंक्ति में जाकर बैठायें, यह संकल्प इस 50वीं वर्षगांठ पर हम सब को लेना होगा। यह प्रण हमको लेना होगा और हमें विश्वास है कि दिल में और दिमाग में अगर कांफिडेंस बना लें, विश्वास बना लें तो विश्व में कोई शक्ति नहीं है जो हमको रोक पायेगी।

श्री शरद यादव

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आशाओं को सम्पूर्ण तौर पर ही आधार बनाना चाहिये। आपने अटल जी ने और सिंधिया जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह हमारी बीमारियों की तरफ भी है और हमारी उपलब्धियों की तरफ भी है। मैं इस मौके पर ज्यादा समय नहीं लेते हुये आपकी समय सीमा में ही अपनी बात को रखना चाहता हूं।

पहला सवाल है कि हम अपने 50 वर्ष बिता चुके हैं। उन बीते हुये और कालखंड की हमारी जो उपलब्धियां हैं, उन पर हमें गौरव करना चाहिये। आज हमारे देश में दुनिया के बाकी मुल्कों की तुलना में जो हालत है, उसे भी देखकर .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में व्यवस्था होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उस तुलना के साथ भी हमें अपने देश के बारे में विचार करना चाहिये। आज हमारी हालत क्या है? दुनिया भर में जो ज्ञान-विज्ञान ने तकलीफ में विकास किया है, वह हमारे मुल्क में भी आया है।

अपराह्न 1.00 बजे

उस विकास के आ जाने से यदि हम गौरव से भर सकते हैं तो फिर बहुत बड़ा अन्याय होगा। हमें इस देश के एक बड़े हिस्से को भी देखकर चलना चाहिए। आज 50 साल की आजादी के बाद मैं किसी को दोष नहीं देता। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। हजारों वर्ष बाद जब देश आज़ाद हुआ है, जब देश विशेषतौर पर आज़ादी के पचास साल मना रहा है तो निश्चिततौर पर बीमारियों से हमारा सामना होगा। आज साझा सरकार है और जब साझा सरकार है तो साझा सरकार क्यों आई और हम लोगों द्वारा जो काम चल रहा है, वह पचास वर्ष की उपलब्धियों पर चल रहा है चाहे वह नाकाम है चाहे वह उपलब्धियां हैं। आज हमारी हालत क्या है?

अपराह्न 1.02 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

चाहे गरीबी के मामले में हो, बेकारी के मामले में हो, चाहे दुनिया की तुलना में एवरेज जीडीपी के मामले में हो, हमारी हालत क्या है?

इसकी तुलना करने का काम यदि हम करें तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारे देश में आने वाले पचास वर्षों में हमें क्या करना चाहिए, इस पर हमें देखना चाहिए। अभी अटल जी ने और सिंधिया जी ने जो बहस चलाई, मैं उस बहस में अपनी बात जोड़कर रखना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में जो गरीबी है, आज घर बैठे बेकार नौजवानों की फौज आपको मिल जाएगी जो राजनीति में थोड़ा बहुत असर रखते हैं। गरीबी की हालत यह है कि वह बढ़ती जा रही है। हम अभी भी गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को आधे दाम पर अनाज नहीं दिला पाए हैं। हम ग्रीन रेवाल्यूशन लाएं। अनाज देश में है लेकिन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, उस हथियार के लिए भी हमें विचार करना पड़ेगा। जो स्टेट पावर है, हमारा जो इंतजाम है, उस इंतजाम को देखते हुए हमें यह महसूस करना पड़ेगा कि देश में अनाज है लेकिन लोग भूखे सो रहे हैं।

हमारे देश में सब तरह के रिसोर्सेज़ हैं, लेकिन चाहे वह ह्यूमन रिसोर्सेज़ हों, चाहे दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्किल हमारे हाथ में आ गया, इस सारी ताकत को सहेजकर, सोचकर हमें आने वाली योजनाओं का रुख बनाना चाहिए। मैं सोचता हूं कि यदि हमें मुल्क को बेहतर बनाना है तो पचास सालों में हमने मुल्क के जिन हिस्सों में इंसान की जिन्दगी को बेहतर बनाया, उस पर हमें देखना पड़ेगा कि वह किस रास्ते से बनी है। खनिजों से यह देश भरा हुआ है चाहे वह लोहा, अभ्रक, तांबा और कोयला हो। कोयला ऐसी चीज़ है जो खर्च होने वाली है। आज तेल ने हमारी जो हालत कर दी है इस पर हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा क्योंकि तेल के चलते देश को एक विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है चाहे कोई सरकार आए। आज हम लोग सरकार में बैठे हैं तो हमारी आलोचना करने का काम कर रहे हैं लेकिन तेल वाला जो मामला है, उस पर गंभीरता से सोचना चाहिऐ कि हम किस तरह से तेल के मामले में स्वावलंबी हो सकें। यह तेल का मामला यदि हमने नहीं सुलझाया तो दिन भर में गंगा जैसी बहती है, उससे ज्यादा तिहरी गंगा जो बहती है, उतना तेल हमारे देश में लोग खर्च कर देते हैं और वह तेल आधा हमारे यहां पैदा होता है और आधा हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। हमारे पास इस देश में क्या चीज हैं जिस चीज के आधार पर, जिस ताकत के आधार पर हम इस मुल्क में आगे बढ़ सकते हैं। यह समस्या है। जिन बाकी बातों को बताया मैं उनमें विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में तीन चीज़े हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ताकत है। एक तो इस देश में 60-70 फीसदी आदमी गांवों में बसे हुए हैं और गांव में उन आदमियों की रोजी-रोटी यदि चलती है तो खेत पर चलती है। इस देश में आठ या नौ फीसदी इंसान हैं जो बगैर रोजगार पाये दस्तकारी के धंधे में लगे हुए हैं चाहें वे ताला बनाते हों, चाहें वे पीतल के बर्तन बनाते हों, चाहे वे लकड़ी का सामान बनाते हों और चाहे वे दूसरी दस्तकारी करते हों। वे नौ फीसदी आदमी हैं और यदि सब तरह के लोगों को लगा लें जो परम्परागत धंधों में लगे हुए हैं जैसे लोहार हैं, बढ़ई हैं, कुम्हार हैं तो ये 11 फीसदी आदमी हो जाते हैं। हिन्दुस्तान की 80 फीसदी आबादी उत्पादन के काम में लगी हुई है। हमने 50 साल में अपनी नीतियों से मिसाइल तो जरूर बनाये हैं। हमने विकास यदि किया है तो वह यदि कहीं कार, गाड़ी या इंजिन बन गया है तो हम उसको यहां जरूर लाये हैं। इसे यदि विकास कहना चाहते हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन फिर हम ठीक बात नहीं कह रहे हैं। दुनिया में यदि कहीं साइकिल बन गई तो आज वह इस देश में आ गई तो वह विकास नहीं है। दुनिया में सब चीज होती है तो दुनिया उसके साथ-साथ खिंच जाती है और उस खिंची हुई दुनिया में यदि हम मानें कि हमारा विकास हो गया है तो यह ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं अटल जी का भाषण सुन रहा था। हमारे पास गौरव लायक बहुत चीजें हैं। लेकिन यह सारा गौरव रहते हुए हम हर चीज में आज दुनिया में कहां खड़े हैं। आज हमारे प्रधान मंत्री हैं, कल अटल जी बन जाएं। पहले श्री नरसिंहराव जी थे। वह अमरीका गये थे। मैं अखबारों में देख रहा था, अपने मित्रों से पूछ रहा था। अमरीका की यात्रा के दौरान इनके बारे में कहां छप रहा था, किस पेज पर छप रहा था, मैं इसको लोगों से बराबर पूछने का काम करता था। लेकिन जो महत्व अमरीका में मिलना चाहिए, वह नहीं मिला। क्यों नहीं मिला था। चीन दुनिया में जब कहीं जाता है तो उसकी हैसियत और ताकत हमसे ज्यादा बड़ी होती है। वह हमारी बराबरी का मुल्क है। मैं उन बातों में विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास खेत-खलिहान, गांव और दस्तकार ये तीन चीजें इस देश में हैं। इस देश की आजादी की लड़ाई का यहां लोग जिक्र करते हैं। लेकिन उस आजादी की लड़ाई का एक आदर्श था। उस लड़ाई के दौरान हमने आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर करने का और उसको दूर करके मुल्क को किस सपने से चलाना है, उन सारी बातों पर हमने विस्तार से कर्म किया है। आजादी की लड़ाई का जो कर्म है वह आर्थिक, सामाजिक आजादी को हासिल करने का कर्म है और जो आजादी हासिल करने का कर्म है, जरा हम सबको अपने दिल को टटोलना चाहिए कि जिन बातों के लिए आजादी में हमने जो आर्थिक उसूल बनाये थे यदि उन आर्थिक उसूलों पर हम चले होते तो आज मुल्क जिस हालत में है उस हालत में नहीं होता। इस देश में तेल की कमी है। जो कोयला हमारे पास है वह खर्च होने वाला है। उपाध्यक्ष जी, मैं इस सदन में रिकार्ड के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाली सदी में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण मामला होने वाला है तो वह वाटर रिसोर्सेज यानी पानी का होने वाला है। इस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज और पानी है। इन दोनों को टैप करने का काम हमने नहीं किया है। 50 साल में हमने हर तरफ मन दौड़ाया है। आज यूरोप में जो व्यवस्था है, चाहे वह कम्युनिस्ट व्यवस्था है, राइटिस्ट या लैफ्टिस्ट व्यवस्था है, उसकी तरफ हमने आज तक सिर्फ झांकने और ताकने का काम किया है। उसकी तरफ झांककर और ताककर हम द्विविधा में बने रहे। आजादी की लड़ाई में जो हमारे पुरखे थे या उसके बाद जो शुभचिन्तक रहे, उनके विचारों के अनुसार, सामाजिक विषमता को मिटाने के सवाल पर हमने कभी इस मुल्क में अपने विचारों को जमीन पर उतारने का काम नहीं किया।

हमारे मुल्क में तीन चीजें उपलब्ध हैं—हमारे पास जमीन जरखेज हैं, पानी विपुल मात्रा में है, धारदार नदियां हैं और सबसे ऊंचे पहाड़ हैं—लेकिन आज हम बिजली गैस से पैदा कर रहे हैं। हमारे देश में कोयला भी है, एनर्जी के अनेक सोर्स हैं, धारदार नदियां हैं, लेकिन हम

तमाम जैनरेटर ऑयल से चला रहे हैं और लगभग आधे कारखाने इस देश में डीजल से चलाते हैं। दुनिया में इतनी उपजाऊ भूमि आपको कहीं नहीं मिलेगी जितनी हमारे गंगा के मैदान की भूमि उपजाऊ है, जहां पानी 8-10 फुट नीचे है। हम बड़े डैम की बात करते हैं, अगर ठीक से इस देश के किसान को पानी से तैयार बिजली मुहैया कर दें, उसके घर में पानी से बनी बिजली पहुंचा दें तो वह अपेक्षाकृत अच्छा है। जहां गरीबी होती है वहां माफिया पैदा होते हैं, वहीं बेईमानी होती है और अनेक तरह के अपराध होते हैं। जब तक यहां गरीबी बनी रहेगी, हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमें भारत के चरित्र को, साज को पहले बदलना होगा। आजादी की लड़ाई के बाद हमने भारत के समाज को नया नहीं बनाया। पिछले 50 वर्षों में होने सबसे बड़ी भूल यह की कि जिस आधार पर हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिन सपनों को संजोकर लड़ी थी, यदि उनके आधार पर हमने भारत के समाज को बनाया होता, आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों ने जिस तरह अपने आचरण और वाणी को एक रखा, यदि हमने भी वैसा ही किया होता, उनके सपनों के आधार पर समाज बनाने का काम किया होता तो आज जितनी बीमारियां पैदा हो गई हैं, वे पैदा न हुई होतीं।

अभी बात चल रही थी कि इस सदन में लगभग 400 लोग अपराधी हैं। मैंने भी आंकड़े देखे हैं लेकिन हमें अच्छे लोगों की तरफ भी देखना चाहिए। यदि हमने नया समाज बनाया होता तो ये बुराइयां पैदा न होतीं। जब तक हम नया समाज नहीं बनाएंगे, नया इंसान नहीं बन सकता। यहां भ्रष्टाचार पर खूब बहस चलती है लेकिन खंडश: चलती है। मैंने सुझाव दिया था कि भ्रष्टाचार पर यहां सात दिन की बहस हो। यहां सभी विषयों पर बहस होती है लेकिन खंडश: होती है। मैं चाहता हूं कि सभी विषयों पर पूरी बहस हो, खंडश: बहस न हो। भ्रष्टाचार, विकास सभी विषयों पर खंडश: बहस नहीं होनी चाहिए। हम चुनाव सुधार की बात करते हैं, कानून में सुधार की बात करते हैं, वह जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कहता कि वह जरूरी नहीं है लेकिन जिस तरह भ्रष्टाचार पर बहस होती है, वह खंडश: होती है। लोकशक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हो, इससे बड़ा दूसरा कोई काम नहीं हो सकता और जय प्रकाश जी ने इसी का आह्वान किया था लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? वह लोकशक्ति पूरी तरह से बन नहीं पाई। आज इस देश में स्टेट पावर के थ्रू भ्रष्टाचार है। जब तक स्टेट पावर को भ्रष्टाचार के दायरे से हम बाहर नहीं करते, उसे भ्रष्टाचार-मुक्त नहीं करते, स्टेट पावर में पक्की तौर से, राजनीतिक लोग सबसे पहले आते हैं, इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले राजनैतिक लोगों पर है। स्टेट पावर में भ्रष्टाचार के चलते हम लोकशाही का आह्वान कर रहे हैं। जब तक इन दोनों को जोड़ने का काम नहीं करेंगे।

भारत में किसी काम को, चाहे वह विकास का काम हो, चाहे वह नए भारत का सपना हो और चाहे वह किसी चीज का सपना हो, वह पूरा नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार ने 50 वर्ष में जिस प्रकार से सार्वजनिक जीवन में विकास के काम को बर्बाद किया है उसकी कोई मिसाल नहीं है और उसमें कोई शक नहीं। इस बारे में प्रधान मंत्री जी बोल रहे हैं, राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं, यहां पर अटल जी बोल रहे हैं, वाजिब बोल रहे हैं। इस पर देश के लोगों ने, देश की लोक सभा ने बराबर संघर्ष किया है और संग्राम किया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता है।

इसका एक ही इलाज है कि देश को संपन्न कैसे बनाया जाए, बेकार नौजवान को काम कैसे दिया जाए, खेत-खलिहान में काम करने वाले आदमी को, जिसने कभी आपके आगे आकर हाथ नहीं पसारा है, धंधा नहीं मांगा, राज्य से कोई पैसा या संपत्ति नहीं ही मांगी, उसको संपन्न कर दीजिए। तब इस देश में, उद्योग, धंधा, विज्ञान और ये सारे विकास के काम हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि अमरीका के सारे कारखाने आप हिन्दुस्तान में लगा दीजिए। ये सब कारखाने 10 दिन में सूख जाएंगे। जब तक हमारे देश में रहने वाले आम आदमी की खरीदने की शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक इन कारखानों से पैदा होने वाले माल को कौन खरीदेगा। जब तक कारखाने में बनने वाले माल को इस्तेमाल करने वाले समाज का निर्माण नहीं होगा तब तक इन कारखानों को लगाने का कोई फायदा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर खेत को पानी से जोड़ने का काम इस देश में हुआ है वहां पर आप देख लीजिए अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं कम हुई हैं। आप पंजाब को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, वैस्टर्न यू.पी. को देख लीजिए जहां सिंचित जमीन है वहां के किसान मजबूत हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी जहां गांव के जीवन को सुधारा है वहां स्थिति सुधरी है। आपके भाषणों से स्थिति नहीं सुधरी। आप जगदलपुर में भिलाई का कारखाना खड़ा कर दीजिए, लेकिन वहां सात-आठ रुपए वाला मजदूर ही मिलेगा और जहां आबपाशी है, जहां आपने छोटे या बड़े डैम से पानी दे दिया, या लिफ्ट इरीगेशन कर दिया, पंजाब, हरियाणा, वैस्टर्न यू.पी. या महाराष्ट्र का सिंचाई वाला इलाका देख लीजिए वहां तरक्की हुई है, वहां उन्नति हुई है। वहीं से नेता पैदा होते हैं। सिंचित क्षेत्र से ही किसानों के नेताओं ने जन्म लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंजीनियर हूं, मैं पानी का महत्व जानता हूं कि पानी से बिजली बनाकर किस प्रकार से अपने देश का उद्धार किया जा सकता है, लेकिन 50 वर्ष हो गए, हम नेपाल से भी नदियों के बारे में कोई करार-वार संधि करने में कामयाब नहीं हुए। हमारे देश में इतना जल है, इतनी धारदार नदियां हैं और इतने बड़े गंगा के फाट हैं, जहां पर छोटे-छोटे डैम लगाकर हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पैदा की जा सकती है जिससे सारे देश की बिजली की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। हमने इन नदियों को बांधने का कोई प्रयास नहीं किया। इन नदियों को बढ़ाकर खेतों की सिंचाई करने का कोई प्रयास नहीं किया, इन नदियों को बांधकर बिजली से पानी बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। यदि ऐसा किया गया होता, तो मैं यह मानता हूं कि हिन्दुस्तान में रोजगार, धंधा, व्यवसाय, उद्योग सब कुछ बढ़ गए होते और आज देश की तस्वीर कोई और होती। हमारे देश में गरीबी, भुखमरी और बीमारी नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपने देश में पानी भरपूर होते हुए भी पानी का सदुपयोग नहीं किया। हमने एक परिवार के लोगों को पांच बकरी, दो गाय और एक भैंस को चराने का काम दिया और वह एक किलो दूध निकालकर उसे सात रुपए में बेचता है। एक तरफ हमारे देश की यह स्थिति और दूसरी ओर हमारे देश में एक बोतल पानी

12 रुपए का मिलता है। जिस देश में दूध सस्ता हो और पानी महंगा हो, उस देश में समानता कैसे हो सकती है। एक किलो दूध जहां सात रुपए में मिले और एक पूरा परिवार एक दिन में सात रुपए कमाए और दूसरी ओर एक परिवार में 12 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से एक दिन में 5--10 बोतलें पानी पी लिया जाए, वहां कैसे तरक्की और समानता आएगी।

एक भारत यह भी है। यदि इस भारत का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, इस भारत को विकास के रास्ते का मानदंड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भारत नहीं बनेगा। फिर जो 12 रुपये का पानी पीने वाले लोग हैं, वे भाषा अलग बोल लें, अपनी भूषा अलग बना लें, अपना आचरण अलग बना लें, ट्रेन में डिब्बे अलग बना लें, अपनी यात्रा के रास्ते अलग बना लें लेकिन भारत को सुधार नहीं पाएंगे, भारत बिगड़ा रहेगा। यदि भारत को बनाना है तो इसके पानी को ठीक से बांधो। भारत की संसद को संकल्प करना चाहिए। आने वाले दिनों में यदि कभी विश्व युद्ध होगा तो पानी के नाम पर होगा, मैं यह दावे के साथ कहता हूं। पानी इतना कीमती और बेहतर चीज है। आज हमारे देश में भी पानी की नदियों के नाम पर लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। आज सूबों के झगड़ों के चलते पानी रुका हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सवाल को सैंट्रल लिस्ट में लाएं। एक सूबे के हाथ से बाहर निकालकर सारे सूबों को पानी मिले, यह संकल्प संसद करे। सारे देश में बिजली पानी से उत्पादित की जाए। गैस से बनाई हुई बिजली से मुल्क नहीं चल सकता, कोयले से बनाई हुई बिजली से मुल्क नहीं चल सकता। आपके पास पानी की इतनी ताकत है, इतनी नदियां हैं। जिन्होंने बरसों से तहज़ीब व तमद्दुन में आपकी संस्कृति को ऊंचा उठाया है, वह यही नदियां हैं। इन नदियों ने कभी आपके साथ फर्क नहीं किया, एक सा व्यवहार किया चाहे कोई समाज हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, गंगा, जमुना, नर्मदा ने कभी किसी के साथ फर्क नहीं किया। जो इंसान था या जानवर था, उसका कोई फर्क नहीं था। आपके पास इतनी बड़ी पूंजी, इतनी बड़ी दौलत है, इसका आपने इस्तेमाल नहीं किया।

आबादी के बारे में कहना चाहता हूं। पेड़, पौधे, पक्षी हों, यदि परमात्मा है या परमात्मा वाले लोग हैं, महात्मा जी आज नहीं हैं, परमात्मावादी लोग पहले भी थे, आज भी सदन में बहुत लोग बैठे हैं, इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि यह मुल्क पचास साल के विज्ञान की तरक्की के बाद पत्थर के गणपति को दूध पिलाता है और पूरे देश में यहां से वहां तक बात फैल जाती है, मैंने फोटो देखी है। आप कहते हैं कि पढ़ाई-लिखाई से यह मुल्क बदल जाएगा। जो सितार बजा रहा है, उसे आप पढ़ा-लिखा आदमी नहीं मानते। जो मूर्ति बना रहा है, उसे आप पढ़ा-लिखा नहीं मानते। उसे अक्षर ज्ञान दें। आपने इस देश में दस्तकारी का एक भी विश्वविद्यालय नहीं बनाया। नौ फीसदी लोग उसके रोजगार में हैं। आपका दुनिया में सबसे ज्यादा फौरेन अर्निंग दस्तकारी के सामान से है। जसवंत जी बैठे हैं। राजस्थान में कपड़े की बहुत ज्यादा वैरायटी हैं। पत्थर के जितने कारीगर दुनियाभर में हैं, उतने अकेले राजस्थान में हैं। लेकिन हमने दस्तकारी का विश्वविद्यालय नहीं बनाया। रोज महात्मा गांधी का नाम जपते हैं लेकिन जिस दिन आजादी की पचासवीं सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था, उस दिन गांधी जी अंधेरे में बैठे हुए थे। यदि फोटोग्राफर होता तो मैं जरूर उनका फोटो खींच लेता। जो आदमी आजादी की आर्थिक, सामाजिक लड़ाई ही नहीं लड़ा बल्कि किस तरह से भारत बनेगा, उसके आर्थिक मुद्दों को भी तय कर गया। लेकिन हमने गांधी जी से लेकर चूं-चूं का मुरब्बा बना दिया, इस देश को कबाड़खाना बना दिया। जब बड़ा दिन आता है तो हम बड़े होटलों में जाकर डिस्को करते हैं। एक तरफ हम इस देश में भारतीय संस्कृति की परम्परा की बात करते हैं और दूसरी तरफ, सरपोतदार साहब बैठे हैं, बाल ठाकरे साहब माइकल जैक्सन को बुलाते हैं। अरे भाई, हमारे आदिवासी इलाके में चले जाएं, उससे ज्यादा अच्छे माइकल जैक्सन पड़े हैं। लेकिन यदि आप मजबूत होते तो काला रंग भी गोरा होता। हमारा भगवान काला, हमारा परमात्मा काला, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, सांवले हैं। लेकिन आजकल गोरा रंग धरती पर, देश पर रुतबे की चीज हो गई है, इसलिए कि उनकी संस्कृति और तहजीब ऊंची है, अमेरिका अगर टेढ़ी गरदन कर दे तो हमारा मामला गड़बड़ा जाता है। ठीक बात है, अभी आपके सिंधिया साहब कह रहे थे कि पृथ्वी लगा दो, पृथ्वी लगा दो ठीक है। जैसे एक पहलवान हो, बड़ा तगड़ा हो, बड़ा दूध पिया हो, बड़ा वर्जिश किया हो, उससे कह दो कि यह जो रेल का इंजन आ रहा है, जरा इसके सामने ताल ठोंक दो तो फटाक से मारेगा, जान चली जायेगी। इस देश को मजबूत बनाओगे, नहीं बनाओगे? अमेरिका से पहली बार सी.टी.बी.टी. में हमने थोड़ी ताकत दिखाई। मौत में जाना था, इसलिए ताकत दिखाई। हमें लगा कि मामला ही गड़बड़ हो जायेगा, दिक्कत में ही फंस जाएंगे। अब हम खुद ही अगर मगर के मुंह में चले जाएंगे तो जिंदा ही नहीं बचेंगे, इसलिए हमने किया। इसके लिए मैं बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप दोनों एक बेंच पर बैठकर आपस में बात मत करिये। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिये।

श्री शरद यादव : मैं अटल जी और सिंधिया साहब की जो बहस है और अध्यक्ष जी की बहस है, उसमें एड कर रहा हूं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यह जो मुल्क है, वह गरीबी में नम्बर एक, भूख में नम्बर एक, भिखारी में नम्बर एक, बेकारी में नम्बर एक, भीख मांगने में तो हमारे यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसके होलसेल ट्रेड पर हमारा कब्जा है। यदि बाहर कोई आदमी भीख मांगने जाये तो कहेंगे कि वह गलत काम कर रहा है और अन्दर भीख का जो इन्तजाम है, संस्कृति और तहजीब है, चमत्कार में आप कहेंगे कि नेता, अभी चुनाव पर बहस चल रही थी कि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है, बात सही है। चुनाव में पैसा खर्च होता है और हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और अध्यक्ष जी, आपको मालूम नहीं है, चुनाव में यदि कोई साइकिल से लड़ रहा है तो जनता कहती है कि यह बड़ा फटियल आदमी है, इसका कुछ नहीं है। अटल जी कह रहे थे, 200 जीप चल रही हैं तो वह 200 जीप चलाने वालों को आप रोको, लेकिन उस भारत को भी बनाओ, उस जनता को भी बनाओ, उसके रात-दिन गुण मत गाओ। पढ़ने-लिखने के बाद भी पत्थर को दूध पिलाकर चमत्कार करती है, वह तुममें भी चमत्कार देखना चाहती है। वह सोचती है कि नेता ऐसा चाहिए, ऐसा ईमानदार भी होना चाहिए, सच्चा भी होना चाहिए और उसको चुनाव लड़े तो कोई चुनाव 10 रुपये, 20 रुपये करके दे। अटल जी, आप तो मेरे पहले चुनाव में गये थे, इस सदन में बहुत लोग हैं जो मेरे पहले

चुनाव में गये थे। मैं जेल में बन्द था, लोगों ने चन्दा करके मुझे जिताया, वह एक जमाना था, लेकिन आजकल जब चुनाव लड़ते हैं तो जनता में हम चुनाव का पार्टीसिपेशन करते हैं, हिस्सेदारी कराते हैं, लेकिन आजकल जो चुनाव में हम सब लोग पैसा खर्च करते हैं, वह तो बड़े चन्दे से ही होता है। जो चन्दे की बात कर रहे हो तो फंस भी जाओगे, तो जेल भी जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन झूठ तो बोला नहीं जा सकता, बात सच कही जाये, चाहे फांसी चढ़ जाओ। तो 20 जीपें चल रही हैं, 200 जीपें चल रही हैं और वे 200 जीपें इसलिए चल रही हैं कि जनता भी चाह रही है। जनता कहती है कि 20 जीप, 30 जीप, 50 जीप, 100 निकलीं, 70 निकलीं और जब उसकी नाक धूल से भर गई तो बोले मान गये, यह केंडीडेट है। यदि इसके बाद भी तबियत नहीं बोले तो नेता से कह देंगे कि हैलीकॉप्टर में आये, नेता को बुलाओ। जब हैलीकॉप्टर में जायेगा तो उसको ज्यादा वोट मिलेगा। यानि ज्यादा रुतबा, ज्यादा बैनर, ज्यादा पोस्टर, ज्यादा गाड़ी दौड़ाई, उसे लोग भी बड़ा केंडीडेट मान रहे हैं, बढ़िया केंडीडेट मान रहे हैं, अच्छा लड़ रहा है। हम इस देश में नेता का चमत्कार चाहते हैं कि ऐसी गाय बनाओ कि चारा कम खाये, दूध ज्यादा दे और गोबर ज्यादा दे। हमने ऐसी चमत्कार की संस्कृति और तहजीब बनाकर रखी है। चमत्कार का यह देश है। अभी कई नेता दिन भर अपना दिखाते हैं कि हमारा भविष्य कैसा है। प्राइम मिनिस्टर की तो मेरे ख्याल से बाढ़ आ गई है, चाहे हर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। कितने लोगों के नाम छपते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनना है। इस पोस्ट का जिस तरह से डीवैल्यूएशन हुआ, वैसा कभी दुनिया में नहीं हुआ। आज जो चाहे वह कहता है कि मैं भी प्रधान मंत्री बन सकता हूं। ऐसी स्थिति आज बन गई है। यह बीमारी है और हमें सबको फेस करनी पड़ेगी। हमने इस देश में देखा है कि जो लोग गणपति भगवान को दूध पिला रहे थे उनमें से ज्यादातर पढ़े-लिखे थे, क्योंकि उनके फोटो छपे थे। इसलिए सिर्फ पढ़ाई-लिखाई से संस्कार नहीं बदल जाते, चमत्कार या अंधविश्वास नहीं बदल सकते। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कई बार कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। उसे विकसित करना चाहिए। लेकिन हम जब दूरदर्शन पर देखते हैं कि बजरंग बली उड़कर जा रहे हैं और भगवान कृष्ण समुद्र में लड़ रहे हैं। यह सब गप्प थी। हम कभी ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन इसको धरती पर उतारने का ज्ञान आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों को दिया है। जितनी भी कल्पनाएं थीं, असत्य था, उसे आज दिखा रहे हैं। मैं जब बीमार था उस समय मैंने दूरदर्शन पर चंद्रकांता धारावाहिक देखा। उसमें एक आदमी दो सौ-तीन सौ लोगों को मार रहा है। दो-तीन टन वजनी पत्थर को ऐसे धकेल रहा है, मानो वह कागज का पत्थर हो। अगर ऐसी बेहूदेपन की चीजें हम राष्ट्रीय चैनल पर दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि अंधविश्वास खत्म करना है, देश बनाना है तो यह कैसे हो सकता है। दूरदर्शन पर जय-जय शिव शंकर और जय बम बोले होता है। 36 करोड़ देवी-देवता हैं और इतनी ही यहां मजारें हैं, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूं, दुनिया में कहीं इतने देवी-देवता और मजारें नहीं हैं, जितनी हमारे देश में हैं। अगर वास्तव में ऐसा है तो क्यों नहीं ये हमारी रक्षा करते, क्यों नहीं हमारे देश को दुनिया में प्रथम पंक्ति में खड़ा करते।

उपाध्यक्ष महोदय : शरद जी, आपको चार मिनट और बोलना है।

श्री शरद यादव : मैं चार मिनट में खत्म कर दूंगा। इस पर बहस होनी चाहिए कि अगर हम यह सभी करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। वैसे मेरे पास वक्त कम है, मुझे तो बात पर आने में ही दो-तीन घंटे लग जाते हैं इसलिए मैं बहक गया था। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था, जो सदन में विपरीत भी कही जा सकती हैं। लेकिन इस देश में ऐसी बहुत से बातें हैं, जिनको यहां और बाहर कहा जा सकता है। सदन के भीतर मैं यह महसूस करता हूं कि देश में इतना जुल्म और अत्याचार है कि दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता है। मैं तो कभी बाहर गया ही नहीं, नेपाल तक भी नहीं गया। इसलिए मैं अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास शक्ति के रूप में पानी है। उसका ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए। हम विश्वविद्यालय बनाएं, जहां दस्तकारी का प्रशिक्षण हो। क्योंकि यह हमारी पूंजी है, ताकत है। हम सदन में इस बार यह संकल्प करें कि हिंदुस्तान में लोगों को दस्तकारी का अक्षर ज्ञान दें। अभी चाइल्ड लेबर की बात भी आई थी। उसको भी डिफाइन होना चाहिए कि अगर बचपन में बनारस की साड़ी पर वह अंगुलियां नहीं चलेंगी, तो फिर 12-13 साल की उम्र के बाद उसमें वह कलात्मकता नहीं रहेगी। यह हमारे देश का गौरव है, हमारी अंगुलियों का कमाल है जिससे ताजमहल बनता है, खजुराहो बनता है और दुनिया का आदमी जब वह देखता है तो देखकर अचम्भित हो जाता है। यही हाथ हार्ड स्टोन पर मूर्ति बनाते हैं, लेकिन उनको शिक्षा नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उन्हें अक्षर ज्ञान दें और इस ताकत को खड़ा करने का काम करें। इनको रोजगार की व्यवस्था, बाजार की व्यवस्था और पूंजी की व्यवस्था उपलब्ध कराएं तो देश में विकास हो सकता है। इसलिए इन दो बातों को हमें निश्चित तौर पर करना चाहिए और फिर जो और चीजों के विशेषज्ञ हैं, वे उसमें शिक्षा दे सकते हैं।

तीसरी बात है आबादी की। जब हम राष्ट्र कहते हैं तो उसमें अकेले आदमी नहीं आता, उसमें कौवा भी आता है। उसमें तोता, हिरण, शेर, पेड़-पत्ते, पौधे, नदी-नाले और धरती सब आते हैं। राष्ट्र का मतलब है समूची प्रकृति की चर-अचर सब चीजों को मिलाकर राष्ट्र बनता है। इस राष्ट्र में आदमी ने तबाही मचाकर रखी हुई है। अब एमरजेंसी में नसबंदी हुई, मैं इसके बड़े पक्ष में था। लोग कहते थे कि साहब बड़ी ज्यादती हो रही है, हमारा वंश कैसे चलेगा? मैंने कहा कि डॉक्टर ही ठीक नहीं है तो ज्यादती कैसे नहीं होगी? अब पचास साल में पहले अच्छे डॉक्टर बनाओ फिर नसबंदी हो तो फिर लोग तब तक डेढ़ सौ करोड़ हो जाएंगे। यदि अस्सी वर्ष में किसी आदमी की नसबंदी हो गई तो क्या बिगड़ रहा है? मान लीजिए कि जवान आदमी की हो गई तो एकाध का वंश नहीं चलेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अटल जी का वंश नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा? फर्क क्या पड़ेगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मेरे कई सुझाव हैं। सारी पार्टीज यह फैसला करें कि उनकी पार्टी की मीटिंग के बाद दो-तीन-पांच मिनट आबादी कम करने पर जोर देने का काम किया जाना चाहिए। सरकार को सारी पार्टीज की मीटिंग बुलाकर आबादी कम करने का मामला तय करना चाहिए। अंत में मैं आपसे कहूं कि यह बहस तब ठीक हो सकती है, तब बढ़िया हो सकती है जब इस सबके बाद जो नया इंसान बनाएंगे, उसमें हमारी शिक्षा नीति क्या होगी? इस पर हम गंभीरतापूर्वक विचार करें। उस शिक्षा नीति का जमीन से कोई रिश्ता होगा या नहीं होगा? अब यह सदन ही आपके सामने उदाहरण है। अब इस सदन में अंग्रेजी बोलने वाला नहीं जमता। मैं अपनी राय बता रहा हूं। हो सकता है कि दूसरों की राय दूसरी हो। हो सकता है कि ऊपर वाले लोग ज्यादा अंग्रेजी वाले लोग चाहते हों। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सदन है और पचास साल की मैं जो उपलब्धि मानता हूं, वह यह है कि हिन्दुस्तान का यह मामूली गौरव नहीं है कि पचास साल से यहां लोकतंत्र ही नहीं चल रहा है बल्कि यहां तीन बार अभी-अभी सरकारें बदली हैं परंतु एक एम.पी. इधर से उधर नहीं हुआ। यहां जे.एम.एम. जैसा मामला भी होता है लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सदन है। इसमें अभी-अभी तीन प्रधान मंत्री बने हैं लेकिन एक मेम्बर ने इधर से उधर अपनी लॉयल्टी और निष्ठा को बदलने का काम नहीं किया। जब लोग कहते हैं कि सारा देश गड़बड़ है तो मेरा दावा है कि हिन्दुस्तान में राजनैतिक जीवन में आज भी दूसरे तरह की जिंदगी से ज्यादा सच्चे और ईमानदार लोग हैं। इसका सर्वे हो जाना चाहिए। इस पर किसी तरह से बहस चलनी चाहिए और मैं अंत में कहना चाहता हूं ....*(व्यवधान)*

श्री कमरूल इस्लाम (गुलबर्गा) : इस बात से यकीन हुआ कि यह पांच साल पूरे चलेगी।

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, मध्याह्न भोजन के बाद वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मुझे समय ही इतना मिला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शरद यादव, कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं सम्पूर्ण सदन में जो सरकारी पक्ष के लोग हैं, उनसे और जो हम सब लोग हैं, उनसे यही पूछना चाहता हूं कि आगे आने के लिए इस देश को आर्थिक तौर पर मजबूत कैसे करेंगे?

सामाजिक विषमता के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम सब लोग कहते हैं कि जात-पात हो रहा है। यह हजारों साल से हो रहा है। यह अच्छा है या बुरा है, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। यदि यह खराब है तो क्यों नहीं पचास साल के बाद सदन में संकल्प लिया जाता कि जात-पात को मिटाने के लिए कोई रास्ता हम बनाएं? हिन्दुस्तान में जात-पात में खंड-खंड पोखर बन गया है और भारतीय समाज बंद है। अब यह अच्छा है या बुरा है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। जब तक हिन्दुस्तान में सामाजिक विषमता जाति व्यवस्था पर चलती है और इसके तोड़ का कोई रास्ता नहीं निकाला जाता, तब तक इसे दूर नहीं किया जा सकता। उसमें हजारों वर्ष से कुछ लोग हाथ से काम करने को गुनाह मानते हैं और कुछ लोग हजारों साल से मेहनत करके जिंदगी जीते हैं। जब तक इन दोनों के संस्कारों का बहाव नहीं होगा तो मुल्क में जो क्रिएटिबिलिटी है, जो प्रतिभा है, जिसे आप कहते हैं कि हमारे यहां जीरो का अन्वेषण हुआ, दशमलव का हुआ, न्यूमरीकल का हुआ लेकिन अब आप कोई खोज बताइए। इन सालों में आप एकाध खोज बताइए कि आपने एक चीज की खोज की हो? कभी जाति व्यवस्था का बहुत बढ़िया समाज रहा होगा, इसके चलते ही परिवार बनता है। परिवार के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर आदमी की नम्बर-एक लायल्टी परिवार के प्रति है। अटल जी परिवारवाद पर बोल रहे थे। हिन्दुस्तान का सारा साहित्य, धर्म, चाहे वह रामायण हो या महाभारत, केवल परिवार के बारे में समझाता है। भाभी, भाई, बहन—इनके रिश्ते मजबूत हैं, क्योंकि पहली लायल्टी हिन्दुस्तान के लोगों का घर है। दूसरे स्थान पर धर्म और तीसरे स्थान पर जाति तथा चौथे स्थान पर राष्ट्र आता है। पहले स्थान पर राष्ट्र कैसे आए, इस पर विचार करना चाहिए। यह तब तक नहीं हो सकता है, जब तक हिन्दुस्तान में जाति व्यवस्था को नहीं तोड़ते हैं। जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए सब तरह के आरक्षण खत्म करो और अन्तर्जातीय शादी करने वाले लोगों को 50 फीसदी आरक्षण करने का काम करो। फिर आप देखिए कि मुल्क बनता है या नहीं बनता है।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुल्क को बनाना है, तो जिन चार चीजों के बारे में मैंने बताया है, उन पर सदन थोड़ा गौर करे। जाति व्यवस्था के बारे में सब लोग बोलते हैं कि जात-पात नहीं होना चाहिए। पचास साल से हम लोग बोल रहे हैं कि जात-पात नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह हमको करना चाहिए, आप मत करो। हम सब जाति व्यवस्था में फंसे हुए हैं, तो इस व्यवस्था से बाहर कैसे निकलें, इस पर गम्भीरता से विचार करें। सवाल कठिन है और यह तत्काल नहीं छेड़ा जा सकता है, लेकिन इस पर बहस जारी हो।

इन शब्दों के साथ, जो मैंने चार बातें—पानी, दस्तकारी, हिन्दुस्तान की आबादी और जाति-व्यवस्था को तोड़ना—कही हैं, इन पर गम्भीरता से गौर करना चाहिए। जब आप इन पर गौर करेंगे, तो मुल्क बनेगा, बढ़िया मुल्क बनेगा, बेहतर मुल्क बनेगा और भारत में नया समाज बनेगा। नया समाज नहीं बनायेंगे, तो भारत नहीं बनेगा।

अपराह्न 1.41 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.49 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.49 बजे पुन: समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री सोमनाथ चटर्जी

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह एक ऐतिहासिक अवसर है। यह जानकर कि हम अपनी स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष सत्र में भाग ले रहे हैं, मैं आत्म-निरीक्षण और समर्पण की भावना की आशा करता हूं।

महोदय, आज भारत के उन सपूतों को याद करने तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का यह उपयुक्त अवसर है जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और उनमें से कुछ शहीद विदेशी शासकों के हमलों के शिकार हुए ताकि हमारा देश शर्मनाक विदेशी शासन से मुक्त हो सके।

मैं आपको आज के भाषण के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आपने अपने उत्प्रेरक भाषण में अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख किया है। आपने दूसरे स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान किया है। हम उस संग्राम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं।

पचास वर्ष पूर्व, हम उपनिवेशी साम्राज्यवादी शासन की शर्मनाक और अमानवीय गुलामी से मुक्त हुए थे। 14-15 अगस्त, 1947 की रात को हमारे देश के महान नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हमें राष्ट्र के प्रारब्ध-निर्धारण, राष्ट्र-निर्माण के प्रति हमारे कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध कराने, स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने और देश की आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में याद दिलाया था?

इन पचास वर्षों में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। परन्तु क्या हमने वास्तव में अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया है। हम जनता की आशाओं और आकांक्षाओं से पूरी तरह अवगत हैं। इस सभा में हम इन पर विचार करते हैं, इनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं और जनता की तात्कालिक आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। परन्तु क्या हम इन आवश्यकताओं को पूरा कर पाए हैं? क्या संसाधनों से भरपूर इस देश ने जनता की आवश्यकताओं को पूरा किया है? मैं समझता हूं कि आपने ठीक ही कहा है कि भारत तो समृद्ध है, किन्तु इसकी जनता निर्धन है। इस विरोधाभास से देश की प्रगति और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए, मैं समझता हूं कि इस मामले पर गम्भीर चर्चा की आवश्यकता है और अपने विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने तथा उनका समाधान ढूंढने, जिनकी जनता काफी समय से प्रतीक्षा कर रही है, के लिए इस विशेष सत्र को बुलाने में जो प्रयास किए हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं।

मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिन्हें 15 अगस्त, 1947 के दिन जनता के आनन्द और उत्साह को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। परन्तु क्या हम यह कह सकते हैं कि जनता का वही आनन्द और उत्साह अभी भी बना हुआ है? आज उसी भावना का अभाव है। क्या हमें इसकी समुचित समीक्षा और आत्म-निरीक्षण नहीं करना चाहिए? इसलिए मैं समझता हूं कि हमें, संसद सदस्यों को स्थिति का जायजा लेने और यह पता लगाने के लिए यह अभूतपूर्व अवसर मिला है कि महान विरासत, पर्याप्त जनशक्ति और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध देश जिसके नेतृत्व के लिए अनेक महान नेता हैं, अंधेरे में क्यों भटक रहा है। आपके सामने अनेक मुद्दे हैं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे दल के अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए उत्सुक हैं और आपने अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर देने के लिए कहा है? परन्तु मैं बहुत ही संक्षेप में उन मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं जो अभी भी सुलझ नहीं पाए हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश का विभाजन हुआ और इस विभाजन से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के अनेक लोगों का भारी नुकसान हुआ। करीब अस्सी लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए।

पचास वर्ष के पश्चात् आज भी हम उनका पूरी तरह पुनर्वास नहीं कर पाए हैं। अविभाजित भारत के विभिन्न भागों से आए लाखों विस्थापितों का जो कुछ पुनर्वास किया गया है उससे मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। परन्तु यह एक ऐसा दायित्व है जिसके निर्वहन की जिम्मेदारी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ली थी। उन्होंने इस देश की जनता को आश्वासन दिया था कि भारत में आए प्रत्येक भाई-बहन को समान सम्मान और अवसर दिया जाएगा। परन्तु महोदय, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। यह हमारे शरीर में, हमारी सामाजिक व्यवस्था में कष्टकारक घाव है? यह इस बात से भी स्पष्ट होता है कि साम्प्रदायिकता की जड़ें कितनी गहरी हो गई हैं और भारत जैसा देश साम्प्रदायिकता के आधार पर कैसे विभाजित हुआ था? इसलिए मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यवश लाखों विस्थापित इस विभाजन के शिकार हुए? यह एक ऐसी समस्या है जिसका संतोषजनक समाधान ढूंढा जाना बाकी है।

हम गांधी जी की बातें कर रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें प्रत्येक की आंखों से आंसू

पोंछने के लिए लोक सेवा और सामाजिक सेवा की व्यवस्था होगी। वस्तुत: उन्होंने यहां तक सुझाव दिया था कि तत्कालीन प्रमुख राजनैतिक दल को समाप्त कर दिया जाये और वह एक सामाजिक सेवा संगठन के रूप में कार्य करे। मैं दल का नहीं बल्कि उनके उस दृष्टिकोण का उल्लेख कर रहा हूं जिसे वह जनता के प्रति समर्पण और जनता की सेवा के मामले में अपनाना चाहते थे। हमने ऐसा महसूस क्यों किया? इतने महान संविधान के बावजूद हमने ऐसा अनुभव क्यों किया? अनेक दृष्टि से यह संविधान महान है। इसमें अनेक कमियां हैं। हमने अपने संविधान में अनेक संशोधन किए हैं। जिस समय इस संविधान का निर्माण हुआ, तो सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था? परन्तु बाद में इसमें परिवर्तन कर दिया गया। इसमें अनेक संशोधन किए गये हैं। इनमें से कुछ संशोधन तो उचित और कुछ आवश्यकता की दृष्टि से उचित नहीं हैं। परन्तु इस बात की आवश्यकता है कि हम अपनी उपलब्धियों के बारे में सोचें, उन्हें याद करें, समाज के विभिन्न वर्गों, वैज्ञानिकों और युवकों, जिन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महानता हासिल की है, की सेवाओं की प्रशंसा करें। परन्तु इसके बावजूद, हम अन्य देशों की तुलना में अभी भी पिछड़े हुए हैं।

हमने एक प्रशासनिक तंत्र का गठन किया है। मैं यह अनुभव करता हूं और इस सम्मानित सभा को यह बताना चाहता हूं कि इस देश के लिए गठित यह प्रशासनिक ढांचा अर्थात् अर्धसंघीय प्रशासन देश के अनुरूप सिद्ध नहीं हुआ है। हमने केन्द्र को मजबूत करने के बारे में सोचा था क्योंकि उस समय यह सोचा गया था कि केवल एक मजबूत केन्द्र ही देश को विघटित होने से बचा सकता है। परन्तु दुर्भाग्यवश, इसके परिणामस्वरूप वर्षों से अधिक से अधिक सत्ता कुछ लोगों के पास केन्द्रित होती जा रही है। इससे केन्द्र-राज्य संबंधों के सुचारू कार्यकरण में अत्यधिक केन्द्रीयकरण और विकृतियां आ गई हैं।

महोदय, आपको मालूम है कि और माननीय सदस्यों को भी इस बात की जानकारी है कि यदि हम अपने संविधान की सातवीं अनुसूची को पढ़ें तो हम देखेंगे कि सूची-दो और सूची-तीन विशेषकर सूची-दो राज्य सरकार के उत्तरदायित्वों को दर्शाती हैं। महोदय, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको पूर्णतौर पर मालूम है कि शिक्षा से लेकर सड़कें, अस्पताल, स्वास्थ्य, रक्षा आदि प्रदान करने के लिए राज्य के क्या उत्तरदायित्व हैं। हर चीज राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन संसाधन कहां हैं। संसाधनों के लिए केन्द्र के पास आना पड़ेगा। यह मेरे राज्य की शिकायत नहीं है। लेकिन यदि हम राष्ट्रीय विकास परिषद में हुए विचार-विमर्श को देखें तो हमें पता चल सकता है कि प्रत्येक राज्य समान शिक्षा, अधिकाधिक शक्ति, अधिकाधिक वित्तीय संसाधनों और राष्ट्रीय मामलों में अधिक योगदान के लिए कहता रहता है। दुर्भाग्यवश उसे उचिततौर पर सुधारने को नहीं कहा गया है।

अपराह्न 3.00 बजे

सरकारिया आयोग का गठन इन पहलुओं की जांच के लिए किया गया था। सरकारिया आयोग ने काफी पहले अपनी सिफारिशें दे दी थीं। लेकिन हमने क्या किया है। वर्ष दर वर्ष इन सिफारिशों के अध्ययन के लिए कई उपसमितियां ग्रुप इत्यादि नियुक्त किए गए हैं। लेकिन हमारी राजनैतिक व्यवस्था में विकृतियों को दूर करने के लिए वास्तव में कभी संयुक्त प्रयास नहीं किए गए हैं। हम संघीय ढांचा, एक सच्चा संघीय ढांचा चाहते हैं जहां पर कार्यों में एकरूपता, सोच में एकरूपता तथा निर्देश में भी एकरूपता हो। राज्यों और केन्द्र के बीच कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। हम महसूस करते है कि राज्यों के बीच स्वस्थ स्पर्धा हो, जो अच्छी सेवा कर सकते हों, जो इस देश के अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकते हों। दुर्भाग्यवश सत्ता के इस अति केन्द्रीयकरण से सामंतवादी वर्ग उत्पन्न हो गया है जैसा कि आपने स्वयं ही उल्लेख किया है, इससे समान विकास नहीं हुआ है जिससे अधिकांश क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है तथा कुछ क्षेत्र ही विकसित हुए हैं।

आज आपने अपने भाषण में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में जिक्र किया कि इन दो राज्यों में पूंजीनिवेश क्यों हो रहा है। लेकिन क्या हमने अपने आप से पूछा अथवा हमें अपने आप से नहीं पूछना चाहिए था कि ऐसा क्यों है? क्या इससे इस देश के समुचित विकास में मदद मिली है? इस विशाल देश के इतने अधिक राज्यों में से केवल एक या दो क्षेत्र ही विकसित क्यों हुए हैं? केवल एक या दो क्षेत्रों में ही संसाधन क्यों उपलब्ध हैं? हमारे पूर्वोत्तर भारत अथवा पूर्वी भारत या मध्य भारत के नागरिकों ने क्या गुनाह किया है? उन्हें ऐसे ही अवसर क्यों नहीं दिए जाने चाहिएं।

आज आप कहते हैं कि लोग उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं। लेकिन इन अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए कौन जिम्मेदार रहा है? क्या हमारा अखिल भारतीय दृष्टिकोण है। क्या हमने कभी वास्तविक योजना प्रक्रिया के बारे में सोचा है जो इस देश के प्रत्येक क्षेत्र में निरन्तर विकास लाएगी? आज इसीलिए क्षेत्र बंटे हुए हैं लोगों के बीच अविश्वास है, आतंकवाद की समस्याएं हैं। इस देश के विभिन्न क्षेत्रों के नौजवान इतने अधिक असंतुष्ट हैं कि वे हथियारों का सहारा ले रहे हैं। वर्गों की स्थिति, स्तर और मान्यता के बारे में जातीय समस्याएं हैं। सारे देश में एक प्रकार की पहचान संबंधी समस्याएं पैदा हो गई हैं जिससे हमारे देश के विकास में मदद नहीं मिली है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग अधिक अवसरों के लिए, विकास के अधिक अवसरों के लिए, शासन में अधिक भागीदारी के लिए तथा आत्मनिर्णय के लिए दबाव डाल रहे हैं। इस देश में संविधान निर्माताओं द्वारा यह विश्वास व्यक्त किया गया—शायद यह मेरी समझ है—कि भविष्य में केन्द्र और राज्यों में एक ही दल शासन कर सकता है और करेगा। ऐसा नहीं है। मेरे विचार से यह इस देश के लोगों का अपमान नहीं है। यह वह देश है जो संसदीय प्रजातंत्र के स्थायी रूप से जुड़ा

है। लोगों ने खुलकर स्वविवेक से वोट दिया है। उन्होंने विभिन्न राज्यों में अपनी पसंद दर्ज कराई तथा उनकी अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों और अपने स्वयं के घोषणा पत्रों के अनुसार अपने राज्यों को विकसित करने की इच्छा है। *लेकिन यदि हम अनंतिम विश्लेषण की बात करें तो हम पाएंगे कि हमारे संविधान के कुछ भाग राज्यों के अधिकारों को संरक्षण* देने में तथा लोगों के विभिन्न वर्गों की पहचान पर बल देने में सक्षम नहीं रहे हैं।

अनुच्छेद 356 के उपबंधों को ही लीजिए। मेरे विचार से यह प्रावधान हमारे संविधान पर एक प्रकार का कलंक है। जब हम इससे प्रभावित होते हैं तब अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जब हम केन्द्र में सत्ता में होते हैं तो शायद इस पर इतना अधिक महत्व नहीं देते क्योंकि कुछ राज्यों में यह बहुत अच्छा हथियार के रूप में कार्य करता है। लेकिन यह राज्यों और केन्द्र के बीच दरार पैदा कर रहा है। अविश्वास की भावना पैदा हो रही है। इसने हमारे राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय एकता को प्रभावित किया है। जब लोगों ने मुझे एक राज्य पर शासन करने के लिए चुना है तो यह लोगों पर निर्भर है कि वे यह निर्णय करें कि क्या उस सरकार को बदलना है या नहीं। अनुच्छेद 356 की अति आपातकालीन परिस्थितियों में ही लागू किए जाने की बात थी।

डा. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, "मुझे आशा है कि इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।" उन्होंने ऐसी आशा व्यक्त की थी। लेकिन एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में अभी-अभी एक नए विकासशील देश ने गुलामी के वर्षों के बाद अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। इसलिए केन्द्र सरकार के पास कुछ संरक्षण होना चाहिए ताकि विदेशी आक्रमण आदि के अदृश्य खतरे देश को विखंडित न कर सकें। पचास वर्ष बीत चुके हैं। यह अभी भी हमारे संविधान में है। इसके साथ-साथ जो भी सरकारिया आयोग ने कहा है, वह पूर्णत: पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वित्तीय पुन: समायोजन पर ध्यान नहीं दिया गया है जिसमें सुधार लाये जाने की जरूरत है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट कुछ गलियारों, अभिलेखागारों तक ही रह गई है। इसे उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।

दूसरी बात संविधान में आपातकालीन उपबंधों के बारे में है। विपक्ष के माननीय नेता ने ठीक ही उल्लेख किया है कि कैसे यह देश 50 वर्षों में अपनी पहचान, अपनी आवाज, अपनी पूर्ण आजादी को खोने के दौर से गुजरा है तथा हम आपातकाल के काले दिनों से गुजरे हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी यह मांग उचित है कि उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए जैसा कि हमने भी यह मांग रखी थी कि उत्तर प्रदेश के उस कोने में 6 दिसम्बर, 1992 को हुई घटना के बारे में उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

महोदय, हमने भी संविधान के 42वें संशोधन को देखा है और किस प्रकार यह देश असहाय हो गया। लोगों की आवाज गायब हो गई। मैं इन सब बातों का उल्लेख क्यों कर रहा हूं। इसका कारण है कि ये सभी घटनायें हमारी स्वतंत्रता के 50 वर्षों के दौरान घटी। हमें इस देश के लोगों के आर्थिक उत्थान का ध्यान रखना होगा। हम अपनी *राजनैतिक शक्ति, राजनीतिक संप्रभुत्ता खोते जा रहे हैं और कुछ लोग इस देश में लगभग दूसरे दर्जे के नागरिक बनते जा रहे हैं।*

मुझे वे दिन याद हैं जब मुझे 1975-77 के दौरान इस सदन में बोलने का अवसर मिला था। मुझे सुधार के लिए भी मेरे भाषण की प्रति नहीं मिल सकी। मुझे विश्वास है कि श्री वाजपेयी जी को भी यह स्मरण होगा। शायद वे भी यहां थे। हम अपने भाषण को बाहर वितरित भी नहीं कर सके। किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि हमने सदन के अन्दर क्या कहा था।

महोदय, वे दिन अब गुजर गए हैं और मुझे विश्वास है कि सभी पार्टियों की यह प्रतिबद्धता है कि वे दिन कभी लौटकर नहीं आएंगें। संविधान में संशोधन कर दिया गया है। अब इसे करना आसान नहीं है।

महोदय, तीन मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें विपक्ष के नेता ने ठीक ही उठाया है। मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूं। प्रथम तो चुनाव सुधारों से संबंधित है। मुझे 1971 से इन समितियों का सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ जो कि तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा गठित की गई थीं। सभी सिफारिशें सर्वसम्मति से की गई थीं। मुझे मात्र एक मुद्दा याद है। जिस पर कुछ असहमति थी। रिपोर्ट के प्रथम भाग में कुछ सर्वसम्मत सिफारिशें थीं। किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें वर्षों तक लागू नहीं किया गया। फिर कुछ अन्य समितियां गठित हुईं। फिर दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट आई जिसमें लगभग सर्वसम्मत सिफारिशें की गई थीं। किंतु उसे भी लागू नहीं किया गया। हमारी मांग यह रही कि चुनावों के लिए धन सरकार दे। महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ क्षेत्रों में हम अब भी सोच ही रहे हैं। श्री शरद यादव ने कहा कि शायद हमने एक ऐसी धारणा बना ली है कि यदि किसी उम्मीदवार के पास 200 जीपें हैं तो वह एक सशक्त उम्मीदवार है। यदि ऐसा है तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। किंतु मैं नहीं समझता कि ऐसा है। सामान्यत: मैं उससे सहमत हूं किंतु यहां मैं उससे सहमत नहीं हूं। लोग अत्यधिक सजग हैं वे यह निर्णय अपने आप लेते हैं कि उन्हें किसे वोट देना है। हम इस बात का स्वप्न में भी अनुमान नहीं लगा सकते कि श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस को अथवा श्री राजीव गांधी अपने आधुनिक दृष्टिकोण तथा राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद इस प्रकार की हार का सामना करना पड़ेगा। मैं राष्ट्र के प्रति उनकी वचनबद्धता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, जनमत प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने सत्ता खो दी क्योंकि वे जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। साधारण जनमानस विद्रोह पर उतर आया और उन सरकारों को पराजय का मुंह देखना पड़ा।

किंतु किसी न किसी प्रकार यह धारणा बनायी जा रही है कि जितनी शक्ति का प्रदर्शन हम करेंगे जैसा कि वे कहते है, जीवों का

काफिला जितना लम्बा होगा उतना ही लाभ हमें चुनावों में मिलेगा। मैं विनम्रतापूर्वक यह दावा करता हूं कि मेरी पार्टी के सदस्य ऐसा नहीं करते और इस प्रकार सोच भी नहीं सकते। अत: ऐसा नहीं है कि प्रत्येक को बाहुबल और धन बल का प्रदर्शन करना पड़ता है किंतु हमें एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना होगा। जिसके विरुद्ध कोई भी आरोप न हो। ऐसा करना चाहिए और हमारी सारी राजनीतिक पार्टियों को ऐसा करना चाहिए। कोई भी संसदीय लोकतंत्र राजनीतिक पार्टियों के कुछ आदर्शों के बिना जीवित नहीं रह सकता है अथवा नहीं चल सकता है। कुछ साझे आदर्श होने चाहिए जैसे कि हम चुनावों में अधिक व्यय नहीं करेंगे। अत: जीपों, मोटर वाहनों और हैलीकाप्टरों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। आदर्शों में तथा हमारे घोषणापत्रों में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि अधिकाधिक लोगों को किस प्रकार आकर्षित किया जाए। अत: यह अत्यावश्यक है और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। मुझे विश्वास है कि सभी व्यक्तियों की शुभ कामनाओं के साथ, यहां सभी राजनीतिक पार्टियां आवश्यक चुनाव सुधार कर सकती हैं। काला धन हमारे लोकतंत्र को काला न करने पाए।

दूसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया वह भ्रष्टाचार से संबंधित है। इससे कौन इन्कार कर सकता है। हमारे नए राष्ट्रपति जी का प्रथम भाषण तथा हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वतंत्रता दिवस पर भाषण भ्रष्टाचार पर केन्द्रित था। आज यह हमारी राजनैतिक व्यवस्था के अंगों को खाता जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हमारा सिर शर्म से झुका हुआ है। कल मैं किसी जन सर्वेक्षण को देख रहा था जिसमें कि हमारे नवयुवक जो बड़े होकर हमारे नेता बनेंगे, भविष्य के नागरिक होंगे तथा जो कि भविष्य में हमारे विकास में सहायक होंगे किस पर सर्वाधिक अविश्वास करते हैं। उन्होंने कहा है कि वे राजनीतिज्ञों पर सबसे कम विश्वास करते हैं। स्थिति यह है। अत: जो हम कहते हैं जिस पर हम विचार करते हैं तथा जो कुछ हम करते हैं उस पर देश के लोगों को विश्वास नहीं है। इसलिए मैं इस सत्र का स्वागत करता हूं। आपसी दोषारोपण की अपेक्षा, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता—जो हम करते थे तथा यही चीज हम आगामी सत्र में कर सकते हैं, क्योंकि आपने हमें यह अवसर दिया है। आइए हम सोचें कि इसे किस प्रकार करना है, राजनीतिज्ञों पर से यह कलंक किस प्रकार हटाया जाए। इसलिए मुझे आजकल न्यायालयों द्वारा किए जा रहे व्यापक सामान्यीकरण पर आपत्ति है।

एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि न्यायिक सक्रियता के बढ़ने का कारण यह है कि सभी राजनेताओं ने लोकतंत्र की आवाज खो दी है। राजनेताओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता तथा प्रशासन पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। अत: न्यायिक सक्रियता अवश्यंभावी है। इस प्रकार के व्यापक सामान्यीकरण से देश के लिए कोई फायदा नहीं होगा। इस देश के लोग क्या सोचेंगे जब एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा एक उच्च न्यायिक अधिकारी इस देश के लोगों को बताता है कि कार्यपालिका कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि राजनेता कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि संसद लोगों को साधन नहीं उपलब्ध करा रही है। अत: हमें एक मसीहा और बड़े रक्षक के रूप में आना पड़ा है। इससे विकृतियां पैदा हो रही हैं।

मैं यह नहीं जानना चाहता कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं अथवा मैं किसी अन्य व्यक्ति से बेहतर हूं। यह मेरी समझ से परे बात है। किंतु एक विनम्र राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में, मैं यह महसूस करता हूं कि कोई मेरी ओर उंगली उठाकर यह न कहे कि क्योंकि वह एक राजनेता है, अत: उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता? इसलिए हम सबको यह सुनिश्चित करने के लिए एकमत होना चाहिए कि इस तरह का आरोप न लगाया जाये।

जी हां, मैं सहमत हूं। मुझे श्री अटल बिहारी वाजपेयी का पत्र प्राप्त हुआ है। मेरी पार्टी की तरफ से मैं इसके लिए वचन देता हूं। हम इस आचार संहिता से सहमत हैं, इसे तैयार होने दीजिए। सभी दलों को इसके लिए सहमत होने दीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक अन्य बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है जवाबदेही का प्रश्न। हमारे संविधान का आधार ही कार्यपालिका की इस सदन के प्रति जवाबदेही और इस सदन की लोगों के प्रति जवाबदेही है। लेकिन यह जवाबदेही लगभग समाप्त सी हो गई है। इसका जिक्र आपने अपने भाषण में भी किया था। अत: हमें इस जवाबदेही को पुन: स्थापित करना होगा और इसे पूरी तरह व्यवहार में लाना होगा। यह हमारा कर्त्तव्य भी है। जब तक हम कार्यपालिका द्वारा इस जवाबदेही का निष्पादन कराने में समर्थ नहीं होते तो हम अपने कर्त्तव्य में असफल हो रहे हैं। इसलिए ये वे मुद्दे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं।

मैं आर्थिक नीति की चर्चा नहीं करना चाहता। मेरी पार्टी के अन्य माननीय सदस्य इस पर बोलेंगे लेकिन मैं इस बारे में केवल एक वाक्य बोलूंगा। इस देश में हमें कभी भी धर्मनिरपेक्षता को नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए मुझे आशा थी कि जब इस सभा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जसवंत सिंह जैसे नेता मौजूद हैं तो उन्होंने तो कम से कम उस दिन की घटना के लिए खेद व्यक्त किया होता। हम धर्मनिरपेक्षता से कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। लोगों के दिल में यह भावना नहीं रहनी चाहिए कि धर्म के आधार पर उनसे भेदभाव किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी वचनबद्धता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता है और हमें इसे बनाए रखना होगा।

हाल ही में एक अन्य अवसर पर मैंने एक राष्ट्रीय कार्यसूची बनाने के बारे में कहा था। मेरे विचार से इस अवसर पर हमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यसूची तैयार करनी चाहिए। श्री शरद यादव ने इस पर ठीक ही बल दिया है। इसी तरह गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन, स्वास्थ्य की देखभाल, अनिवार्य शिक्षा और महिलाओं की समस्याओं के समाधन के लिए भी राष्ट्रीय कार्यसूची तैयार करनी चाहिए। हमारी मांग है कि महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जाना

चाहिए। साथ ही देश का संतुलित विकास किया जाना चाहिए। ये वे मुद्दे हैं जिन्हें राष्ट्रीय कार्यसूची में स्थान मिलना चाहिए। मेरा विचार है कि इनमें से कई मुद्दों पर पार्टियों के बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है कि हमने इस देश में जनसंख्या की वृद्धि के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमने लोगों को नौकरियां देने के लिए क्या किया है?

महोदय, आपने रुग्ण उद्योगों का जिक्र ठीक ही किया है। हतोत्साहित कामगार वर्ग की आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है उनको इतनी अधिक धनराशि अदायगी बाकी है। उनका उचित आदर नहीं किया जाता है। उनको देय राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। महोदय, हालांकि, हम उत्पादकता और समुचित औद्योगिक संबंधों के प्रति वचनबद्ध हैं परन्तु साथ ही इस ज्वलंत मुद्दे का समाधान भी होना चाहिए।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि यह चर्चा केवल चर्चा ही न बनी रह जाए, इससे हमें कोई दिशा मिलनी चाहिए। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बात की सराहना करता हूं कि अब आपके नेतृत्व में भविष्य में कार्य करने के लिए कुछ सामान्य आधार ढूंढने का गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। किसी देश के लिए पचास वर्ष का समय एक लम्बा समय होता है। ये 50 वर्ष देश के पुनर्निर्माण और विकास के वर्ष होने चाहिए थे लेकिन हमने कदाचित इसका बहुत बड़ा हिस्सा निर्देश देने में गंवा दिया है। जिससे इस देश के लोगों को कोई सहायता नहीं मिली।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा समाज के सभी वर्गों से अनुरोध है कि वे आपके द्वारा आह्वान किए गए दूसरे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हों।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में हम भारत की मूल समस्याओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। देश की मूल समस्याओं पर चर्चा करने से पहले मैं इस सभा में एक संसद सदस्य के रूप में अपने प्रत्यक्ष अनुभव के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र में पार्षद था। चुनाव जीतने के बाद, मेरी पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री बालासाहेब ठाकरे ने मुझे यह सलाह दी थी कि मेरा परिषद के लिए चुनाव हो गया है, मैं इस शहर का न्यासी था, उन्होंने कहा था कि वे यह नहीं चाहते कि कोई सदस्य उस माननीय सभा में कोई राजनैतिक भाषणबाजी करें अपितु हमें केवल शहर से संबंधित मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए और उसके सुधार के लिए सुझाव देने चाहिए।

अपराह्न 3.20 बजे

[**श्री चित्त बसु** *पीठासीन हुए*]

हमारा जन्म और लालन-पालन इस तरह की विचारधारा में हुआ है। मैं वही विचारधारा लेकर इस सम्मानीय सभा में आया और मैं यह सोच रहा था कि मैं इस सम्माननीय सभा के विद्वान संसद सदस्यों से कई अच्छी बातें सीख सकूंगा जो देश के सामने आई समस्याओं के बारे में गंभीरता से चर्चा करते होंगे। लेकिन मेरे इन विचारों को उस समय धक्का लगा जब मैंने देखा कि इस सम्मानीय सभा का एक राजनीतिक मंच के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। एक पार्टी दूसरी पार्टी की आलोचना कर रही है और दूसरी पार्टी किसी तीसरी पार्टी की आलोचना कर रही है और यह क्रम चलता जा रहा है। पूरे एक वर्ष के दौरान मैंने भारत के लोगों द्वारा झेली जा रही समस्याओं पर किसी गंभीर चर्चा को कभी भी नहीं सुना।

जब मैं लाबी में जा रहा था तो वहां कुछ संसद सदस्य बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि देश की समस्याओं पर चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन इसका सबसे खराब पहलू यह था कि सभा में पार्टियों के बीच आपस में आलोचना की जाती है और लाबी में एक पार्टी के विभिन्न समूहों द्वारा आलोचना की जा रही थी।

उसके बाद मैं लाबी से केन्द्रीय कक्ष में गया। मैं वहां लगी नेताओं की बड़ी-बड़ी तस्वीरों को देख कर बहुत खुश हुआ जिन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। लेकिन यह बात चौंका देने वाली थी कि सभी संसद सदस्यों ने केन्द्रीय कक्ष को एक कैंटीन के रूप में तब्दील कर दिया है। लोग वहां बैठे हुए हैं खा रहे हैं और कुछ लोग धूम्रपान कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि केन्द्रीय कक्ष में लोग गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर रहे होंगे, गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर रहे होंगे और अपने से बड़े लोगों से सलाह मशविरा कर रहे होंगे। लेकिन हमने केन्द्रीय कक्ष को कैंटीन में तब्दील कर दिया है जहां सभी बड़े नेताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। सभी वरिष्ठ नेता ये देख रहे होंगे कि वर्तमान संसद सदस्य इस केन्द्रीय कक्ष का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। सभी वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि सर्वप्रथम हमें अपनी छवि सुधारनी है।

सम्पूर्ण राष्ट्र हमारी ओर देख रहा है कि हम राजनैतिक नेता इस सम्मानीय सदन में वास्तव में क्या करते हैं। अत: अध्यक्षपीठ से मेरा यह नम्र निवेदन है कि इस केन्द्रीय कक्ष के दुरुपयोग पर तुरंत रोक लगा दें। मैं समझता हूं कि यहां कुछ संरचनात्मक विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए। यहां किसी को भी धूम्रपान करने, खाने अथवा चाय पीने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमें इस राष्ट्र की प्राथमिकताओं को बचा कर रखना है। हमें जनता ने यहां क्यों भेजा है? इसलिए कि हम

उनकी समस्याओं को हल कर सकें। मुझे पूरी आशा है कि यदि हम लोगों में अनुशासन होगा तो हम मतदाताओं में अनुशासन की बात कर सकते हैं। मेरे पिता ने सर्वप्रथम मुझे यह पाठ पढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि जब वे इस सम्मानीय सदन में थे और तब किसी सदस्य के भाषण के दौरान उन्हें अध्यक्षपीठ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मात्रा हाथ उठाना होता था, जिसका यह संकेत होता था कि वे भी उस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। यदि अध्यक्षपीठ की ओर से अनुमति मिलती थी, तो केवल तब ही वे बोल सकते थे। लेकिन यहां तो स्थिति पूर्णरूपेण विपरीत है। एक ही समय कई संसद सदस्य बोल रहे हैं कोई भी सदस्य एक दूसरे को नहीं सुन रहा है। हर एक सदस्य यही कहना चाहता है कि अमुक विषय पर बोलने का अधिकार केवल उन्हीं को है। हमारा व्यवहार अनुशासनबद्ध नहीं है पर हम यह बात करते हैं कि जनता को किस तरह से अनुशासनबद्ध व्यवहार करना चाहिए।

मैं एक नया संसद सदस्य हूं। इस सम्मानीय सदन में यह मेरा पहला कार्यकाल है। ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं कि हमने एक वर्ष में तीन-तीन प्रधान मंत्री देखे। यह हमारे राष्ट्र की राजनैतिक स्थिति है। मैं नहीं जानता कि इस लोक सभा के शेष साढ़े तीन वर्षों में और कितने प्रधान मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करने के बजाए यदि हम इस तरह से बर्ताव करेंगे और आपस में लड़ते रहेंगे तो, मैं नहीं समझता कि हमें इस राष्ट्र के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार है।

मैंने यह सब बातें अंग्रेजी में कही हैं। आगे, मैं अपनी मातृभाषा मराठी में बोलूंगा।

*सभापति महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्ष बीत गए हैं। आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमने गत 50 वर्षों के दौरान क्या हासिल किया और क्या हासिल नहीं किया और एक सामान्य व्यक्ति स्वतंत्रता से किस हद तक लाभान्वित हुआ। हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं परन्तु क्या हमने अपने नागरिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने की कोशिश की ताकि वह यह महसूस कर सकें कि वह इस देश का नागरिक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्वातंत्रया वीर सावरकर और डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि ''इस भारत को चार क्षेत्रों में विभाजित किया जाये। इसके केवल चार राज्यपाल होंगे और एक संसद होगी।'' मराठी में बोलने के पीछे मेरा यह उद्देश्य है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता यह समझ सके कि मैं क्या बोल रहा हूं। परन्तु इस नीति को अपनाने के बजाय हम भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करने में लगे रहे हैं। इसलिए हमारे देश का नागरिक यह नहीं सोचता कि वह इस देश का नागरिक है बल्कि वह यह सोचता है कि वह मद्रास, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर भारत इत्यादि राज्यों का रहने वाला है। अत: स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे नागरिकों के हृदय में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के बजाय हमने संकीर्ण एवं संकुचित भावनाएं जागृत की है। इस देश का नागरिक अपने राज्य के प्रति गर्व महसूस करता है, देश के प्रति नहीं। हर एक व्यक्ति के लिए राज्य महत्वपूर्ण होता है। हर एक मुख्यमंत्री अपने राज्य हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है परन्तु कोई भी मुख्यमंत्री यह नहीं सोचता कि क्या उसके प्रयासों से देश को कुछ लाभ होगा अथवा नहीं। यह कोई भी नहीं सोचता कि उसके निर्णय से राष्ट्र को कोई लाभ पहुंचेगा अथवा नहीं और इससे निर्धन लोगों की समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं। परन्तु हर कोई यही सोचता है कि इससे उसके राज्य को लाभ पहुंचेगा अथवा नहीं। कोई भी व्यक्ति कभी भी यह नहीं सोचता कि वह जो निर्णय ले रहे हैं, वह राष्ट्र के हित में है या नहीं। अत: मैं यह महसूस करता हूं कि इस सभा को चाहिए कि पचास वर्ष पहले भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करने हेतु लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करें।

हम कई बार यह चर्चा करते हैं कि जातिवाद को मिटाना चाहिए और विभिन्न जातियों में व्याप्त झगड़ों का समाधान करना चाहिए। परन्तु इस समस्या का हल ढूंढ़ने के बजाय हम विभिन्न रियायतें देते समय जाति का मानदंड अपनाते हैं। यहां तो स्थिति ऐसी है कि अमुक व्यक्ति अमुक जाति का है इसलिए उसे शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए और किसी दूसरी जाति को नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे ही कोई बच्चा युवा स्थिति में आता है तब उसके मन में जातिवाद का जहर भर दिया जाता है। मेरे लड़के ने मुझे बताया कि अन्य जाति के छात्र मेरे पुत्र से कहते हैं कि दूसरे छात्रों को प्रतिस्पर्धा में ठहरने के लिए अथक परिश्रम करना होगा परन्तु उनको अधिक परिश्रम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे यदि 60 प्रतिशत अंक भी प्राप्त कर लेते हैं तो उनको प्रवेश मिल जायेगा। इसका यह अर्थ है कि हमें युवाओं के मन में देशभक्ति की भावनाएं जागृत करने की बजाए हम गत 50 वर्षों से उनमें जातिवाद का जहर भरते रहे हैं। जब कोई रियायत किसी के लिए अधिकार बन जाती है तो हम प्रगति की दिशा में नहीं जा सकते। हमने पिछले 50 वर्षों में यह अनुभव किया है कि जब किसी रियायत की मांग अधिकार के रूप में की गई है तब प्रगति अवरूद्ध हुई। शिक्षा और रोजगार में जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो हमें यह विचार करना होगा कि यह उचित है अथवा नहीं। यह बहुत ही अनुचित एवं अन्यायपूर्ण होगा यदि किसी व्यक्ति को पदोन्नति इसलिए नहीं मिलती है कि वह सक्षम है बल्कि इसलिए कि वह एक विशेष जाति का है। ऐसे कई विषय और समस्याएं हैं जिसके कारण हमारे मन से राष्ट्रीय भावना लुप्त हो चुकी है और संकुचित एवं जातिवाद की भावनाएं भर गई है। और विडम्बना की बात यह है कि हम यहां पर यह भाषण देते हैं कि हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। अत: मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि हम वास्तव में जनता के हृदय में राष्ट्रीय भावना जागृत करना चाहते हैं तो हमें जाति पर आधारित आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था केवल 15 वर्षों तक जारी रखी जाए और उसके बाद सभी के लिए एक मानदंड रखा जाए। पर मुझे इस बात का खेद है कि जाति, प्रांत-गत भावनाएं हमारी प्रगति के मार्ग में बाधाएं हैं। अत: यह मेरी दृढ़ राय है कि कम से कम स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद जाति पर आधारित आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए और सभा को इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमें केवल मानसून के बाद ही अपनी कृषि आय की जानकारी हासिल होती है। अत: यह आवश्यक है कि मानसून के बाद केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया जाए। इसलिए केन्द्रीय बजट को मार्च में प्रस्तुत करने के बजाय दशहरा के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि हमें अपनी कृषि आय की

*मूलत: मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

जानकारी हो सके और तब इस बीच लिए गए निर्णयों को शेष महीनों में कार्यान्वित करना संभव होगा। यदि यह सदन कोई मौलिक परिवर्तन नहीं करता है तो हमें इस चर्चा से कुछ हासिल होने वाला नहीं है।

मैं जनसंख्या के मुद्दे को रेखांकित करना चाहता हूं। यदि हम अपनी तुलना चीन से करें तो हमें ज्ञात होता है कि परिवार नियोजन के क्षेत्र में हमने क्या पाया और क्या खोया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि हमारी परिवार नियोजन की यही रफ्तारी रही तो हमारी जनसंख्या आगामी 36 वर्षों में दोगुनी हो जायेगी। क्या हमारे पास इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संसाधन हैं और क्या हम अपने संसाधनों में बढ़ोत्तरी करने के लिए आवश्यक उपाय कर रहे हैं? इसके परिणामस्वरूप कितने भूक्षेत्र की सिंचाई हुई है और कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। अनेक सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित है। महाराष्ट्र सरकार की 6 सिंचाई परियोजनाएं गत तीन वर्षों से केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं। यदि इन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिल जाती है तो इससे हजारों एकड़ भूमि कृषि योग्य बन जायेगी और पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी लेकिन हमें केन्द्र सरकार से जरूरी सहयोग नहीं मिल रहा है। हम जो कहते है यदि उसे हम कार्यान्वित नहीं करते हैं, तो इससे प्रगति नहीं होगी। हम निर्धनता उन्मूलन की बात करते हैं। लेकिन यदि हम अपने खाद्य भंडार में बढ़ोत्तरी नहीं करते हैं सिंचाई क्षमता नहीं बढ़ाते हैं और भूमि को खेती योग्य बनाने का कार्य नहीं करते हैं, तो कोई परिणाम नहीं निकलेंगे। लेकिन ऐसा करने के बजाय हम राजनीति में पड़ते हैं। यदि एक राज्य में संसाधनों में बढ़ोत्तरी होती है तो सत्ताधारी दल भी वहां मजबूत होता है। इसलिए इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है।

अंतिम मुद्दे की ओर ध्यान दिलाकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि करने की मांग की जा रही है। हम निजीकरण की ओर जा रहे हैं। मेरी सूचना के अनुसार हमने तेल कूओं को निजी कंपनियों को देने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया को 1992 में अंतिम रूप दे दिया था।

महोदय, इन तेल कूओं की निविदाएं मंगाने की प्रक्रिया 1992 में पूरी करनी थी लेकिन हमने उन्हें तेल निकालने की अनुमति नहीं दी है क्योंकि कागज़ी कार्यवाही पूरी नहीं हुई है। मैं इस संबंध में आंकड़े भी दूंगा।

1992 में पहले दौर में 21 तेल कूओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। उनमें से केवल तीन कूओं के लिए प्रक्रिया पूरी की गई थी। दो के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है और 12 के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। छोटे तेल क्षेत्रों के बारे में हमने 31 तेलकुओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी और उनमें से 16 के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया और 15 किसी को नहीं दिये गए। लघु तेल कुओं के मामले में 1993 के पश्चात् 27 निविदाएं आमंत्रित की गई थी और एक निविदा की प्रक्रिया पूरी की गई थी। 26 निविदाएं किसी कंपनी को नहीं दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप हम प्रति दिन 40,000 बेरल कच्चे तेल का नुकसान उठा रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : महोदय, मैं अपनी आखिरी बात कह रहा हूं।

अत: 40,000 गुणा 365 दिन (एक वर्ष) गुणा 5 प्रतिवर्ष की दर से हम विदेशी मुद्रा की हानि उठा रहे हैं और हम करोड़ों मीट्रिक टन कच्चा तेल निकालने में असमर्थ हैं।

हम कीमतों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं लेकिन मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। निविदाएं आमंत्रित की गई थीं लेकिन लालफीताशाही के चलते प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। क्या यह सरकार मुझे बतायेगी कि इन निविदाओं की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई थी। उन कंपनियों को तेल निकालने की अनुमति क्यों नहीं दी गई थी और सरकार ने पेट्रोल, केरोसीन, तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि क्यों की?

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : यदि प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और यदि राजनैतिक मंशा और लालफीताशाही के चलते हम लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरा दोहन करने में असमर्थ हैं तो सरकार द्वारा निजी कंपनियों को पांच साल बाद भी तेल निकालने की अनुमति नहीं देना उचित नहीं है।

महोदय, देश के समक्ष अनेक समस्याएं हैं। लेकिन सरकार इन मुद्दों के संबंध में मूक दर्शक रही है। हमें कुछ निर्णय अवश्य लेने चाहिए। हमें कुछ नियमों एवं शर्तों में जरूरी बदलाव करने चाहिएं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो देश का भविष्य अंधकार में है यदि हम लोग यहां एकत्र हुए हैं और गंभीर चर्चा कर रहे हैं तो हमें नारे देने के बजाए समस्याओं के समाधान सुझाने चाहिएं। सिर्फ चर्चा से कुछ हासिल नहीं होगा यदि हमें गत पचास सालों में किए गए निर्णयों से कुछ नहीं मिला है, तो हमें निर्णयों को बदलने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

श्री चतुरानन मिश्र

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह सदन बुलाकर के इस विषय पर चर्चा का सब को अवसर दिया।

वैसे इस डिबेट का कैन्वास बहुत बड़ा है। इस समुद्र मंथन से अगर कुछ निकलकर आ जाये तो मुझे प्रसन्नता होगी, वरना यह बहुत बड़ा कैन्वास है, इसमें क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, यह तो हम लोग अन्त में ही समझेंगे। विपक्ष के नेता वाजपेयी जी से इस विषय पर मैं सहमत हूं कि भ्रष्टाचार हमारा सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जीवन के जो भी मूल्य हैं, वाइटल्स हैं, उसको खाता चला जा रहा है, समाप्त

करता जा रहा है और उसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाने हैं। प्रधान मंत्री ने और राष्ट्रपति जी ने इसका आह्वान भी किया है। सदन में भी यही विचार है कि इसका क्या किया जाये। मेरा ख्याल है कि सरकार जल्द से जल्द इस विषय पर कोई कार्यक्रम लेकर आयेगी, जो सबों के सामने प्रस्तुत होगा। इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि यह एक-दो दिन में तो ठीक होने वाला नहीं है। इसमें बहुत समय लगेगा, ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक, इसलिए उसके बारे में बाद में सुझाव दिया जा सकता है। हमारा ख्याल है कि सरकार इस काम को करेगी।

हमने अपने विभाग में जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जहां पर लेन-देन हो सकता है, उसका लेखा-जोखा तैयार करने के लिए अपने पदाधिकारियों को कह दिया है और कहा है कि इंस्टीट्यूशनल रिफार्म्स क्या हों। व्यक्ति जो गलती करता है, उसके लिए तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन अगर व्यवस्था में ही दोष है तो उसमें परिवर्तन करने का क्या किया जाये ताकि हम भी आपके सामने उसको यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

दूसरा सवाल है, जो वाजपेयी जी ने सही ही उठाया है, वह यह है कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। इस पर जितनी बहस की जाये, वह बहुत समय लेगी। मेरा एक ख्याल है कि अगर सभी दल यहां के तैयार हो जायें तो यह हो कि कोई भी पार्टी क्रिमिनल करैक्टर के लोगों को पार्टी टिकट नहीं दे और अगर यह हो जाये कि एक महीने पहले ही, दो महीने पहले ही आप सभी पार्टी मिलकर अपने केंडीडेट ठीक कर लीजिए, आखिरी रात तक ठीक नहीं कीजिए तो उसको इलैक्शन कमीशन को भेज दिया जाये, वह स्क्रीनिंग करके आपको दे देगा तो आप अपना परिवर्तन भी कर लीजिएगा, क्योंकि कानून बनाकर रोकना तो बड़ा कठिन है कि किसको रोका जाये, किसको नहीं रोका जाये, कौन अपराधी है, कौन नहीं है, यह बड़ा कठिन काम है। इसलिए अगर सभी पार्टीज़ को लें और अगर ऐसा आप चेयर से सभी दलों की राय लेकर प्रस्ताव करवा सकें तो कम से कम एक उपलब्धि हो जायेगी कि कोई पार्टी उसको टिकट नहीं दें।

सदन को अच्छी तरह से चलाने के लिए भी एक-दो अच्छे सुझाव जो वाजपेयी जी के हैं, उससे मैं काफी सहमत हूं कि लोग प्रश्नोत्तर काल होने दें, उसमें बाधा नहीं डालें। यह बहुत अच्छी बात है, मैं तो यह भी कहूंगा, जब मैं मंत्री नहीं था तो मैंने स्पीकर को लिखकर भी दिया था कि हर रोज कितना टाइम मि. हल्लागुल्ला के जरिये बर्बाद होता है, क्योंकि सबसे माननीय सदस्य वही हैं, जो आपके भी कंट्रोल में नहीं हैं, सर्वोपरि हैं, आप भी उनको कण्ट्रोल नहीं कर सकते हैं तो मि. हल्लागुल्ला कितना टाइम लेते हैं, वह रोज लोगों को दोहरा दें, बुलेटिन में पता चल जाये कि हमने इतना अच्छा काम किया है। एक यह भी मेरा सुझाव होगा।

जहां तक उनका सुझाव है कि वैल में नहीं आना चाहिए, वह तो अच्छी बात है। वैल में तो कहीं नहीं जाना चाहिए, न यहां, न बाहर, कुएं में कहीं नहीं गिरना चाहिए। लेकिन एक बात और है, अगर थोड़ा सा मेरा संशोधन स्वीकार कर लें कि यहां पर वैल में नहीं आयें और बाहर में मंदिर मस्जिद नहीं तोड़ें। दोनों को मान लीजिए। हम आपकी बात मान लेते हैं और आप हमारी बात मान लीजिए। अगर यह छोटा सा संशोधन स्वीकार कर लें तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। यह तो ऐसा सवाल था जिसकी हमने चर्चा की।

अभी हमने आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई। सारी दुनिया में इस बात की चर्चा है और सब लोगों ने तारीफ की है। वह किस बात की है, वह इस बात की है कि जहां इतने लोग अनपढ़ हैं, इतने लोग दरिद्र हैं, फिर यह कैसे सम्भव है कि पचास वर्ष तक लगातार बिना किसी रुकावट के इन्होंने अपने गणतंत्र को चलाया है। सबसे ज्यादा गौरव भारत को इस बात का मिला है। हमारे साथ जो आजाद हुए थे, उनके यहां ऐसा नहीं हुआ। क्या कारण है कि पाकिस्तान भी हमारे साथ आजाद हुआ, लेकिन वहां आधा समय तानाशाही रही, बंगला देश में भी इसी प्रकार से व्यवस्था रही। उसका एक ही कारण है कि हमने कभी धार्मिक राज्य की घोषणा नहीं की। हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, जो राष्ट्रीय आंदोलन में हमने समझा था। यही एक गुण हममें रहा, बाकी कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने इस्लामिक राज्य खुद को घोषित किया और कई बार उनका इस्लाम टूटा और बना, लेकिन उसका प्रजातंत्र अक्षुण्ण नहीं रहा। यह बात आप कहते हैं कि हिन्दुत्व बड़ा है, एक होना चाहिए, इस पर हमारा आपसे मतभेद है। इसको आपको ही हल करना है। अगर आप कहेंगे कि हिंदुत्व ही सर्वोपरि है, दूसरी तरफ कहते हैं कि सर्व धर्म सम्भाव और प्रैक्टिस में कहते हैं कि हिंदुत्व सबसे बड़ा रहेगा, तो यह ठीक नहीं है। अगर पचास वर्ष के बाद इस देश को यह ज्ञान हो सकता है कि इस देश में सब लोग बराबर हैं, एक दूसरे की हत्या करवाकर और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे तो हम और ज्यादा सफल हो सकते हैं। चार साल तक हम सभी लोग धर्मनिरपेक्ष रहे हैं, लेकिन पांचवे साल में जब चुनाव आता है, यह धर्मनिरपेक्षता इवेपोरेट कर जाती है, आकाश में चली जाती है। यही हमारी राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसीके चलते देश तबाह हुआ है। इसका दूसरा नतीजा यह हो रहा है कि इस देश के जो 15-20 करोड़ आदमी हैं, खासकर मैं मुस्लिम सम्प्रदाय की बात करता हूं, वे स्वतंत्रता से वोट नहीं दे सकते। वे न राजनीति पर विचार करते हैं और न आर्थिक स्थिति पर विचार करते हैं। वे एक ही बात पर विचार करते हैं कि बी.जे.पी. तो नहीं आ रही है। हमारे घर कौन सुरक्षित रखेगा? इतनी बड़ी आबादी को अगर आप यह स्वतंत्रता न दें, वे स्वतंत्र होकर काम न करें तो प्रजातंत्र कैसे विकसित होगा। इस बात पर माननीय सदस्य विचार करें और इस विकृति को आपको ही हल करना है।

एक और बिंदु है जिसकी चर्चा भी रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन यह भारतीय राजनीति का अहम् विषय है। यह हिंदुत्व का उदय होना, अंडरड्यूरस का होना है। आजादी के वक्त उच्चकोटि के जो राष्ट्रीय नेता हैं, वे मुस्लिम सम्प्रदायवाद से हार गए, देश के दो टुकड़े हो गए, तब से उन्होंने मुस्लिम समाज को छोड़ दिया। कोई सुधार नहीं किया, कुछ नहीं किया, छोड़ दिया और हार मान ली। आज हम देख रहे हैं कि उसी समाज में परिवर्तन के लक्षण आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुस्लिम महिलाएं बड़े पैमाने पर लखनऊ में नमाज पढ़ने गईं। अगर सब मिलकर उनको बढ़ावा दें तो वे मुख्य धारा में आ सकते हैं। तब हमारा प्रजातंत्र और मजबूत हो जाएगा।

एक और विषय है, जिसकी चर्चा हमारी रिपोर्ट में नहीं है, वह मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारा जो हिंदू समाज है वह अनेक जातियों पर आधारित है। उसके अंदर एक सोशल अपहीवल आ रहा है। पता नहीं सभी माननीय सदस्य देखते हैं या नहीं देखते हैं। हमारी आंखें धीरे-धीरे कमजोर हो गई हैं लेकिन हम इस बात को देखते हैं। जबर्दस्त अपहीवल आ रहा है। अब वे दलित नहीं हैं जो पहले थे। जो गांधी जी के वक्त में थे, वे दलित अब नहीं हैं। परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन यह है कि वे सत्ता में भागीदार होना चाहते हैं। वे दान का टुकड़ा अब नहीं खाना चाहते और हम लोग अपने को सभ्य कहते हैं। हम आपको पार्लियामेंट के एक क्वश्चन में 1995 की स्थिति के आंकड़े देते हैं जिसमें पांच सौ बावन दलितों की हत्या की गई और 843 का शील हरण हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह सभ्य समाज है? इतने अत्याचार तो गोरे लोगों ने साउथ अफ्रीका में काले लोगों पर भी नहीं किए थे। यह लज्जाजनक है और आप लोग इसकी चर्चा नहीं करते तो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन क्या होगा? हमारी रिपोर्ट में भी इसकी चर्चा नहीं है। बहुत से लोग बोले हैं। उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की है। यह हिन्दू समाज की क्रांति है। इसमें हमें सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन इस सामंजस्य का आधार बराबरी का होना चाहिए। किसी को नीचे रखकर नहीं किया जाना चाहिए। यह स्वीकार करके आपको हमको आगे बढ़ना होगा कि ये भी उसी समाज का एक बड़ा हिस्सा है। उसी तरह ओ.बी.सी. का प्रश्न है, उसकी अभी जागृति हुई है और वे सामाजिक न्याय को लेकर चले हैं। बहुत अच्छी बात थी और हमारी पार्टी ने तो उसका साथ दिया था। वामपंथ ने भी साथ दिया है तथा कांग्रेस वालों ने भी साथ दिया है और केसरी जी कुछ ज्यादा ही साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं क्या यह सामाजिक न्याय का नया अपहीवल हो रहा है? उसे सम्भालने का काम जायज किया है? अगर आपने इसको संभाल लिया होता और आज अगर गांधी जी होते तो इसको एक नए दृष्टिकोण से देखा जाता। आज हम सभी बातों में सत्ता में रहने और न रहने के दृष्टिकोण से देखा करते हैं। जो उनके बीच में जाकर चारों तरफ जाकर उनमें एका स्थापित कर सकें, उनको अधिकार दिला सकें, यह काम नहीं होता है और इसीलिए यह संकट होता है। आपके बड़े-बड़े राज्य जो हैं, संयोग से हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र भी हैं, वहां अस्तव्यस्तता है। वहां सरकार नहीं चल पा रही है। कोई कहता है कि प्रेसीडेंट रूल लगा दीजिए। कोई कहता है कि हाई कोर्ट रूल है। कोई कुछ कहता है। तमाशा मचा हुआ है। अगर इस प्रजातंत्र की आप रक्षा करना चाहते हैं तो इस अपहीवल का आपको निराकरण करना होगा। इसकी भी हमें चर्चा करनी चाहिए। अब एक नई बीमारी क्या है? लोग सामाजिक न्याय के लिए चले थे और इसको जांत-पांत में परिवर्तित कर दिया। एक कहावत है कि आए थे कि हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ऐसी बात यहां हो रही है। जात-पात के चलते ऐसी स्थिति यहां पैदा हो रही है कि राष्ट्रीय नेताओं का अपमान किया जा रहा है। उनकी प्रतिमाओं पर डंडा लगाया जा रहा है, जूता पहनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा का अपमान हुआ और राष्ट्रीय नेताओं का यहां कानपुर में हुआ। यह क्या हो रहा है? क्या यह दंगा-फसाद करने का तरीका है? क्या यह राज करने का तरीका है? आपके दस्तावेजों में इसका जिक्र होना चाहिए था। इस देश में कुछ अधिक अनिष्ट होने वाला है।

जहां तक डॉक्टर अम्बेडकर का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी हिस्टोरीकल राइटिंग्स पब्लिश की थी। पृष्ठ 66 की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जात के आधार पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। एक व्यक्ति है जिसने यह कहा था। बिना निर्माण के भारत का निर्माण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जाति को मानोगे तो मेरी जाति सही या गलत है, यही बात होगी। अगर अपनी जाति का है और घूस ली भी है तो क्या है? अपनी जाति का आदमी है। आपकी भी जाति का करेगा। तीसरे, उन्होंने कहा कि जात-पात में मजदूर वर्ग में फूट हो रही है। यह भी हम सब लोग देख रहे हैं। आज डॉक्टर अम्बेडकर की सीख को हमें कम से कम इतना तो मानना पड़ेगा। जाति प्रणाली का विनाश गांधी जी से टकराव हुआ था। समय नहीं है कि मैं इस पर जाऊं। हम इसीलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं कि यह बहुत खतरनाक स्थिति है। हम लोगों को इसे संभालना चाहिए। अगर हम नहीं संभालेंगे तो समाज टूटेगा और उसका रिफलेक्शन पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी पर पड़ेगा। इसी तरह से हम आपको कहना चाहेंगे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पालिटिक्स में जातिवाद और कम्युनलिज्म है। आप गहराई में जायेंगे, तो पायेंगे कि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अपनी-अपनी जाति के क्रिमिनल को सब अच्छा समझते हैं। अपनी-अपनी जाति से भ्रष्टाचारियों को सब अच्छा समझते हैं। जब यह स्थिति है, तो राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता है और तरक्की का यह सपना, सपना ही रह जाएगा।

जहां तक चुनाव में सुधार की बात है, वाजपेयी जी की बात से मैं सहमत हूं कि उसको करना चाहिए। रुपए-पैसे भी सरकार की तरफ से मिलने चाहिए। कई देशों में ऐसा हो चुका है और इसको करना चाहिए। पार्टियों के भी नियमित चुनाव हों। लेकिन इसमें भी दिक्कत यह आ रही है कि पार्टियों का अपना चुनाव है, उसमें भी इलैक्शन कमीशन आदेश देगा और सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। जब यह स्थिति है, तो आप पोलिटिशियन क्या हैं। आप अपनी पार्टी का चुनाव भी नहीं करवा सकते हैं, तो देश का क्या कीजिएगा। मेरे विचार से इसमें सारी गलती हम लोगों की है, राजनीतिज्ञों की है, दल विशेष की है। इसमें भी आपको सुधार करना पड़ेगा। हाई कोर्ट अगर ज्यादा हस्तक्षेप करेगा, तो हाई-कोर्टवाद हो जाएगा और फिर उनके यहां भी वही स्थिति पैदा हो जाएगी।

मैं कुछ सवालों के बारे में और चर्चा करना चाहता हूं। असल में अभी इसमें मतभेद है। हम लोग सही ढंग से बोलते नहीं है और बोलते भी हैं, तो कार्रवाई नहीं करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि गरीबी दूर होनी चाहिए। पचास साल पहले से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुई नहीं है। पहले जो नेता लोग प्रधान मंत्री थे या मंत्री थे, वे हमसे काबिल थे। आपको इसके कारण का पता लगाने के लिए इस बात की तह में जाना होगा। एक सबसे बड़ी गलती हमारी प्लानिंग में हुई है। जो आदमी जो काम करता है, उसी में उसकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश न करके, ऊपर से "अच्छी स्कीम" बनाकर के फतवा दे दिया कि इसको लागू करो, लेकिन काम फिर भी नहीं होता है। सब आदमी बोलते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब यह बात है, तो कृषि में एलोकेशन ऑफ फन्ड आपको ज्यादा करवाना चाहिए। कृषि में पशुपालन भी शामिल है। कृषि, पशुपालन में एम्पलायमेंट देने की सबसे ज्यादा क्षमता है। ...*(व्यवधान)* हार्टिकल्चर इसका अंग हुआ। जब आदमी कहते हैं, तो बाल भी आदमी का है। आप देखिए, राष्ट्रीय रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ गया। कौन बढ़ाया—एग्रीकल्चर। आपका रेट ऑफ इन्फलेशन घट गया। कौन घटाया—एग्रीकल्चर, लेकिन पैसा आपने इन्डस्ट्री को दिया। जब आप यह काम करते हैं, तो गरीबी कैसे दूर हो सकती है। जनसंख्या के हिसाब से मार्जिनल फार्मर्स और स्माल फार्मर्स सबसे ज्यादा हैं, लेकिन इनकी आमदनी बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि साइंस मे बढ़े हुए हैं, टैक्नोलाजी में बढ़े हुए हैं। माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि सैटेलाइट बनाया और पाकिस्तान ने नहीं बनाया। हमारे बगल में अरब देशों ने सैटेलाइन नहीं बनाया। जब इतना कुछ हो गया है, तो फिर हम गरीबी में क्यों फर्स्ट हैं? मैं कृषि मंत्री होने के नाते से कह सकता हूं कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इस साल किसानों ने आलू बहुत उपजाया, लेकिन बहुत सारे सड़ गये, बिके नहीं ...*(व्यवधान)* इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, जो गलती हुई है, उसको सुधारिए। एक दूसरी गलती के बारे में भी विचार कीजिए कि सही है या गलत है। वाजपेयी जी स्वतंत्रता सेनानी है। सन् 1942 के ये भी प्रोडक्ट है और हम भी उसी साल के हैं.... *(व्यवधान)* एक ही उम्र के हैं दोनों। जेल भी गए। अब इसमें भी विवाद हैं, तो बताइए हम क्या करें। एक समय की सीमा होनी चाहिए, जहां से हम प्रोसीड कर सकें। इसको भी दिखवा लीजिएगा। ...*(व्यवधान)* हम आपसे कह रहे थे, हम सब लोगों ने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और अभी सब क्या कर रहे हैं कि अंग्रेजों जल्दी यहां पूंजी लाओ। हमने रेड कारपेट बिछाया हुआ है। आप बोलिए यह सच्ची बात है या नहीं, अब देखिए परिवर्तन तो हो गया। हम लोग जेल से छूटे थे तो उस समय जवाहर लाल जी प्रधानमंत्री बन गए थे। सब नारा लगाते थे अंग्रेजी पूंजी, विदेशी पूंजी जब्त करो। आज कोई मुख्य मंत्री है, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे गैर-कम्युनिस्ट हो, उसको बुलाने के लिए सब विदेश दौड़ कर जा रहे हैं तो आप बताइए हम क्या करें? ...*(व्यवधान)*

महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड सिचुएशन में भारी चेंज आया है और हम लोगों में से कोई गांधी, नेहरू नहीं है, सब टटपूंजिये हैं, रिटेलर हैं। इस राष्ट्र को चलाने के लिए होलसेलर चाहिए। वह अपने देश की हालत को देख कर रास्ता तय करेगा लेकिन ऐसा नेता नहीं है। यहां से कोई अमेरिका में जाकर देखता है कि वहां पर ऐसा है तो यहां आकर कहता है कि ऐसा हो, कोई यूरोप जाकर देखता है कि ऐसा है तो यहां आकर कहता है कि ऐसा हो, भारत का कोई नहीं देखता है। अब आप देखिए, हमारे पास पब्लिक सैक्टर है। हमारे कांग्रेस के मित्र बुरा नहीं मानेंगे, हम आलोचना के लिए नहीं कह रहे हैं। आज आपके नेता बहुत बोले। आप ही लोगों ने पब्लिक सैक्टर बनाया था, इन लोगों ने सात-आठ वर्षों तक इसे छोड़ दिया, कोई सपोर्ट नहीं किया। अब आप ही कहिए, आपके ही वे बच्चे थे। जिस बच्चे की मां डायन हो जाए तो उस बच्चे का क्या होगा? आपने उसे धराशायी कर दिया। हम लोग आए, हमने देखा कि ये सब बच्चे मरने वाले हैं तो हमने उनको जल्दी-जल्दी से दूध पिलाकर ठीक किया, जिन्दा रखा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप जरा संक्षेप में बोलिए।

श्री चतुरानन मिश्र : आप जब कहेंगे हम समाप्त कर देंगे।

सभापति महोदय : आप एक-दो मिनट में समाप्त करिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, जब बुद्धिमतापूर्ण बातें कही जा रही हैं, तो उन्हें और समय दिया जाना चाहिए। यही सभा की परम्परा है।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : अगर थोड़ा सा समय देंगे तो हम आपको कुछ और बातें बता देंगे। मैं पाच-सात मिनट में समाप्त कर दूंगा। अब

आप पब्लिक सैक्टर के बारे में देखिए हम लोग तो इधर कम्युनिस्ट हैं, आप जानते हैं। यहां के मजदूर समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर कम्पनी सिर्फ उन्हीं की हैं दूसरे की नहीं है। वे काम करें या न करें, चाहे घाटा हो जाए, कुछ भी हो, नासिक प्रेस से रुपये ले आइए। यह तो आज के युग में चलने वाला नहीं है। नयी नीति परिवर्तन कीजिए, जो फंडामेंटल गलती हुई है वह यह हुई है कि पब्लिक सैक्टर लॉ आफ मार्केट नहीं समझे, मार्केट को इग्नोर कर दिया, कम्पीटिटिवनेस को रखा नहीं। यहां तक कि प्राइमरी मार्केट से पैसा उठाने का भी काम नहीं किया। यह जो गलती की है इसको मत दोहराइए। पब्लिक सैक्टर चलेगा, इस गरीब देश में पब्लिक सैक्टर को छोड़ कर दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम कहेंगे, इस पर मतभेद है तो हम लोग बैठ कर बात कर लें कि हम लोग कैसे चलाएं, क्या करें। ...*(व्यवधान)* आप लोग भी कलकत्ता से फ्रेश होकर आए हैं तो कुछ हवा वामपंथ की लग गई होगी। ...*(व्यवधान)*

महोदय, अब हम जिसकी चर्चा करेंगे वह यह है कि विदेश की नक़ल करने से काम नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

दो प्रकार के आर्थिक कानून हैं। एक आर्थिक अधिशेष वाले देशों के लिए और दूसरा आर्थिक घाटे वाले देशों के लिए।

[हिन्दी]

हमारे पास वर्ल्ड बैंक के लोग आए थे, हमने जब उनसे कहा तो वे चुप रह गए। हमारे यहां गुजरात में कहा कि प्लेग जैसा कुछ हो गया है तो बाजार से टेट्रासाइक्लिन गायब। हमको कहते हैं कि ट्रेड को आजादी दे दीजिए, आप बोलिए यह क्या होगा? यहां देवेन्द्र जी बैठे हुए हैं। यहां से सारा गेहूं ले आए और इन्होंने बाजार में दे दिया, उन्होंने दबा कर रख लिया। जब 14-15 रुपए किलो होने लगा तो हम लोग कहने लगे कि यह क्या हो गया?

[अनुवाद]

आर्थिक घाटे वाले देशों में बाजार का नियम सही ढंग से नहीं चल रहा है जबकि आर्थिक अधिशेष वाले देशों में यह नियम सही ढंग से चल रहा है।

अपराह्न 4.00 बजे

[हिन्दी]

यह डिस्टिंक्शन हमारे अर्थशास्त्री नहीं करते हैं। हमारा देश गरीब है और अपने देश को देखकर ही हमें चलना है। इसी तरह से हम आपको कहना चाहेंगे कि जितनी सरकारें आती हैं वह कहती हैं कि विदेश वाला कैसे आयेगा, विदेश वाला कैसे आयेगा। हमको कभी-कभी लगता है कि इससे अच्छा है कि विदेश में रहते, यहां रहकर क्या करना है, यह कोई तरीका है। आप विदेशी टैक्नोलोजी लाइये तो हम रोकते नहीं हैं, लेकिन किसी राष्ट्र का निर्माण विदेशियों की मदद से नहीं हो सकता है। राष्ट्र का निर्माण तो अपनी शक्ति से ही हो सकता है। अगर हम इस पर एकमत हो जाएंगे तो हम सफलतापूर्वक, सम्मानजनक ढंग से अपना काम कर सकेंगे। ...*(व्यवधान)* दूसरा खतरा जिसकी तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वह है गैट का। गैट के आने के बाद विश्व एक मार्किट होने जा रहा है। साइंस और टैक्नोलोजी में वे हमसे डवलप हैं। हम बैकवर्ड हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी लो है। खाली मेहनत करने से तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी। सवाल तो टैक्नोलोजी का है। हमारी समस्या यह है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक कैसे लाएं। इसके लिए आपको पेट-काटकर आर.एंड.डी. के लिए रुपया देना होगा। अगर आप यह नहीं करेंगे तो आप देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस सरकार ने इस बारे में कुछ किया है लेकिन वह भी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। ...*(व्यवधान)* सब्सिडी पर भी अध्यक्ष महोदय बहस हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सब्सिडी एक दम हटा दीजिए। हमारी राय यह है कि इस देश का कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है लेकिन उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर कीमत कम की जा सकती है। मूल्य कम हो सकते है और अधिक आर्थिक सहायता के बिना हम लोगों को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध करवा सकते हैं। हमारे यहां शुगर की रिकवरी 5 से 10 प्रतिशत है। सदन में महाराष्ट्र के शुगर के नेता बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)* मैं सब्सिडी की चर्चा कर रहा था कि सब्सिडी को हम लोग हटा सकते हैं लेकिन उसको हटाने का तरीका है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए।

आखिरी सवाल मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने देश में जो अन-ईवन डैवलपमेंट हो रहा है उस पर चर्चा की और जायज चर्चा की। लेकिन वह पार्शियली सही है पूरी तरह से सही नहीं है। किसी ने कहा कि गरीबी के कारण अपराध होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता तो अमरीका में हाइयेस्ट क्राइम नहीं होता। क्राइम के बारे में भी मैं बता सकता हूं उसमें मैं अभी जाना नहीं चाहता हूं। मौजूदा सरकार ने कोशिश की है कि जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसको हम बढ़ाने का काम करना चाहते हैं और जो राज्य सरकारें हैं उनको हम ज्यादा साधन देना चाहते हैं। कामरेड चटर्जी बोल रहे थे, उन्होंने चर्चा की लेकिन हम कहना चाहते हैं कि दसवें वित्त आयोग ने कहा था कि कुल आय का 9 परसेंट आप दीजिए तो हमने दे दिया। नौंवां प्लॉन जो बना है उसमें कुल मिलाकर राज्यों को 42 प्रतिशत दिया गया है। आप देख लीजिए, हो सकता हैं एक-दो परसेंट जल्दी में छोड़ा गया हो। लेकिन हमने उसको शुरू किया है। रेल मंत्री ने पिछड़े हुए इलाके में जो रेलगाड़ी देना शुरू किया है उसमें क्या

मुनाफा होगा? हम देश हित की दृष्टि से कह रहे हैं, ईंधन डैवलपमेंट के लिए कह रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार पिछली सरकारों के विपरीत नीतिगत परिवर्तन कर रही है। मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा कि हम सरकार में इसलिए शामिल हुए हैं कि हमें दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुत्व होने से भारतीय प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा और भारत की एकता खत्म हो जाएगी। इसलिए सभी रीजनल पार्टियां मिल कर एक हुई हैं और कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। सैंट्रल क्वश्चन हिन्दुत्व का है। सर्वधर्म समान है और हिन्दुत्व थोड़ा बड़ा है, यह नहीं चलेगा। ऐसा करके कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि राष्ट्र को बचाने के लिए, देश की एकता को बचाने के लिऐ, हम सब दृढ़प्रतिज्ञ होकर नए दृष्टिकोण से विचार करें। जिन बिन्दुओं पर हमारी एकता है, उनको लेकर हम प्रोसीड करें। बाकी बिन्दुओं पर थोड़ा खतरा है। अगर ये हिन्दुत्व छोड़ देंगे तो आधे से ज्यादा बाहर रह जाएंगे और अगली बार लौट कर नहीं आएंगे। यदि उन्हें हमारा सुझाव उत्तम लगे तो मान लें।

अपराह्न 4.07 बजे

[कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन* **हुए]**

श्री जगमोहन

[अनुवाद]

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस सम्माननीय सदन में अपने विचार रखने का मौका दिया *(व्यवधान)*, मैं अनुरोध करूंगा कि उनको अनुशासित रहने के लिए कहा जाए वे बातें कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री जगमोहन : मैं यहां पर कही गई बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। कुछ बहुत उचित बातें कही गई हैं लेकिन मैं सोचता हूं कि जब हम एक ऐतिहासिक मौके पर संसद के विशेष सत्र के लिए एकत्र हुए हैं तो हमें सतही बातों के बजाए इस देश का निर्माण करने वाली मस्तिष्क और यथार्थरूपी अंतर्निहित शक्तियों के आधारभूत तत्वों को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सभी बाहरी रुप आंतरिक भावना की अभिव्यक्ति है। हमें इन समस्याओं को इतिहास के परिप्रेक्ष्य में वृहत दृष्टिकोण से देखना चाहिए।

जैसाकि श्री वाजपेयी जी ने प्रात: कहा कि हम पांच हजार वर्षों से अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। अत: हमें इन पचास वर्षों को पांच हजार वर्षों के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हम आज जो कुछ हैं वह हमारे पूर्वजों की विरासत ही है। मुझे टी.एस. इलियट की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं:-

''टाइम प्रजेंट एंड टाइम पास्ट
आर बोथ प्रेजेंट इन द टाइम फ्यूचर
एंड टाइम फ्यूचर कटेंड इन द टाइम पास्ट''

यह इन तीन कालों के बीच एक संबंध स्थापित करता है तथा एक और महत्वपूर्ण बात है कि:

''फुटफाल्स इको इन द मेमोरी
डाउन द पैसेज दैट वी डिडनोट टेक
टुवोर्ड्स द डोरस विच वी डिडनाट ओपन''

आज विचार का विषय यह है कि जिस काल अवधि की हमने उपेक्षा कर दी और वे दरवाजे जिनको हमने खोला नहीं और इसके क्या परिणाम रहें। अत: इन पचास वर्षों के बाद हमें अपने अतीत की यात्रा की पड़ताल करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि इन पचास वर्षों के दौरान हमने कहां गलतियां की, हमारी कौन सी खामियां रही हैं और क्या हमारी उपलब्धियां रही हैं और इन 50 वर्षों के दौरान हमें कितनी बुराइयां मिली हैं। इस विशेष सत्र में हमें इन्हीं मुद्दों पर विचार करना चाहिए न कि उन मुद्दों पर जिन पर हम सामान्यत: चर्चा कर सकते हैं और इस पर विचार करना भी हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घावों को कैसे भरें।

नया रास्ता कैसे खोजा जाए और इस पर कैसे विचार किया जाए कि हमारे पास कोई अन्य विकल्प है या नहीं, या कुछ और संशोधन की आवश्यकता है या नहीं?

मैं आपका ध्यान 15 अगस्त, 1947 को प्रसारित अभिभाषण की ओर दिलाना चाहता हूं। यह इस प्रकार है:-

''मध्यरात्रि के इस प्रहर में जब सारी दुनिया सोती है, भारत नवजीवन और स्वतंत्रता का स्वागत करेगा। ऐसा पल इतिहास में मुश्किल से ही आता है, जब हम पुरातन से नवीन की ओर बढ़ते हैं, जब एक युग समाप्त होता है, और जब किसी राष्ट्र की लम्बे समय से दबाई हुई आत्मा मुखर होती है।''

मैं इस सदन से तीन मौलिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ''जागना'', क्या हम वास्तव में जाग गए हैं? इस प्रश्न पर हमें विचार करना चाहिए। स्वतंत्रता का स्वागत करना, किस प्रकार की स्वतंत्रता हमें मिली है?

काफी समय से दबाई गई आत्मा क्या है? मैं समझता हूं कि यह पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के अभिभाषण का वह भाग है जिस पर ज्यादा गौर नहीं किया गया है। लम्बे समय से दबाई गई आत्मा क्या थी? मेरा विचार है कि यदि हम जागते भी हैं, तो कुछ ही समय के लिए जागते हैं और फिर सो जाते हैं।

स्वामी विवेकानन्द ने भी इस सुप्त विशाल देश की बात की थी। यह देश जागा तो परन्तु कुछ समय बाद इसने गलत दिशा अपना ली थी। आजादी तो मिली परन्तु किस तरह की?

गांधी जी से 15 अगस्त, 1947 को कोई संदेश देने के लिए कहा गया था। उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। अत:, वह कोई संदेश नहीं दे सकते। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ।

मैंने, अन्य लोगों की तरह ही एक छात्र के रूप में रक्त की सरिता में से स्वतंत्रता का सूर्योदय देखा जिसमें कम से कम बीस लाख लोगों ने अपना खून बहाया था। वे उस रक्त की सरिता में विलीन हो गए थे। एक करोड़ बीस लाख अन्य लोग उस खूनी ज्वार में बह गए थे और वह दुख भी उसी स्वतंत्रता का भाग था। हमें विभाजन के अभिशाप को नहीं भूलना चाहिए। आज भी जब सीमा पर गोलियां चलती हैं, तो यह भी उसी अभिशाप का भाग है। हमने उससे कोई शिक्षा नहीं ली।

ये बातें आज हमारे लिए विचारणीय होनी चाहिए क्योंकि जब हम आजादी की बात करते हैं जीवन और सुप्त आत्मा का उल्लेख करते हैं, किस्मत से बाजी की बात करते हैं, तो हमें इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। क्या हमने वास्तव में अपने भविष्य को परिभाषित किया है? क्या हमने वास्तव में यह परिभाषित किया कि हम कहां जाना चाहते हैं? हमारा मूल प्रश्न यह होना चाहिए था कि हम कैसी सभ्यता का निर्माण करना चाहते हैं? हम कैसी संस्कृति की रचना करना चाहते हैं? हम किस प्रकार के मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं? हम कैसी मेधा विकसित करना चाहते हैं? यह बहुत मौलिक प्रश्न है और चूंकि हमने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया, अत:, हम आज तक वहीं के वहीं खड़े हुए हैं।

यह ठीक है कि प्रत्येक राष्ट्र को निर्माताओं की आवश्यकता होती है। कानून बनाने वालों की, संविधान, सामाजिक और आर्थिक व्यवहार के निर्माताओं की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु इन सबसे ऊपर हमें मस्तिष्क और आत्मा बनाने वालों की आवश्यकता है। हमें एक प्रकार की मनोवृत्ति की आवश्यकता है। यह वह मूल आवश्यकता है, जो उस उत्कर्ष को सशक्त करती है। चाहे हमारे पास विश्व का सर्वोत्कृष्ट संवैधानिक ढांचा हो परन्तु सामाजिक और सांस्कृतिक जड़े और राष्ट्र की मनोवृत्ति ही वह मूल है जो इन लक्ष्यों को सार्थक बनाती है।

महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हमने क्या घोषणा की हमने कहा कि हम भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनायेंगे जो *विचारशक्ति में, कर्मों में, संस्कृति में और मानवता की सेवा में सामर्थ्यवान होगा।* परन्तु इन पचास वर्षों में हम कहां पहुंचे हम सामर्थ्यवान तो बने लेकिन भ्रष्टाचार में, निर्ममता में, भ्रम में, अव्यवस्था में, राजनीति के अपराधीकरण में और अपराधों के राजनीतिकरण में।

हमारे पास सभी प्रकार की संरचना मौजूद थी। हम भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते थे, अत: हमने केन्द्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य संस्थाएं बनाईं? परन्तु क्या ये संस्थाएं भ्रष्टाचार की रोकथाम कर पाई? भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ गया क्योंकि यदि हमारा मन स्पष्ट नहीं, यदि हमारी प्रवृत्तियां सही नहीं, तो सभी प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तनों से भी विपरीत परिणाम ही हासिल होंगे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के गठन के बाद इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ा दी है क्योंकि अनेकों बार इस संस्था के माध्यम से भ्रष्टाचार का पता लगाने का नहीं अपितु उसे छिपाने का काम करवाया गया।

यह एक मूल मुद्दा है जिस पर हमें विचार करना चाहिये हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में यह घोषित किया है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य चाहते हैं किन्तु हम किस प्रकार के लोकतांत्रिक समाजवादी और धर्म-निरपेक्ष है। कोई भी इस बात के लिए विवाद नहीं करता कि वह लोकतंत्र नहीं चाहता या वह धर्म-निरपेक्षता या समाजवाद नहीं चाहता। समस्या यह है कि हम अच्छा लोकतंत्र चाहते हैं या बुरा। यह चयन हम पर निर्भर करता है कि क्या हम वास्तव में लोकतंत्र चाहते हैं या केवल दिखावा भर चाहते हैं, क्या हम वास्तव में समाजवादी होना चाहते हैं या कि केवल इस मामले में दिखावा ही करना चाहते हैं।

स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी ऐसा क्यों है कि नव वर्ष के उपलक्ष में देश भर में करोड़ों रुपये बरबाद कर दिये जाते हैं होटल की प्रत्येक मेज पर कम से कम 20,000 रुपया खर्च किया जाता है और दूसरी ओर लाखों लोग कड़ाके की सर्दी में खुले में सो रहे होते हैं। क्या समाजवाद का यही खाका हमने खींचा था? यह वास्तव में यही दर्शाता है कि समाजवाद के लिए हमने कोरी बातें ही की हैं और वहीं हमारे आदरणीय मित्र सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र की बात करते हैं। पहले हमारे पास सरकारी क्षेत्र था, या अब निजी क्षेत्र में हैं। मैं जानता हूं कि सरकारी क्षेत्र में राजनैतिक प्रभाव से किस तरह नियुक्तियां होती हैं, किस तरह सरकारी क्षेत्र में राजनैतिक प्रभाव से हुईं नियुक्तियों की भरमार है। जब निष्पक्ष रूप से काम ही नहीं हुआ, तो सरकारी क्षेत्र को तो असफल होना ही था। इसी तरह से निजीकरण होने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ गया है क्योंकि काम करने का सही रवैया वहां नहीं है इसलिये संक्षेप में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि वह विरासत क्या थी जिसने ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे विचार से सभी दलों के नेता इस बात पर सहमत थे कि हर सदस्य को दस मिनट का समय दिया जायेगा।

श्री जगमोहन : महोदय, मैं अपनी बात यथा संभव संक्षेप में कहने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं सोच रहा था कि मुझे पच्चीस मिनट मिलने हैं। मुझे यही बताया गया था। फिर भी मैं कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा। मैं सभी मुद्दे उठाने में उत्सुक नहीं हूं। फिर भी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। कम से कम एक बात मैं अवश्य कहूंगा।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री जगमोहन : महोदय, मैं कह रहा था कि जब हम कहते हैं कि भारत एक महान देश बनेगा, भारत का विश्व में सम्पूर्ण विश्व को सभ्य बनाने और जीवनयापन का नया तरीका देने का लक्ष्य रहा है, उसने जीवन का एक नया तरीका दिया है, तो हम किस आधार पर ऐसा कहते हैं? इसका आधार है हमारी महान सभ्यता। टॉयनबी का मानना है कि इक्कीसवीं शताब्दी में भारत विश्व पर विजय पा लेगा, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम सैनिक शक्ति से विश्व पर विजय पा लेंगे अथवा हमारे पास विश्व पर विजय पाने के लिए पर्याप्त परमाणुशक्ति होगी। उनका अभिप्राय है कि हममें जो मूल्य विद्यमान है उनके आधार पर हम विश्व पर विजय पा लेंगे, हम अपने मनोबल द्वारा विश्व पर विजय पा लेंगे। आप कह सकते है कि अमरीका ने अपने उद्यमों के कारण प्रगति की है। यदि हम से पूछा जाए कि हमारी परिसम्पत्ति क्या है, तो मेरा उत्तर होगा मानसिक शक्ति और इससे उत्पन्न स्वभाव औदार्य। हमारी मुख्य धारणाएं और विचार क्या थे-कर्मयोगी होगा, त्याग की भावना, तपस्या, संतुलन, मैत्री, कर्मठता, सत्यवादिता।

गांधी जी का कहना था कि : ''मेरे लिए सत्य ही ईश्वर है'' आप कह सकते हैं कि मूल प्रश्न है ''राम राज्य''। वास्तव में इसका अर्थ है उचित और न्यायोचित साधनों द्वारा उचित और न्यायपरक सरकार और इसका कोई निर्धारित मार्ग नहीं है आप सत्य के नीचे से उच्चतर स्तर की ओर बढ़ सकते हैं, आप निरन्तर प्रयास कर सकते हैं। हमारी महान सभ्यता के मूल में यही विचार रहे हैं। यदि हमने इन विचारों को अपना मूल आधार बनाया होता तो आज हमारा भविष्य कुछ भिन्न होता। हमारा देश एक बहुत ही ईमानदार और सच्चा देश होता। आज बहुत सी बात कही गईं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री जगमोहन : महोदय, आपने मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए कहा है लेकिन आप मुझे अपनी बात कहने के लिए कम से कम दो मिनट अवश्य दें।

महोदय। आज यह पूर्णत: स्पष्ट है कि समकालीन इतिहास में हमारे विकास के इन 50 वर्षों में हमारे नेतृत्व में मुख्य तीन प्रकार की विफलताएं रही हैं (1) प्रेरणादायी दृष्टि का विकास करने में विफलता (2) हमारे ह्रास और पतन की लम्बी अवधि के दौरान उत्पन्न अपनी दुर्बलताओं से उभरने में हमारी विफलता और (3) विवेकानंद की सांस्कृतिक जागरूकता और गांधी जी की राजनीति को आध्यात्मिक बनाने के लिए बताए गए सूत्रों को जोड़े रखने में हमारी विफलता। हमने उन माडलों का बहुत अधिक अनुकरण किया है जो अन्य आवश्यकताओं, परिस्थितियों और इतिहास की अन्य अवस्थाओं के अनुरूप है। अनेक बार हम पाश्चात्य प्रणालियों, चाहे वह समाजवादी हों, पूंजीवादी हों अथवा दोनों प्रणालियों का मिश्रण हो, चमक-दमक से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विभाजन और स्वतंत्रता के पचास वर्षों के बाद हमें दो प्रणालियों की बुराइयों को झेलना पड़ रहा है। हमारी महान सभ्यता में गिरावट और पाश्चात्य सभ्यता की कतिपय भारी त्रुटियों के हमारी प्रणाली में आ जाने के कारण हमारी व्यवस्था में उत्पन्न सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक कमजोरियां और बढ़ गई हैं। हम उस स्थिति की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं जहां पहुंच कर हम सम्मान के साथ पीछे की तरफ और आशा के साथ आगे की तरफ नहीं देख सकते हैं।

महोदय, हम भारतीय जनता की आन्तरिक शक्ति को पुन: जागृत करें, प्राचीन उदार प्रकृति का पुन: सृजन करें और उन आदर्शों तथा अवधारणाओं का पुन: निर्माण करें जिनसे भारत महान बना था और सभ्यता की जननी कहलाया था और जिसने स्वामी विवेकानन्द और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों को प्रेरित किया और जिसकी वजह से आरनोल्ड टोयनोबी ने कहा था ''कि विजयी भारत 21वीं सदी में भी विजेताओं पर विजय हासिल करेगा।''

नई सभ्यता और संस्कृति के निर्माण का हमारा मुख्य साधन सशक्त, सृजनात्मक और रचनात्मक सोच होनी चाहिए। नए भारत की इमारत इस सभ्यता और संस्कृति द्वारा निर्मित मिट्टी और जलवायु पर खड़ी होनी चाहिए। इस इमारत की ईंटें नई आध्यात्मिक आग में सिकनी चाहिए और इसे करुणा, वचनबद्धता, संतुलन, सामंजस्य, न्याय और सच्चाई के गुणों के सीमेंट से लगाया जाना चाहिए। हाथों से एक कर्मयोगी के रूप में कार्य किया जाना चाहिए। हमें नैतिक और सांस्कृतिक क्षमताओं का पुन:सृजन करना चाहिए। ऊपरी बातों की चर्चा से हम विजय की आशा नहीं कर सकते। बाहरी गंगा की सफाई से पहले हमें अपने अन्दर की गंगा को साफ करने का अभियान शुरू करना चाहिए। शारीरिक गंदगी की सफाई से पहले मन की सफाई के बारे में सोचना चाहिए।

महोदय, नैतिकता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है *(व्यवधान)* जी हां, यह मेरे ही लेख का अंश है। समय की कमी के कारण मैंने कहा था कि इस मूल प्रश्न का उल्लेख होना चाहिए।

परन्तु मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि सुबह मेरे मित्र श्री सिंधिया ने कहा था कि हमें आत्म विश्वास नहीं खोना चाहिए, हमें अपनी अच्छी बातों की चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, मेरा इस पर कोई विवाद नहीं है। मैं आपको उस रास्ते पर ले गया हूं जिसे आप कांटों भरा समझते हैं मैंने सुख के कुछ क्षेत्रों की उपेक्षा कर दी है। परन्तु मेरी ऐसी मंशा नहीं है। मेरा इरादा यह स्पष्ट करने का है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है। मैं कुछ आंकड़े पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि अब अपनी बात समाप्त कीजिए आपने 20 मिनट से अधिक का समय ले लिया है।

श्री जगमोहन : मैं केवल एक मिनट का समय और लूंगा क्योंकि यह बहुत ही प्रासंगिक बात है। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूं परन्तु मैं सब बातों का उल्लेख नहीं करूंगा। मैं इस बात को पूरा करना चाहता हूं। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब प्रगति के आंकड़ों का उल्लेख हो रहा है, तो यह बेहतर है कि इसमें से कुछ रिकार्ड में जो कि समानरूप से प्रासंगिक है, रखा जाए। इससे इन पचास वर्षों में हुई प्रगति का पता चलता है।

मैं केवल चार पंक्तियों का ही उल्लेख करना चाहता हूं जिससे यह स्पष्ट होता है कि आज का मुद्दा यह नहीं है कि हमने प्रगति की है अथवा नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण मुद्दा तो सापेक्ष विकास का है विश्व ने कितनी प्रगति की है और हमने कितनी। इसके संबंध में तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपनी अंतिम बात कहूंगा। 1950-51 में विश्व के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भारत का हिस्सा दो प्रतिशत था। अब यह हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम है। 1950-51 में तीसरी दुनिया के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भारत का योगदान 12 प्रतिशत था। अब यह संगत अंशदान घटकर पांच प्रतिशत रह गया है। औद्योगिक उत्पादन के संबंध में भी कोई अलग स्थिति नहीं है। 1950-51 में विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन में भारत का हिस्सा दो प्रतिशत था। आज यह 0.7 प्रतिशत है। 1950-51 में तीसरी दुनिया के औद्योगिक उत्पादन में भारत का 14 प्रतिशत का योगदान था। आज यह घटकर चार प्रतिशत रह गया है। इसी प्रकार 1950-51 में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा दो प्रतिशत था जो इस समय घटकर 0.6 प्रतिशत रह गया है। ऐसे बहुत से आंकड़े हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि विकास की दर मायने रखती है। विकास की दर में हम विश्व में औसतन ही नहीं बल्कि तीसरी दुनिया के देशों से भी पिछड़े हुए हैं। मैं यही बात कह रहा हूं। मैं निराशाजनक स्थिति नहीं देखना चाहता।

मेरी बात के दो अर्थ हैं। आज हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं? क्या हमें इस बात पर गर्व होता है कि दूसरे देशों में डिक्टेटरशिप है और हमारे यहां नहीं? क्या हम तीसरी दुनिया का एक ऐसा देश बनना चाहते हैं जो हमेशा कर्ज में फंसा रहे। क्या हम तीसरी दुनिया का एक ऐसा देश बनना चाहते हैं जो आतंकवाद और विघटनकारी समस्याओं से जूझता रहे अथवा ऐसा देश बनना चाहते हैं जो इन समस्याओं से पलायन कर गया हो? अथवा क्या हम एक ऐसा महान देश बनना चाहते हैं जिसकी हमारे नेताओं ने 1947 और 1950 में कल्पना की थी? हमें यह निश्चित करना चाहिए कि क्या हम भारत को सभ्यता का नया माडल बनाना चाहते हैं।

सभापति महोदय : कृपया, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने 25 मिनट का समय लिया है।

श्री जगमोहन : मैं केवल एक मिनट का समय और लूंगा। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हमें यह निश्चित करना चाहिए क्या हम सभ्यता का नया माडल बनाना चाहते हैं। हमें अस्तित्व के नए ढांचे की रूपरेखा तथा सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व के नए ढांचे की रूप रेखा को निश्चित करना है।

आपने मेरे विचारों में व्यवधान डाला है लेकिन फिर भी मैं अभी अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : मैं दूसरे लोगों को 20 मिनट तक बोलने के लिए नहीं रोक सकूंगा।

श्री जगमोहन : मैं अपनी बात में एक और पंक्ति जोड़ना चाहता हूं क्योंकि इससे मेरी बात पूरी हो जाएगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा विचार यह नहीं है कि हमने ऐसा किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमने गलती की है। मैं निराशावादी नहीं हूं। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि हमें इस पर विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

जहां कारवां भूल जाते हैं, रास्ता,
वहीं से निकलती हैं मंजिल की राहें।

[अनुवाद]

जहां कहीं भी हम अपना रास्ता भूल जाते हैं केवल वहीं से हम अपना नया रास्ता खोज सकते हैं। अपने पूरे भाषण में मैंने इसी बात पर जोर दिया है क्योंकि इसके बिना मेरा भाषण पूरा नहीं होता है। हमने गलत रास्ता चुना है। हम अपने रास्ते से भटक गए हैं। अब समय आ गया है कि हम दूसरा रास्ता खोजने के बारे में सोचें।

सभापति महोदय : श्री पी.आर. दासमुंशी बोलेंगे। मैं आपसे समय का ध्यान रखने का अनुरोध करूंगा।

श्री पी.आर. दासमुंशी

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय मैं कोशिश करूंगा।

पचास वर्ष पूर्व इस महान देश में एक महान देशभक्त, भारत के महान सपूत पंडित जवाहर लाल नेहरू ने नेतृत्व संभाला। आज 50 वर्ष पश्चात् इस सभा में उपस्थित सभी दलों के बीच अनेक असहमतियां

हो सकती हैं। अनेक मुद्दों पर हमारी राय भिन्न हो सकती है। लेकिन मेरे लिए आज इस सभा और इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेते हुए सर्वाधिक हर्ष की बात यह है कि यदि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारी नैतिक रूप से कोई उपलब्धि रही तो वह यह है कि सभी दलों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर महात्मा गांधी को स्वीकार किया है। जब हम सबने महात्मा गांधी को स्वीकार कर लिया था तो यह भी उतना ही दुखदायी है कि सभी राजनीतिक दलों को यह समझने में 50 वर्ष लगे कि महात्मा गांधी की प्रासंगिकता क्या थी। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मैं यह भी कहता हूं कि संभवत: महात्मा गांधी ने उस समय सही उत्तराधिकारी चुना था, जब उन्होंने ऐसा कहा था जिसे मैं उद्धृत करता हूं:

> ''मैं कई वर्षों से कहता रहा हूं और अब भी कहता हूं कि जवाहर लाल मेरे उत्तराधिकारी होंगे।''

वे आगे कहते हैं:

> ''वे मेरी भाषा नहीं समझते और जो भाषा वे बोलते हैं वह मेरे लिए विदेशी है। यह सच हो भी सकता है और नहीं भी लेकिन दिलों के मिलन में भाषा कोई बाधा नहीं है और मैं यह जानता हूं कि जब मैं चला जाऊंगा तो वे मेरी भाषा बोलेंगे।''

और वास्तव में उन्होंने भाषा बोली। अपनी मौत से पहले उन्होंने अपनी वसीयत लिखी और मैं उनकी वसीयत केवल अंतिम भाग को उद्धृत करूंगा, जहां जवाहरलाल जी कहते हैं:-

> ''मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियों का बड़ा हिस्सा दूसरे तरीके से विसर्जित किया जाए। मैं चाहता हूं कि उन्हें हवाई जहाज द्वारा आकाश में ले जाकर उस ऊंचाई से उन खेतों में बिखेरा जाए जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं ताकि वे भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाएं और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएं।''

इसी भाषा की गांधीजी ने बहुत सही तरीके से परिकल्पना की थी। हमने उस दिन से अपनी यात्रा शुरू की। यह सच है कि हमने इस देश पर 40 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया है। जो भी उपलब्धियां रहीं हम आप सबके साथ उन्हें सांझा करते हैं और जो हम नहीं कर सके उसकी जिम्मेदारी केवल हमारी है। मुझे आज किसी भी आरोप को स्वीकार करने अथवा इन्कार करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज उन्हें उनमें निहित राजनीति से मैं उजागर नहीं करना चाहता।

महोदय, श्री जगमोहन ने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की है कि हमने गलत रास्ता अपनाया। गलत तरीका अपनाया। यदि हमने गलत रास्ता अपनाया होता तो जवाहर लाल नेहरू तथा उनके बाद कई लोग जैसे मोरारजी भाई, श्री चरण सिंह, श्री चन्द्रशेखर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री देवेगौड़ा और अब श्री गुजराल ने वही विदेश नीति कैसे स्वीकार की है जो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने शुरू की थी। यदि हमने अपने संविधान के मूल ढांचे के साथ पहले संशोधन से लेकर अठारहवें संशोधन तक कुछ छेड़छाड़ की होती तो हम पंचायती राज संस्थाओं को निचले स्तर पर संसद के साथ कैसे जोड़ पाए। क्या यह योगदान और यह रास्ता चुनना गलत था।

महोदय आज अटल जी ने कहा कि आपातकाल के लिए भी किसी दल को माफी मांगनी चाहिए।

[हिन्दी]

आजकल माफी मांगने की आदत हो गई है। अटल जी ने ठीक कहा। मैं उनका आदर करता हूं।

[अनुवाद]

राजनीति में कुछ भी स्थाई नहीं है। लोगों से ही सीखना होगा और लोगों से सीखने के लिए यदि कोई घोषणा पत्र तथा अभिव्यक्ति देता है, यह केवल झुक जाना और लोगों के आगे नतमस्तक होना है। इससे किसी की प्रतिष्ठा कम नहीं हो जाती और इसी कारण कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में एक स्वर में आह्वान किया गया कि 6 दिसम्बर, 1992 को चाहे कुछ राजनीतिक दलों ने इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बहुत नुकसान पहुंचाया परन्तु हम भी उचित समय पर कानूनी उत्तरदायित्व नहीं निभा पाए। यह कहने में गलत क्या है?

महोदय, मैं जानता हूं कि आपातकाल ने कुछ गलत किया है और कुछ ठीक अथवा कुछ बहुत ठीक हो सकता है। अन्यथा श्री जगमोहन जैसे बुद्धिजीवी जो कि आज भा.ज.पा. में हैं, दिल्ली में आपातकाल के दौरान हमारी प्रमुख खोज थे। मेरे विचार से बुद्धिजीवी तो बुद्धिजीवी हैं। इतिहास के समय और घटनाओं के बारे में पूछताछ नहीं करनी चाहिए। आज यदि हमें माफी मांगनी है तो सबको माफी मांगनी चाहिए। हमें लोगों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करना चाहिए। यदि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने कुछ गलत किया था तो क्या उसे इस सदन से निलम्बित करना उचित था जबकि वे चिकमगलूर से निर्वाचित हुई थीं? चाहे 1977 में हमें लोगों ने नकार दिया तो इसी प्रकार उन्होंने किसी और को 1980 में यह कहते हुए नकार दिया था कि उन्होंने उसे बाहर कर दिया था तथा वह तरीका ठीक नहीं था। लेकिन यह भारतीय प्रजातंत्र है और इसने उसी तरह से कार्य किया है। हमने उस प्रत्येक घटना से सबक लिया।

एक समय था जब हर किसी ने सोचा था कि नेहरू के बाद राम मनोहर लोहिया के अनुयायी उत्तर प्रदेश का ध्यान रखेंगे। महान समाजवादी श्री राम मनोहर लोहिया के अनुयायी इस समय यहां हैं, जिनका मैं आदर करता हूं। वे अपनी सोच अर्थात् समाजवाद के लिए अंत तक लड़े। अब वे महसूस करते हैं कि नेहरू चले गए, इंदिरा चली गई, कांग्रेस चली गई, परन्तु उत्तर प्रदेश समाजवादियों के हाथों में नहीं है बल्कि उनके अपने हाथों में है। इससे हमें यह समझने और परखने में मदद मिलेगी कि इन 50 वर्षों के दौरान गैर-कांग्रेसवाद से अंतत: क्या निकला। इन 50 वर्षों के भीतर गैर-कांग्रेसवाद विभिन्न राजनीतिक दलों के गठन का आधार रहा होगा। लेकिन यह उन्हें इस मंजिल तक

पहुंचने में सहायक नहीं हो सका। जिसका उल्लेख उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण *''द ट्राइस्ट विद डेस्टिनी'' में किया है जिसे उन्होंने 14 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि में केन्द्रीय कक्ष में दिया था। यही मैं आपसे कहना* चाहता हूं।

आज हम क्या हैं? हम केवल हिन्दू या मुस्लिम नहीं हैं। हम एक ऐसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, संस्कृति जिसमें हर कोई सम्मिलित है। महान कवि टैगोर के उद्धरण से अधिक उचित कुछ नहीं हो सकता जिन्होंने अपनी महान रचना ''ओड टू इंडिया'' में 'हम भारतीय कौन हैं' की निम्न प्रकार से व्याख्या की गई है:-

''नो वन नोज एट हूज काल
हाऊ मैनी स्ट्रैन्ड आफ द ह्यूमन रेस
रशड इन फ्रोम नोवेयर, लाइक इरिजिसटेबल स्ट्रीम्स
एंड लास्ट देमसैल्वस इन दिस सी।
द आर्यन्स एंड द नान-आर्यन्स,
द द्रवीडास एंड द चाईनीस,
द साकास एंड हून्स, द पठान्स एंड द मुगल्स -
आल मर्जड इनटू ए सिंगल एनटिटि
दोज हू क्रासड डिजर्टस, एंड हिल्स एंड माउंटेन्स
विद बैटल क्राइज आन देयर लिप्स
एंड ब्रस्ट अपोन द प्लेन
टूमुलटूअस, वाइल्ड,
इन माई बोसम द रेस्ट, वन एंड आल,
नन आर रिमोट फ्रोम मी, नन।
इन माई ब्लड डे एंड नाईट
म्युटली थ्राब देयर वेरीड नोट्स।''

यह सब टैगोर ने अपनी उत्कृष्ट कविता ''भारत तीर्थ'' में कहा है।

जो टैगोर ने कहा है उसका अभिप्राय इस बात पर झगड़ा करना नहीं था कि कौन कहां से आया। आज श्री वाजपेयी 1757 की प्लासी की लड़ाई का उल्लेख कर रहे थे। मैं श्री वाजपेयी के इस सभा में योगदान को नमन करता हूं। वह सिराजुदौला थे जिन्होंने वह लड़ाई लड़ी। अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस विशेष सत्र में हम गांधी और नेहरू का उल्लेख कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आजादी की हमारी लड़ाई थी जिसने इस देश में धर्मनिरपेक्षवाद के लिए आधार प्रदान किया। वह सिराजुद्दौला थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े, उसके बाद बहादुर शाह जिन्होंने ''सैनिक विद्रोह'' का नेतृत्व किया। हम यह भी जानते हैं कि टीपू सुलतान और हैदर अली ने अंग्रेजों के आक्रमण से अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु बड़ा उत्साह का परिचय दिया। इस देश में मुसलमानों का योगदान असाधारण है। क्या आप इस तथ्य को नकार सकते हैं? इसलिए गांधी जी देश में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए लड़े और उनका प्रसिद्ध भजन :

[हिन्दी]

''ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान''

[अनुवाद]

गांधी जी की प्रार्थना नहीं है बल्कि यह भारत के धर्मनिरपेक्षता से मेल खाती है जिसे भारत के संविधान में एक प्रमुख संशोधन अर्थात् बयालीसवें संशोधन के जरिए लाया गया है। वह संशोधन राष्ट्र का गर्व था। क्या ये सभी बातें अर्थहीन हैं।

जनसंख्या बढ़ती चली गई। वास्तव में जब आपातकाल के दौरान जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किए गए तो क्या उन्होंने कोई राजनीति का खेल नहीं खेला? क्या उन्होंने यह कहकर राजनीति का खेल नहीं खेला कि परिवार नियोजन का यह विशेष उपाय एक विशेष धर्म को प्रभावित करेगा तथा उस धर्म विशेष को ''क'' पार्टी अथवा ''ख'' पार्टी को सरकार बनाने के लिए नहीं चुनना चाहिए? जब जनसंख्या नियंत्रण अभियान अपने चरम पर था तो हमने राजनीति का खेल खेला। आज हमें अतीत को भूल जाना चाहिए। हमें यह महसूस करना चाहिए कि वर्तमान जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के बावजूद यदि हम 220 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन कर भी लें तो भी हम देश को गांधीजी, मेरी और श्री जगमोहन जी की अपेक्षित ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकते। यह आज भी एक मूल प्रश्न है।

हर बार हम देश के मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। फिर हम समाजवाद अथवा देश में धर्मनिरपेक्षता कैसे ला सकते हैं? जब कभी भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, गुप्तचर सेवा के लोग मुस्लिम बस्तियों के इर्द-गिर्द उनके एजेंटों की तलाश में निकल पड़े। जब इस तरह संदेह व्यक्त करके उनका अपमान किया जा रहा हो तो वे इस देश में किस प्रकार रह सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सहनशीलता। आज सहनशीलता का स्तर क्या है? मैं उन लोगों के बारे में जानता हूं जो यह प्रचार करते हैं कि मुसलमान अधिक लाभ उठा रहे हैं। यह किस प्रकार का लाभ है?

थोड़े दिन पहले मैं अपने मित्रों से यह विचार-विमर्श कह रहा था कि दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए एक पंडाल बनाने के लिए हमें 15 दिन लगते हैं पूजा के लिए 10 दिन तथा विसर्जन के लिए 5 दिन लगते हैं। कुल मिलाकर हमें एक माह लगता है और कोई अन्य सड़क पर कब्जा नहीं कर पाता। दीवाली और काली पूजा के लिए हमें दस दिन, होली के लिए हम शहर को चार दिन व्यस्त रखते हैं जन्माष्टमी में हमें एक शाम लगती है और राम नवमी को हमें अन्य दो दिन लगते हैं। किन्तु यदि मुसलमान, मस्जिद में स्थानाभाव के कारण सड़क पर दो घंटे के लिए ''प्रवेश मना है'' के बोर्ड के लिए एकत्र हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ''यह क्या है''? हम कहते हैं कि मुसलमानों ने सड़क पर दो घंटे के लिए कब्जा कर लिया है। इसका अभिप्राय: यह है कि

हम इसे सहन नहीं कर सकते। क्या आप इसे ''सहनशीलता'' कहेंगे। अब यह हो रहा है।

[हिन्दी]

एक दिन के मोहर्रम के लिए दो दिन ताजिया लगाएंगे। पुलिस बोल देगी कि रास्ते में जाना बंद हैं, मुसलमानों का ताजिया जा रहा है। हम लोगों का कमैंट क्या होता है? बर्बाद है, मुसलमान को ताजिए के लिए दो दिन गाड़ी घुमानी पड़ती है। हमारी दुर्गा पूजा के लिए 15 दिन बंद होता है, हम तो बोलते नहीं।

[अनुवाद]

यह सहनशीलता हमने खो दी है। जब तक देश में हम इस प्रकार की सहनशीलता बहाल नहीं करेंगे, महात्मा गांधी का बलिदान तथा सिराजुद्दौला से लेकर बहादुरशाह, टीपू सुल्तान से हैदर अली तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लोगों का अकथित बलिदान व्यर्थ हो जायेगा। मैं जानता हूं कि हम कहां खड़े हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा।

एक मुसलमान रिक्शेवाला केवल 5 से 7 रुपये प्रतिदिन अर्जित किया करता था। जिस दिन दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण किया जाता था वह अपने धंधे पर नहीं जाता था। वह आता था –

[हिन्दी]

झांक मारकर देखते थे कि कब हम भगवान रामचंद्र की कहानी देखेंगे। टेलीविजन नहीं था, चाय की दुकान में बैठते थे कि हम सीरियल देखकर जाएंगे। उसी मुसलमान ने दिल में राम को बिठा लिया। कुछ दिन बाद जब कोई जय राम का नारा देते हैं तो उनको डर लगता है कि कोई हमें मारने तो नहीं आ रहा है। इस समाज को हमने इस जगह पर पहुंचा दिया है। हमारा सैकुलरिज़्म आज इतने बड़े खतरे में है। पचास साल की आजादी के बाद यदि पब्लिक सैक्टर खतरे में है तो उसे हम सुधार सकेंगे, कानून में गड़बड़ी है तो उसे हम सुधार सकेंगे लेकिन यदि सैकुलरिज़्म खतरे में है तो हम देश को बचा नहीं पाएंगे। आज यह चुनौती हमारे सामने बड़े ढंग से आ गई है। इसके लिए सारी पार्टियों को अपने मतभेद छोड़कर, यदि हम कमिटमैंट दिखाना चाहते हैं, आज सोमनाथ जी ने कहा था—कमिटमेंट आफ पालिटिक्स, कमिटमेंट संविधान के साथ हो, कमिटमैंट विद दी कौन्सटीट्यूशन। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी संसद की गरिमा गिर रही है। मैं न्यायालय की, न्यायाधीश की समालोचना करने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन यह संविधान कहता है कि अपनी-अपनी जगह पर सबको काम करना चाहिए। संसद की कार्यवाही में दखल देने का किसी को हक नहीं है। आज इस देश में हाई कोर्ट के बयान से हमको पता लगाना पड़ेगा कि सरकार रहेगी या नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट के बयान से हमको संतुष्ट होना पड़ेगा कि किसी आदमी का सदन में क्या होगा या नहीं होगा। यह कोई तरीका है।

हमारे एक मित्र कल्पनाथ राय जी हैं। हमारे कुछ साथी इधर हैं। उनको चाहे फांसी का फंदा चढ़ाएं, कानून को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एम.पी. होने के नाते, पौलिटीशियन होने के नाते भरी अदालत में जो टिप्पणी सुनाई गई, यह कल्पनाथ राय जी की कहानी नहीं है बल्कि पूरे सदन के ऊपर लाठी मारी गई है। इस सदन के अधिकार को गुमराह करने के लिए, इस सदन के अधिकार को छीनने के लिए जो साजिश चल रही है, वह गलत है। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट – पचास साल की आजादी के बाद इस देश में अगर किसी की सुप्रीमेसी होनी चाहिए तो पार्लियामेंट की होनी चाहिए। संविधान कौन बनाता है – सदन, इसे कौन बदलता है – सदन, कानून कौन बनाता है – सदन, कानून का अमैंडमैंट कौन लाता है – सदन, जनता का नुमाइंदा कौन होता है – मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट। यदि कोई गलती करता है तो उसके कंडक्ट के लिए आज वाजपेयी जी ने सो सुझाव दिए, मैं मानता हूं कि यदि उसने सैंट्रल हाल या लॉबी में वोट डालने के समय, बहस के समय, क्वश्चन डालने के समय कोई ऐसी गलती की है, सदन की कमेटी हो जो उस पर विचार करे, उनका बहिष्कार करे, निकाले, उसके बाद कानून की कार्यवाही करे। यह क्या हो रहा है।

[अनुवाद]

यदि मैं एनरान के विरुद्ध कोई प्रश्न करता हूं तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैंने हयून्डाई से पैसा ले लिया है। यदि मैं न्यायपालिका के लिए दरवाजे खुले रखता हूं और यदि मैं किसी कंपनी के विरुद्ध बहस में इसका उल्लेख करता हूं तो कौन जाने कि कोई मेरे विरुद्ध षडयंत्र रच दे कि मैंने हयून्डाई से पैसा ले लिया है?

[हिन्दी]

उसके घर में जाकर इन्क्वारी करो, सीबीआई को भेजो, सुप्रीम कोर्ट बुला ले।

[अनुवाद]

जांच का कार्यक्षेत्र कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है। पुलिस अधीक्षक मूर्ख नहीं होता है। वह भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी होता है। उसे अपने महानिदेशक को रिपोर्ट करनी होती है तथा महानिदेशक क्यो अपने मुख्य सचिव को रिपोर्ट करनी होती है। मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री को बिना किसी राजनैतिक पक्ष के रिपोर्ट करनी पड़ती है। आज स्थिति यह है कि यदि एक न्यायाधीश को एक पुलिस अधीक्षक को अपने निजी कक्ष में बुलाकर यह कहना पड़े कि ''आप डी जी को रिपोर्ट नहीं कर सकते। आप मुख्य सचिव को रिपोर्ट नहीं कर सकते। आपको मुझे रिपोर्ट करनी है ताकि मैं आपको निर्देश दे सकूं कि किसके विरुद्ध जांच करनी है।'' मैं नहीं जानता कि उस संविधान की हालत क्या होगी जिसके लिए संविधान सभा में डा. बी.आर. अम्बेडकर बैठे थे तथा जिसकी अध्यक्षता डा. राजेन्द्र प्रसाद ने की थी। यदि कोई सरकार गलत कार्य करती है, तो गृह मंत्री को कार्यवाही करने दें। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम मामले को टाल सकते हैं। किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के विशेष अधिकारों का वर्णन है। यदि मैं कांग्रेस की सलाह पर श्री संतोष मोहन देव के द्वारा जारी व्हिप के विरुद्ध

गुजराल सरकार के विपक्ष में वोट डालता हूं और यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस पर प्रसन्न हों तो यह अलग बात है। किन्तु यदि मैं गुजराल सरकार के विरुद्ध मेरी पार्टी द्वारा जारी व्हिप के विपरीत वोट डालता हूं और यदि आपको एक शिकायत मिलती है कि किसी पक्ष से पैसा लेकर मैंने वोट डाला है, तो उस स्थिति में आप मुझे विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश करें और बाद में फांसी पर लटका दें। किन्तु संदेह पर अनुच्छेद 105 के अंतर्गत मेरे विशेषाधिकारों का न्यायालय और न्यायपालिका द्वारा हनन किया जाता है, तो यह संसद किसके लिए है? मैं स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर इसके लिए प्रयासरत रहूंगा। संसद का वर्चस्व न्यायसंगत है।

अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। किन्तु उससे पूर्व, मैं डायसी के प्रसिद्ध कथन को उनकी पुस्तक ''दी ला आफ कांस्टीट्यूशन'' से उद्धृत करता हूं, जिसमें कहा गया है। ''संसदीय प्रभुसंपन्नता के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि संसद को अंग्रेजी संविधान के अनुसार किसी भी कानून को बनाने और रद्द करने का अधिकार है और इंग्लैंड के कानून द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी व्यक्ति अथवा निकाय को संसद के विधान को रद्द करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नहीं है।

यहां पर, यह भी कहा गया है कि किसी भी ब्रिटेन के न्यायालय को विधान मंडल के निर्णय को बदलने की अनुमति नहीं है तथा संसद का निर्णय सर्वोच्च है।

मैं पुन: हाल ही में दिये गए निर्णय को उद्धृत करता हूं। हाल ही में, सर राबर्ट मेगैरी वी सी ने मैन्यूअल पांच अटार्नी जनरल (1983) में कहा है कि :

''मुझे यह कहना पड़ता है कि आरंभ से अन्त तक, मैंने इस मामले में ऐसा कुछ नहीं सुना जिससे मुझे इस साधारण नियम पर कोई शक हो कि न्यायालय का कार्य संसद के प्रत्येक अधिनियम को लागू करना है तथा न्यायालय ऐसे किसी अधिनियम को अधिकारातीत वाह्य नहीं ठहरा सकता है। बेशक, अधिनियम के बारे में प्रश्न उठ सकते हैं और निसंदेह, सांविधिक नियमों तथा अन्य अधीनस्थ विधान को अधिकारातीत करने की शक्ति विद्यमान है, किन्तु यदि कोई नियम एक बार संसद द्वारा अधिनियम का रूप ले लेता है, तो ब्रिटेन की कोई भी न्यायालय इसकी अवज्ञा नहीं कर सकती अथवा इसकी वैधता पर प्रश्न नहीं उठा सकती।'' यही निर्णय दिया गया है। इस प्रकार संसद की सर्वोच्चता का सम्मान किया जा रहा है। इसकी पुनरीक्षा जारी है, किन्तु यहां क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

आज आपने कहा कि पोलिटीशियन की नजर सब की नजर में गिर रही है। हो सकता है कि हम लोगों में से 4-5 आदमियों ने गलती की हो, उसके लिए हम लोग दुखी हैं, सजा देंगे, निकालेंगे और जरूरत पड़ी तो पार्टी का ढांचा बदलेंगे, जरूरत पड़ी तो टिकट नहीं देंगे, लेकिन इसका मततलब यह नहीं है कि पूरे सदन में जो लोग आये हुए हैं, वे सब लोग शरमायेदार हैं, वे सब लोग चोर हैं, वे सब लोग बदमाश हैं, वे सब लोग कलप्रिट हैं। पूरे देश में एक छवि जा रही है कि पोलिटीशियन लोग गलत काम कर रहे हैं, एक्जिक्यूटिव ठीक है, ज्यूडीशियरी ठीक है, बिजनेसमैन ठीक हैं, सब ठीक हैं, सिर्फ पोलिटीशियन खराब हैं। इससे क्या 50 ईयर्स की डैमोक्रेसी का फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, करप्शन के खिलाफ लड़ना है। मैं गुजराल जी से आग्रह करूंगा कि आप नैक्स्ट सैशन से पहले इलैक्टोरल रिफार्म लाइये, लोकपाल बिल लाइये, कड़े से कड़ा कानून लाइये, करप्शन से रिश्ता करने वाला आदमी चाहे हमारे साथ हो, आपको साथ, उनके साथ हो, उनका सामाजिक बहिष्कार करने का आन्दोलन चलाइये, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिष्ठान को गिराइये। हम करप्शन से फाइट करने के लिए प्रतिष्ठान को गिराने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग अपने प्रतिष्ठान को गिरा रहे हैं, हम लोग अपने घर के चिराग से अपने घर को जला रहे हैं, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि अगर सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट अगर गिरती है तो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस नहीं होगी, गरीबों की आंखों का आंसू भी नहीं पूंछेगा।

आज राष्ट्रीय बैंक से पैसा मिलता है, इन्दिरा गांधी का बैंक राष्ट्रीयकरण, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जनता ने दोबारा भेजा, पार्लियामेंट ने साबित किया, ''उच्चतम न्यायालय की बात अंतिम नहीं होती अपितु संसद की बात अंतिम मानी जाती है।'' तभी से राष्ट्रीयकृत बैंक से एक-एक पैसा मिल रहा है।

इसलिए आज 50 साल के अवसर पर मैं तीन चीजों का आग्रह करूंगा। एक तो करप्शन से फाइट करने को पोलिटिकल इश्यू मत बनाइये, पार्टी इश्यू मत बनाइये, नेशनल एजेण्डा पर रखिये। अगर कोई हमारे बीच में है तो चिह्नित कर दीजिए, हम लोग तैयार हो जाएंगे। आपके बीच में है, चिह्नित कर दीजिए, आप लोग तैयार हो जाइये। क्रिमिनिलाइजेशन ऑफ पोलिटिक्स के खिलाफ भी हम लोग हैं।

हमारा दूसरा अनुरोध यह है कि कांग्रेस के बारे में जो कुछ कहना है, कहिये, क्योंकि सत्ता में हम थे, हमने गलतियां की हैं, उसकी वजह से हमने 1977 में चुनाव नहीं जीता। हमने गलतियां की हैं, इसलिए 1991 में हमें बहुमत नहीं मिला, इसमें कहां दो राय हैं। उन गलतियों की हम छिपे-छिपे बात नहीं करते हैं, हमारी पार्टी इतनी खुली है कि रिपोर्टर को रिपोर्ट लेने के लिए आना नहीं पड़ता है, घर पर ही रिपोर्ट पहुंच जाती है, हमारी पार्टी इतनी खुली है, इतनी ओपन है। हम सब कुछ आम चर्चा की तरह करते हैं, मैदानी चर्चा करते हैं। हमने गलती की हैं, हमें अपने घर को साफ करने के लिए दूसरे के घर के साबुन की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतना साबुन है।

अन्त में मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके इस देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बाई कन्विक्शन कोलीशन कल्चर मत बनाइये। कम्पलशन के लिए कोलीशन कल्चर देश के लिए ठीक है, चल रहा है, चाहे जनता दल राज करे, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी करे, चाहे बी.जे.पी. राज करे, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए, डैमोक्रेसी की फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए, एक विचारधारा को मजबूत कीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी, आप पहले ही 20 मिनट का समय ले चुके हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री पी.आर. दासमुंशी : विचारधारा के साथ रहिए। इसमें एंटी कांग्रेसिज्म या एंटी जनता दलइज्म न करिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि देश ने जो उपलब्धि हासिल की है वह काफी है, और ज्यादा करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, मगर सदन के लोग गरिमा बनाएं रखें।

श्री चित्त बसु

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, मुझे बहुत खेद है कि मुझे आज अपना भाषण अत्यंत दुखी मन से शुरू करना पड़ेगा। मैं इस के लिए लोक सभा सचिवालय पर आरोप नहीं लगाता हूं। मैं सचिवालय द्वारा काफी मेहनत से तैयार किए गए इस अति प्रशंसनीय दस्तावेज की सराहना करता हूं। दुर्भाग्यवश, इस दस्तावेज का पहला वाक्य ही मेरे अनुसार इतिहास को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करना है। इसी कारण ही मैं इस सभा के सदस्यों को इसके बारे में बताना चाहता हूं और इस सभा के जरिए पूरे देश को और समग्र रूप से पूरे विश्व को बतलाना चाहता हूं।

पहला वाक्य इस तरह शुरू होता है और मैं उद्धृत करता हूं। ''देश ने अहिंसक संघर्ष के माध्यम से विदेशी शासन से जो आजादी पाई, वह मानव जाति के इतिहास में एक अद्भुत घटना थी।''

मैं महात्मा गांधी के अगाध प्रशंसकों में से हूं। इस देश को यह जानना चाहिए कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को बापूजी, राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। क्या हम संथाल विद्रोह को भूल सकते हैं? क्या हम सिराजुद्दौला को भूल सकते हैं, जिनका उल्लेख मेरे प्रिय मित्र श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने किया? क्या हम टीपू सुल्तान को भूल सकते हैं? क्या हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को भूल सकते हैं? क्या हम चिटगांव शस्त्रागार पर कब्जे को भूल सकते हैं? क्या हम पून्नापरावयलार को भूल सकते हैं? क्या हम केयूर को भूल सकते है? क्या हम करिवलूर या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की अगुवाई में आजाद हिंद फौज द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र अभियान को भूल सकते हैं? क्या यह आज की स्वतंत्रता के आन्दोलन के इतिहास का हिस्सा नहीं थे? यह इतिहास को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने के सिवाय और कुछ नहीं है। यह कहने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपसे माफी चाहता हूं, यदि मैं यह कहता हूं कि भारत के इतिहास के नेहरूकरण अथवा गांधीकरण का विकृत प्रयास किया जा रहा है। यह क्षमा योग्य नहीं है। मैं समझता हूं कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को पुन: लिखा जाना चाहिए और इस रूप में पुन: लिखा जाना चाहिए कि देश के विभिन्न भागों के लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित किया जा सके। क्या हम श्री बिरसामुंडा को भूल सकते हैं? क्या हम कई अन्य संथाल नेताओं को भूल सकते हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासन की फांसी की सजा का सामना किया था? इसलिए मुझे इतिहास को तोड़मरोड़ करने की तरफ इंगित करने के लिए क्षमा करें। मेरा सचिवालय से अनुरोध है कि वे भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास तैयार करें और यदि संभव हो तो संघर्ष की अहिंसक और हिंसक दोनों ही विचार धाराओं को उसमें शामिल करें।

मेरा विषय बहुत सामान्य है। जैसा मेरे मित्र ने इसका पहले उल्लेख किया था कि एक विशेष मामले पर चर्चा किसी विशेष दिन को की जायेगी। मेरा विषय : भारत की लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था—चुनौतियां और संभावनाएं।

अपराह्न 4.55 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

जहां तक भारत के संविधान का संबंध है, मेरे विचार से यह भारत देश की आत्मा है। यह एक ऐसी पृष्ठभूमि है जो सामाजिक परिवर्तन का वाहन है। यह सामाजिक न्याय का एक साधन है। यह एक नया राष्ट्रीय नियम और नई सामाजिक व्यवस्था के सृजन का भी साधन है। क्योंकि मेरे पास समय सीमित है मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा। मैं जब वहां बैठता हूं तो मुझे परेशानी का पता चलता है।

अध्यक्ष महोदय : आप पीठासीन अधिकारी हैं। मैं आपको दो मिनट का समय और दूंगा।

श्री चित्त बसु : इसलिए मैं अपने समय की सीमा के बारे में सजग हूं। मैं उसका पालन करूंगा। मैं हमेशा पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटित समय के अनुसार ही बोलता हूं।

महोदय, हमारा भारतीय संविधान एक विलक्षण संविधान है और इसकी अलग ही विशेषता है। संक्षेप में, हमारा संविधान सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है जिससे हम आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ओर अग्रसर होते हैं।

हमारे संविधान के दूसरे उत्कृष्ट पहलू : मूल अधिकार, मूल कर्त्तव्य, राज्य के अंगों - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका

के बीच शक्तियों का विभाजन, सहयोगी संघवाद, राजनीतिक, सामाजिक बहुलवाद, देश की सामाजिक संस्कृति, संविधान की आधारभूत विशेषताएं जिन्हें बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता है और शक्तियों का *विकेन्द्रीकरण।*

महोदय, समय की कमी के कारण मैं हमारे देश के संविधान की प्रत्येक विशिष्ट विशेषता की व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन यह विलक्षण है। डा. भीम राव अम्बेडकर ने विलक्षण संविधान को अत्युत्तम अभिव्यक्ति दी है। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं हमारे देश के संविधान की विशेषता स्पष्ट करने के लिए डा. अम्बेडकर द्वारा कही गई तीन या चार पंक्तियां उद्धृत करूंगा, उन्होंने निम्नवत सारांश में कहा और मैं उद्धृत करता हूं:-

> ''न तो स्वतंत्रता समानता से पृथक हो सकती है और न ही समानता स्वतंत्रता से पृथक हो सकती है। स्वतंत्रता और समानता भाईचारे से भी पृथक नहीं हो सकती। समानता के बिना स्वतंत्रता के मुट्ठी भर लोगों का वर्चस्व अधिकांश लोगों पर बना रहेगा। बिना स्वतंत्रता की समानता से व्यक्तिगत प्रतिभा समाप्त हो जायेगी। भाईचारे के बिना स्वतंत्रता और समानता सार्थक नहीं होगी।''

मैं अपनी सर्वोत्तम जानकारी के आधार यह कह सकता हूं कि हमारे संविधान के लागू होने के बाद पिछले 47 वर्षों के दौरान संविधान की लगभग सभी आधारभूत और विलक्षण विशेषताओं का, उन्हें लागू करने की अपेक्षा, उल्लंघन ज्यादा हुआ है। मुझे अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए मुझे एक अच्छा मुहावरा देने के लिए धन्यवाद। इसलिए यदि भारत के संविधान को उसकी सही भावना से लागू किया गया होता तो भारत की स्थिति वैसी नहीं होती जैसी आज है। महोदय, जो भी सरकारें आई, उसे लागू करने में सफल नहीं हुई।

अब मैं आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनके बारे में बोलना चाहता हूं। यह अच्छी बात है कि प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति ने भी भ्रष्टाचार के खतरे का उल्लेख किया है।

अपराह्न 5.00 बजे

प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पहले ही एक सार्वजनिक भाषण में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू करने के लिए कहा था। मैंने इनके इन विचारों की सराहना की होती यदि उन्होंने ऐसा देश के प्रधान मंत्री बनने से पहले कहा होता। हालांकि आज भी मैं महसूस करता हूं कि सत्याग्रह भ्रष्ट व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार करने और भ्रष्ट नौकरशाहों, भ्रष्ट राजनेताओं और भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ को तोड़ने का एक प्रभावशाली साधन है। लेकिन क्या वह मेरा साथ देंगे? क्या वह लोगों का साथ देंगे? क्या वे 2 अक्तूबर, महात्मा गांधी के जन्म दिन पर सड़कों पर सत्याग्रह करने के लिए शामिल होंगे जिससे कि भ्रष्ट लोगों, भ्रष्ट राजनेताओं, भ्रष्ट प्रशासकों और भ्रष्ट नौकरशाहों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए गांवों, कस्बों और शहरों में लाखों लोगों को जुटाया जा सके? इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उस तरह का वातावरण तैयार होगा जोकि इसके लिए आवश्यक है।

प्रशासक के बारे में क्या कहना है मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसके *अनुसार केन्द्र सरकार के पास 166 मामले लंबित हैं। ये मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अधिकारियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध अभियोग शुरू करने के लिए संबंधित सरकारी विभाग की सहमति* मांगने से संबंधित हैं। वह सत्याग्रह चाहते हैं, वह देश के प्रधान मंत्री हैं जिनका पूरे प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह केवल भाषण दे रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। वह लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वे सत्याग्रह शुरू करें और दूसरी तरफ वह और उनकी सरकार उन लोगों पर अभियोग चलाने के लिए सहमति नहीं दे रही है जिन्हें प्रथम दृष्ट्या भ्रष्ट पाया गया है।

अब मैं राजनीति के अपराधीकरण पर आता हूं। आपने भी इस बारे में उल्लेख किया है कि इसका खतरा कितना बड़ा है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले आम चुनावों के बाद जो खाका तैयार किया गया है उसमें कहा गया है कि 'पहले आपराधिक समूहों का प्रयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की सहायता के लिए किया जाता था लेकिन अब वे स्वयं सीधे चुनाव लड़ रहे हैं।' अपराधी मंत्री बन रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि 'चालीस संसद सदस्यों के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं। 25 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों में 4,027 विधायकों में से 700 विधायक आपराधिक मामलों में लिप्त हैं और उनके विरुद्ध मुकदमे लंबित हैं। पिछले चुनावों में पन्द्रह हजार उम्मीदवार आपराधिक रिकार्ड वाले थे, जिनके विरुद्ध हत्या, डकैती, बलात्कार, चोरी, धन ऐंठने के आरोप थे।

हम भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को शुद्ध कैसे कर सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमारे संविधान की देन है। इसके साथ मैं अनुरोध करता हूं कि राजनीति के अपराधीकरण के इस शाप को रोकने और समाप्त करने के लिए कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए।

यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था फासीवाद में बदल जायेगी और हम सभी जानते हैं कि फासीवाद का अर्थ क्या होता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि मैंने पहले ही आपको तीन मिनट का समय अधिक दे दिया है।

श्री चित्त बसु : मैंने कितने मिनट का समय ले लिया है?

अध्यक्ष महोदय : आपने पन्द्रह मिनट और सात सैकेण्ड लिए हैं।

श्री चित्त बसु : मुझे पांच मिनट का समय और दीजिए।

न्यायिक सक्रियता के बारे में कुछ कहा गया है। मैं आप सब लोगों से केवल यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग यह बात समझ लें कि यदि देश में भ्रष्टाचार नहीं होता तो न्यायिक सक्रियता नहीं होती।

मैं एक ही तूलिका से सभी की तस्वीर नहीं बनाता अर्थात् मैं सब लोगों को एक ही पलड़े में नहीं तोलता। देश में अच्छे न्यायाधीश भी हैं और बुरे भी, अच्छे वकील हैं तो बुरे भी हैं अच्छे राजनीतिज्ञ भी हैं और बुरे भी हैं।

मेरा अगला मुद्दा राजनैतिक स्थिरता के बारे में है। आज राजनैतिक स्थिरता खतरे में है। कुछ विद्वान वकील, राजनीतिज्ञ एवं सांसदविदों ने शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाने की सिफारिश की है। मेरा पश्चिमी शासन प्रणाली के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। परन्तु देश की यथार्थ स्थिति, व्यापकता, अनेकवाद, संस्कृति, धर्म एवं जीवन शैलियों को देखते हुए मैं सोचता हूं कि संसदीय लोकतंत्र प्रणाली हमारे देश के लिए बहुत उपयुक्त है और इसे और मजबूत/सुदृढ़ करना होगा। किसी नयी प्रणाली की कोई आवश्यकता नहीं है।

जहां तक निर्वाचन संबंधी कानूनों का संबंध है, इस पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और इसे यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए।

मैं अब अपने अन्तिम मुद्दे पर आता हूं। भारत को अपने दुश्मनों और विरोधियों को 'न' कहने की आदत डालनी चाहिए। ब्रिटेन की महारानी भारत के दौरे पर आ रही हैं। उनको चाहिए कि वह भारत की जनता से क्षमा मांगे। मैं ब्रिटिश का गुलाम नहीं हूं। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में तथा इस सार्वभौमिक संसद के एक सदस्य के रूप में, मुझे यह कहना चाहिए, ''ब्रिटिश साम्राज्यवादी, तुमने जलियांवाला बाग में हमारे हजारों नागरिकों को मार डाला है।''

डायर ने क्या कहा था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं दिनांक 25.8.97 के ''दी टाइम्स ऑफ इंडिया'' से उद्धृत करता हूं:

डायर को अन्तिम समय तक पश्चाताप नहीं हुआ और उसने कहा था:

> ''मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं। मैं भीड़ को तितर-बितर कर सकता था परन्तु मैं चाहता था कि मेरा संदेश दूर-दूर तक पहुंचे और इसलिए गोलियां चलाईं। मैंने मन बना लिया था कि मैं सब को मौत के घाट उतार दूंगा।''

हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने वाले जनरल डायर ने ये बातें कही थीं। इसके लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद जिम्मेदार है। अत: ब्रिटेन की महारानी को अपनी पूर्व सरकार की ओर से क्षमा मांगनी चाहिए।

भारत को कभी-कभी अप्रिय शब्द कहने की आदत भी डालनी चाहिए। हम ब्रिटेन के गुलाम नहीं हैं, पर कभी थे जब मैं युवा था। मैंने भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया था। अब मैं स्वाधीन भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूं। मैं सार्वभौम संसद का एक माननीय सदस्य हूं। अपने देश की सार्वभौमिकता/प्रभुसत्ता को सिद्ध करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिटिश की महारानी को क्षमा मांगने के लिए कहना, मैं समझता हूं कि उचित है और इसकी मैं सराहना करता हूं।

इस विशेष अनुग्रह के लिए मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री कोदंड रमैया जी...

श्री कोदंड रमैया जी, कृपया केवल दस मिनट लीजिए। आप एक बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। आप पुलिस सेवा में रह चुके हैं। अत: आप निर्धारित समय में अपना भाषण पूरा करेंगे।

यद्यपि मैं आपको दस मिनट का समय दे रहा हूं, पर मुझे विश्वास है कि आप नौ मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देंगे।

श्री पी. कोदंड रमैया

श्री पी. कोदंड रमैया (चित्रदुर्ग) : महोदय, मैं कोशिश करूंगा।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, आप सदस्य को धन्यवाद देने के विषय में कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं।

श्री पी. कोदंड रमैया : महोदय, आपका सुझाव बहुत ही व्यापक है और इसको नज़रअन्दाज नहीं किया जा सकता।

इससे पहले कि बोलने के लिए एक-दो विषयों को चुनूं, मैं सभा के आचरण के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आप बहुत ही कुशलता पूर्वक माननीय सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखते रहे हैं। परन्तु सभा का संचालन बखूबी करने के बावजूद मैं देखता हूं कि अब भी सभा में काफी अनुशासनहीनता जारी है और कई बार हमने और सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने यह देखा है कि हम जनता की नजरों में अपने आपको गिरा रह हैं। चूंकि मीडिया ने हमारी हरकतों को देखा है इसलिए मीडिया वाले भी हमारी छवि को उसी प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं।

आज भी हमने एक सदस्य को इस सदन में अनुशासन के विषय में बोलते देखा है। उनको यह देखकर दु:ख हुआ कि लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। वह चाहते थे कि हम नियमों का पालन करें। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि एक सदस्य बोल रहा है और कोई अन्य सदस्य बोलना चाहता है तो पहले उसे अध्यक्षपीठ का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना होगा और जब अध्यक्षपीठ से इसकी अनुमति मिलती है, केवल तब दूसरे सदस्य

को बोलना चाहिए। मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा कहा है। परन्तु जब वे अपना भाषण जारी रखे हुए थे, तब अध्यक्षपीठ ने उन्हें कम से कम 6 बार अपना भाषण समाप्त करने को कहा पर उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि जैसे ही आप मुझे अपना भाषण समाप्त करने का संकेत दें, मैं अपना भाषण समाप्त कर दूं।

मैं सदन अथवा किसी सदस्य पर लांछन नहीं लगा रहा। परन्तु दोनों पक्षों के कई सदस्य इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जिसे देखकर मुझे काफी दु:ख हो रहा है। मैं जानता हूं कि आपको ज्ञात है। मैं एक अनुशासनबद्ध विभाग में था और जीवन में अनुशासन लाने के लिए हम किसी विभाग में काम करें, यह जरूरी नहीं है। अनुशासन एक जन्मजात गुण है। किसी को अनुशासनबद्ध होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह सेना अथवा पुलिस में काम करे। हमें स्वयं अपने में अनुशासन विकसित करना होगा लेकिन मैं देखता हूं कि सदस्य ऐसा नहीं करते हैं।

सदन का अधिकांश समय बिहार अथवा उत्तर प्रदेश के मामलों पर चर्चा करने में बीत जाता है। उस ओर से दो दल और इस ओर से दो दल मिलकर इतना शोर शराबा करते हैं कि सम्पूर्ण राष्ट्र इससे असन्तुष्ट और दु:खी हो जाता है। यदि किसी दल का सदस्य उत्तर प्रदेश का मामला उठाता है तो दूसरे दल का कोई अन्य सदस्य भी इसमें शामिल हो जाता है। जब बिहार का उल्लेख होता है तब भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद दोनों दल आपस में जमकर अपशब्द बोलते हैं। दो बार स्थिति कुछ ऐसी हुई कि सदस्य संभवत: एक दूसरे को पीटने के इरादे से सदन के बीचों बीच आ गये। सौभाग्यवश, बाहर से सभी दलों को अपना समर्थन देने वाली कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने हस्तक्षेप किया और सदस्यों को आपस में लड़ने से रोका। महोदय, मेरा आपसे निवेदन है तथा सभी सदस्यों से विनम्र अनुरोध है कि वे शिष्टाचार का पालन करें, संयम बरतें और यह सुनिश्चित करें कि वे नियमों पर चलेंगे, अध्यक्ष के आदेशों अथवा दिशा-निर्देशों का सदैव पालन करेंगे। यह सराहनीय बात है कि कतिपय राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हेतु इस विशेष सत्र का आयोजन हुआ है। यह आपस में सामंजस्य स्थापित करने का समय है। हमारे यहां दक्षिणपन्थी दल, मध्यमार्गी एवं वामपंथी दल हैं तो यह स्वाभाविक है कि इन दलों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद होंगे। परन्तु क्या इस बात की जरूरत नहीं है कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर हम एकमत हों। आज विपक्ष के नेता ने सहमति का ऐसा ही माहौल बना दिया था और उन्होंने कुछ मुद्दों का उल्लेख किया जो कि कार्यसूची में थे।

महोदय, मैं विशेषकर एक ऐसे विषय अर्थात् जनसंख्या की समस्या पर बोलना चाहता हूं जो इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश की जनसंख्या 960 मिलियन है जबकि 1951 में जनसंख्या 361 मिलियन थी। 1981 एवं 1991 के बीच प्रति दशक जनसंख्या वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत थी। यह एक ऐसी समस्या है जो देश के लिए चिन्ताजनक है और जो इस देश की प्रगति में बाधक है। हम बारूद के ढेर पर चुपचाप बैठे हुए हैं और जिस दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उससे लगता है कि हम अत्यधिक प्रभावित होंगे। यदि आस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे विकसित देशों को देखें तो हम पाते हैं कि आस्ट्रेलिया हमारे देश से तीन गुणा बड़ा है और उसकी जनसंख्या 1.3 करोड़ है। आस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या एक करोड़ तीस लाख है। यह हमारे देश की एक वर्ष जनसंख्या वृद्धि के बराबर है। अत: हमारे देश में हर वर्ष एक आस्ट्रेलिया जुड़ जाता है जबकि हमारे देश का क्षेत्रफल आस्ट्रेलिया का एक तिहाई है। हमें इसकी कोई चिन्ता नहीं है। सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। आपातकाल के दौरान इस खतरे पर काबू पाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे, वे भी गलत दिशा में जिनका असर उल्टा हुआ। आपातकाल की समाप्ति पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान को छोड़ दिया गया था। यहां तक कि अब जनसंख्या नियंत्रण की बात करने में भी हम लोग परहेज करते हैं। अनेक राजनीतिक दल कई कारणों से इस मुद्दे पर कुछ कहना भी चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के कदम उठाने से धर्म विशेष के लोगों का पर्सनल लॉ प्रभावित होगा।

अपराह्न 5.18 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अब समय आ गया है कि हम लोगों को इस समस्या पर गम्भीरता से सोचना चाहिए। जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक यहां पर चर्चा करने से या अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ने से या सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने से यह समस्या नहीं सुलझेगी। उदाहरणार्थ 1961 और 1996 के बीच खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई है। साथ ही साथ, यदि आप प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता को देखें, तो इसमें वृद्धि महज 25 प्रतिशत हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना वृद्धि होने के बावजूद हम इस देश के आम नागरिक को न्यूनतम पोषाहार देने में सफल नहीं हुए हैं। इससे तेजी से बढ़ती जनसंख्या की स्थिति का पता चलता है। इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या का असर खाद्यान्न सुरक्षा, पोषाहार, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन स्तर और उचित वितरण पर पड़ता है। जब हमारे समक्ष एक विशेष प्रकार की समस्या है, तो हमें विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्या कुछ सामाजिक तत्व लोगों को जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं? ग्रामीण इलाकों में अनेक लोग जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन क्षमता के बारे में अंधविश्वासी है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आम भारतीय परिवार का यह मानना है कि उनके एक पुत्र अवश्य होना चाहिए ताकि वे मरने के बाद सीधे स्वर्ग जा सकें।

इसे ''पुन्नमा नरक'' कहा जाता है और इससे बचने के लिए परिवार में एक बेटा अवश्य होना चाहिए। मैं अपने कुछ मित्रों को

जानता हूं जो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। मैं कुछ सांसदों और विधायकों को भी जानता हूं। मैं कुछ बैंक अधिकारियों को भी जानता हूं जिनकी प्रथम सन्तान पुत्री और जिनकी दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी सन्तानें भी पुत्रियां हैं। मेरे एक सांसद मित्र ने भी ऐसा ही किया है और पाचवें प्रयास में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक जाना चाहिए था। लेकिन वे थोड़ा लालची निकले और उन्होंने सोचा कि उनके दो पुत्र होने चाहिए लेकिन अगली दोनों सन्तानें भी पुत्रियां हुईं। अत:, उनको छ: बेटियां और एक बेटा हुए। शिक्षित लोगों और सांसदों का यह रुख है। मैं कुछ चिकित्सकों को भी जानता हूं जिन्होंने ऐसा किया है। अत:, सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा अपने प्रयासों से जनसंख्या नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन है।

हमने यह भी देखा है कि इस प्रक्रिया में बेटियां शिकार बनती हैं। समूचे देश और विशेषरूप से उत्तर भारत में, भ्रूण हत्या, बड़े पैमाने पर की जाती हैं। माताएं भ्रूण की जांच कराती हैं और बालिका भ्रूण होने पर गर्भपात करा लेती हैं। ऐसे मामले भी प्रकाश में आए कि माता पिता लड़की को बोझा मानकर उसकी हत्या कर देते हैं। लड़कियों के प्रति समाज के इस नकारात्मक रुख के कारण अनेक अन्य समस्याएं भी पैदा हुई हैं।

हमारे देश में माता के खराब स्वास्थ्य के कारण 6 प्रतिशत शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। माताओं का स्वास्थ्य खराब रहता है जिसके कारण पैदा होने वाला बच्चा भी कमजोर रहता है। इसी कारण 6 प्रतिशत शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। दूषित पेयजल के कारण होने वाले दस्त की बीमारी से भी बड़ी संख्या में शिशुओं की मौत होती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्या की गम्भीरता का पता चलता है। हम सांसदों और सरकारी विभागों को इन बातों को नोट करना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन समस्याओं का निदान किया जाए।

हम अपने पड़ोसी देश चीन से अपनी तुलना कर सकते हैं आज चीन की आबादी 1243 मिलियन है। गत दशक में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के बावजूद, चीन जनसंख्या को कम करने में कामयाब रहा है। यदि आप आंकड़ों पर एक नजर डालें, तो चीन की आबादी 1243 मिलियन है और जन्म दर 1.80 है। जबकि भारत की आबादी 96 करोड़ और जन्म दर 3.64 प्रतिशत है जो चीन की जन्मदर की दुगुनी है। अब समय आ गया है कि जन्मदर को कम किया जाए और जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी की जाए।

हमें वर्ष 2025 तक शून्य वृद्धि दर और वर्ष 2050 तक जनसंख्या वृद्धि दर में ऋणात्मक दर का लक्ष्य तय करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारे समक्ष अनेक समस्याएं पैदा होंगी जिनको हम हल नहीं कर पायेंगे।

भारत के अन्दर आप इस संबंध में अंतर देख सकते हैं। केरल शीर्ष पर है। यह राज्य जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के संबंध में शानदार काम कर रहा है। केरल में बच्चों की कमी के कारण स्कूल बन्द किए जा रहे हैं और अनेक निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों को बच्चे नहीं होने के कारण बन्द करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी पैदा हो क्योंकि उत्तर प्रदेश में जन्म दर 5.10% है जिसके बाद उत्तर भारत के राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और असम का नम्बर आता है। यह राज्य जन्मदर में बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं और इन्हें इसकी चिन्ता भी नहीं है। इन बातों पर नियंत्रण पाना होगा।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले कुछ उपाय सुझाना चाहता हूं। स्वाभाविक रूप से हरेक परिवार चाहता है कि उसका अपना बच्चा हो। यह समझने लायक बात है यदि आपका एक बच्चा पैदा हो जाता है, तो क्या आपको दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां बच्चा पैदा करने की इजाजत दी जा सकती है।

मेरा यह आशय नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए तानाशाही रवैया अपनाया जाए। क्या आप एक बच्चे के बाद बिना किसी नियम के या आर्थिक आधार के दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में सोच सकते हैं? क्या हमें जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कुछ नियम नहीं बनाने चाहिए? पहला बच्चा पैदा होने और समयान्तर निर्धारित करने के बाद, ऐसा नियम बनाया जाए कि एक परिवार को संसद द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को यह संतुष्ट किए बिना कि वह परिवार दूसरे या तीसरे बच्चे का ठीक से पालन-पोषण कर सकता है, दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति नहीं दी जाए। यह एक काल्पनिक या मूर्खतापूर्ण सुझाव हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी ऐसा करने का सुझाव दूंगा क्योंकि समस्या अत्यधिक गम्भीर है जब तक हम सख्त कदम नहीं उठाएंगे। हम लोग वर्ष 2025 तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पाएंगे।

इसके बाद, हम कानून द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन या जुर्माने इत्यादि का प्रावधान कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी. कोदंड रमैया : महोदय, सबसे पहले हमें सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ऐसा नियम लागू करना चाहिए क्योंकि वे हमारे सीधे नियंत्रण में हैं और जिन्हें एक कानून के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है।

मैं समझता हूं कि आम आदमी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है लेकिन फिर भी हमें कुछ उपाय करने चाहिए। सबसे पहले इस कानून को सरकारी कर्मचारियों और बाद में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू करना चाहिए तदुपरान्त हमें ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना चाहिए।

महोदय, आखिर में, मैं सुझाव दूंगा कि गैर-सरकारी संगठनों की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में शानदार कार्य कर रहे हैं बृहत्तर भूमिका तय की जाए। सरकारी मशीनरी और सरकारी अस्पतालों में हमारा विश्वास नहीं रहा। विभाग जनसंख्या नियंत्रण उपायों को उनकी सच्ची भावना में लागू करने के बजाय आंकड़ों के प्रति ज्यादा चिंतित रहते हैं। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि गैर-सरकारी *संगठनों को अधिक वित्तीय सहायता दी जाए और उन्हें विस्तृत भूमिका निभाने का अवसर दिया जाए ताकि वे जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्य* करने के लिए उत्साहित हों।

महोदय, मैं एक बार फिर सुझाव देता हूं कि विभिन्न विषयों पर आम चर्चा के बजाय राष्ट्रीय महत्व के तीन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए और कुछ निष्कर्ष निकालने चाहिए अन्यथा कार्यसूची पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सकेगा। इन मुद्दों की बाबत कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। यदि मुद्दा परिवार नियोजन से जुड़ा है तो इस पर कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए। यदि मुद्दा अर्थव्यवस्था या नई सरकारी आर्थिक नीति का है, तो हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि निजी उपक्रमों को देश में किन शर्तों पर आने की अनुमति दी जाए और इसे विवादास्पद या राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसी प्रकार, हमें तीन विषय चुनने चाहिए जो राष्ट्रीय महत्व के हों, जिन्हें हम ''राष्ट्रीय प्राथमिकता'' कह सकते हैं। जब हम सदन में ऐसे विषयों पर चर्चा करें, तो कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए।

महोदय, मैं इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा): उपाध्यक्ष जी, इस विशेष सत्र में हम लोग पिछले पचास सालों में क्या हुआ, क्या किया, क्या बिगड़ा, इस पर सोच रहे हैं और उसके साथ-साथ आने वाले पचास साल भी आंखों के सामने हम लोगों ने रखे हैं।

मैं सबसे पहले पिछले पचास सालों को लेकर अपने मन की दो परेशानियों को व्यक्त करना चाहूंगा। पहली पीड़ा है भाषा को लेकर कि आज़ादी के पचास साल बाद हम लोग अभी भी हिन्दी और अन्य राष्ट्रभाषाओं को इस देश में अपनी इज्जत का स्थान नहीं दे पाये हैं। भाषा केवल व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में बोली की बात नहीं है, भाषा केवल शिक्षा के माध्यम तक ही सीमित नहीं है। भाषा हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति जिसमें हम लोग पले हैं, जिसमें हम लोगों को राष्ट्र-निर्माण करना है, उससे जुड़ी है। इस देश ने पिछले पचास सालों *में भाषा का प्रश्न हल नहीं किया और आज भी हिन्दुस्तानी जब संयुक्त राष्ट्र संघ में या अन्य किसी जगह पर बोलने के लिए खड़ा होता है* तो उसको गर्व है कि हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं जबकि अन्य लोग अपने राष्ट्र की भाषाओं में वहां पर बोलते हैं।

दूसरी हमारी जो मानसिक पीड़ा है वह है हमारी सीमाओं को लेकर। 1947 में हम लोगों ने जिस देश को पाया, आज उस देश की सारी जमीन हम लोगों के हाथ में नहीं है। अगर इसको हम लोग आज याद नहीं करेंगे, केवल इसलिए नहीं कि 1,19,000 वर्ग मील जमीन चीन के हाथों में है, बल्कि इसलिए भी कि आज भी हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। उधर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्वांचल के इलाकों पर चीन अपना दावा कर रहा है। और अगर यह देश खोयी हुई जमीन को वापस लेने तक हम चुप नहीं रहेंगे। इस सदन में 1962 के अक्टूबर महीने में लिये हुए उस संकल्प को आज याद नहीं करेगा तो उपाध्यक्ष जी, यह संसद और देश अपना भविष्य बना पायेगा, मुझे इस पर विश्वास नहीं है और इसलिए हम सबसे पहले ये दो बातें सदन के सामने इस देश की सभ्यता, संस्कृति और उसके साथ जुड़ी हुई भाषा और इस देश की सीमाएं, इनको चिंतन में रखना चाहते हैं। हम लोग अपने देश को भारत माता कहते हैं। इस सदन के भीतर और बाहर हम लोग भारत माता की जय करके नारा देते हैं। लेकिन उस भारत माता की गरदन कुछ दूसरे के हाथों में आज भी फंसी है। अगर हम इसको नजरअंदाज करेंगे तो हम लोगों का यह नारा केवल जुबानी होगा। उसके साथ जो मन में, दिल में जो प्रेरणा होनी चाहिए वह नहीं दीखेगी। हमारे लोक सभा के अध्यक्ष ने आज सुबह अपने भाषण में कई बातों को सदन के सामने विचार के लिए रखा है। वैसे उससे पहले बने हुए दस्तावेज भी हम लोगों के सामने हैं। मगर अपने भाषण में उन्होंने एक वाक्य का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अहिंसात्मक मार्ग से आजादी पाई थी। जिसको लेकर अभी चित्त बाबू ने अपनी कुछ आपत्तियां भी व्यक्त कीं। उनकी आपत्तियों से मैं सहमत हूं। लेकिन उनको चिंता इस बात की रही कि आज अहिंसात्मक मार्ग से अपनी आजादी को पाया हुआ देश इतनी हिंसा और अपराधीकरण में क्यों फंसा हुआ है और उन्होंने अपने भाषण के दौरान यह भी कहा-

> ''देश में वर्तमान स्थिति के वृहत्तर अवलोकन से इस तरह की प्रकृति के निम्नांकित कारण परिलक्षित हुए हैं।''

यह तीन नम्बर पन्ने पर उन्होंने 13 ऐसे कारण बतायें हैं कि जिसने हमारे देश को आज यहां लाकर पहुंचा दिया है जहां हिंसा, आतंक

आदि फैला है। मैं उनके सारे 13 के 13 विषयों पर चर्चा करने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ हूं। लेकिन उसमें से एक मुद्दे को मैं यहां पर उठाना चाहता हूं। जहां उन्होंने बेरोजगारी आमदनी का असमान वितरण यानी एक अपने देश की दौलत के बंटवारे में विषमता तथा गरीबी और शोषण को दो नम्बर के मुद्दे के तौर पर उन्होंने इसमें उसको रखा है। मेरी यह मान्यता है कि जो राष्ट्र की आज स्थिति है, इस स्थिति की पीछे और जो ये सारी परेशानियों को हम लोग चर्चा में लाते हैं और मानते हैं कि इनको मात करना है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जहां तक मैं समझ पाया हूं वह बेरोजगारी और उसके साथ जुड़ी हुई गरीबी है। हम लोग जो सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता और क्षेत्रीय विषमता की बात करते हैं और ये तमाम चीजों से जो परिस्थितियां देश में निर्माण हुई हैं, उन परिस्थितियों के बारे में जब हैरान हो जाते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इनके पीछे बेरोजगारी और गरीबी मूल कारण है।

उपाध्यक्ष जी, आसाम चर्चा में है, 'उल्फा' भी है। 'उल्फा' के पहले 'आसू' था। 'आसू' से 'उल्फा' आया है, यह मेरा कहना नहीं है। लेकिन आल असम स्टूडेन्ट्स यूनियन था, वह आज भी है और वह आज भी संघर्ष कर रहा है और आज जो असम गण परिषद के सदस्य इस सदन में हैं या आसाम में जो सरकार चला रहे हैं, उपाध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि जब इन लोगों ने अपना आंदोलन शुरू किया था, वह आंदोलन क्या था। उस आंदोलन में एक ही नारा था कि आसाम में जो विदेशी हैं उनको आसाम से बाहर निकाला जाए। यहां शिवसेना के हमारे मित्र अगल-बगल में बैठे हुए हैं। जब हमारे मित्र श्री बाल ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था तो शिवसेना का नारा क्या था कि मुम्बई में मराठी नौजवानों को बेरोजगारी का शिकार होकर मरना पड़ रहा है और महाराष्ट्र के बाहर के गैर-मराठी लोग यहां आकर रोजगार को छीन रहे हैं तो इन लोगों को हटा दो और मराठी लोगों को रोजगार दे दो, शिवसेना का जन्म इसमें हुआ था और आल असम स्टूडेन्ट्स यूनियन के आंदोलन का उसके बाद निर्माण हुआ। 'उल्फा' का जो सारा मामला है यह भी इन्हीं चीजों से शुरू हुआ था और जिन चीजों को हम लोग आंदोलन, मिलिटेंट आंदोलन वगैरह समझते हैं, आप आंध्र में जाइयेगा वहां पीपुल्स वार ग्रुप है वह किनका संगठन है। समाज के सबसे शोषित, सबसे गरीब और सबसे बेरोजगार लोगों का संगठन है। संगठित वही किए गए हैं। देश के किसी भी प्रदेश में जाकर इन आन्दोलनों को अगर हम देखें, कश्मीर की चर्चा हम बारबार इस सदन में करते हैं और उस चर्चा में पाकिस्तान हमारी आंखों के सामने निश्चित रूप से आ जाता है लेकिन कश्मीर में कितनी बेरोजगारी रही, उस बेरोजगारी का क्या नमूना रहा, समाज में किस तबके को रोजगार मिला, किन्हें नहीं मिला, उसके चलते वहां क्या परेशानियां निर्मित हुईं, हमने उन्हें अपनी आंखों के सामने रखने का काम कभी नहीं किया। इसलिए जिन परेशानियों की चर्चा हम करते हैं, मैं मानता हूं कि उसके पीछे मूल कारण इस देश की बेरोजगारी है। जब सामाजिक न्याय का प्रश्न उठता है, आरक्षण की बात आती है, चाहे स्कूल-कालेजों में आरक्षण का सवाल हो, रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण का सवाल हो या देश के किसी अन्य क्षेत्र में आरक्षण का सवाल हो, यदि इस देश में भरपूर रोजगार मिलता तो कौन आरक्षण की मांग करता? अगर स्कूल-कालेजों में हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए जगह होती तो कौन आरक्षण की बात करता? मूल समस्या पर हम लोग नहीं जाते, बीमारी की जड़ को हम नहीं खोजते, उसके जो सिम्पटम्स सामने नजर आते हैं, केवल उन पर जोर देकर हल्ला करते हैं जिसका नतीजा होता है कि समस्या का निदान निकल नहीं पाता। पिछले 50 सालों से हम इसी अवस्था में रहे।

इसलिए मैं चाहता हूं कि देश के विकास के ढांचे पर हमें एक बार फिर से सोचना जरूरी है। आप कहेंगे कि सदन में इस विषय पर काफी बातें आई हैं। आज ही हमारे लोक सभा अध्यक्ष ने नई आर्थिक नीति, विश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन आदि शब्दों का इस्तेमाल किया और मेरा विश्वास है कि अगले चार दिनों में इस पर खूब बोला जाएगा लेकिन आप जानते हैं कि हम इस नीति का विरोध करने वालों में हैं। इस नीति के आने से पहले भी हमने विरोध किया था, जब डंकल प्रस्तावों की चर्चा हुई थी, उस समय इस सदन में और सदन के बाहर भी हमने विरोध किया था और उसी भूमिका में आज भी इसका विरोध करते हैं।

डावोस का नाम हम लोगों ने सुना है। काफी लोग वहां जाते हैं और हर प्रधान मंत्री का वहां जाना अनिवार्य है, कई मुख्य-मंत्रियों का जाना भी अनिवार्य है। उनके साथ दूसरे लोगों को भी जाना पड़ता है। वहां क्या होता है, मैं यहां उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता लेकिन डावोस के जो गुरु हैं, जिनका हिन्दुस्तान में सबसे अधिक आना-जाना होता है - क्लॉड स्माजा - ने आज से 5-7 रोज पहले 20 अगस्त को उन्होंने दिल्ली में कन्फैडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सामने एक लम्बा भाषण दिया जिसके कुछ उद्धरण मैं यहां रखना चाहता हूं ताकि सदन को पता चल सके कि उसके गुरू क्या बोलते हैं, जरा हम उसे समझने की कोशिश करें क्योंकि शब्दों के इस्तेमाल में भी वे गुरू हैं।

[अनुवाद]

> "मुक्त बाजार की नीतियां अर्थव्यवस्थाओं के लिए परिहार्य होते हुए भी, लोगों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती हैं, जिनका अभी तक कोई समाधान नहीं है।"

[हिन्दी]

ऐसा आपके गुरू कह रहे हैं ...*(व्यवधान)* सब नहीं कर रहे हैं, आप लोग उसके साथ बिल्कुल बहे हुए हैं।

[अनुवाद]

> "भूमण्डलीयकरण का प्रभाव यूरोप में पहले ही अनुभव किया जा रहा है जहां लोगों ने पूर्व अनुमान की क्षमता तथा सुरक्षा की भावना खो दी है जो वर्षों से उनके जीवन की विशेषता रही और जिसे सभ्य समाजों के गुण के रूप में देखा जाता था।"

वे आगे कहते हैं:

[अनुवाद]

व्यक्तियों के लिए इसका अर्थ है कि उन्हें नौकरियां बदलने, स्वयं को सर्वाधिक प्रतियोगी उत्पादन यूनिटों तथा एक निर्धारित समय पर उत्पादन लाइनों की ओर अभिमुख करने में सक्षम होना चाहिए अन्यथा वे समाप्त हो जायेंगे।

[हिन्दी]

मैं यहां उनके भाषण को पूरा पढ़ना नहीं चाहता। वे आगे कहते हैं:-

[अनुवाद]

"श्री स्माजा के अनुसार इस दौड़ में, अकुशल तथा औसत कुशल व्यक्तियों को हानि हो सकती है। उनकी सुरक्षा करनी है लेकिन सरकारों के पास अब कल्याणकारी योजनाएं नहीं हैं क्योंकि वे अपने निगमों पर कर नहीं लगाना चाहतीं।"

[हिन्दी]

यानि पूंजीपतियों के ऊपर वे सरकारें टैक्स नहीं लगाना चाहती। वही सरकार यहां बैठी है और उनकी मेहरबानी से बैठी है जिन्होंने इस नीति को लागू किया, और उन नीतियों को चला रही हैं। और चला रहा है वही नीतियों को।

[अनुवाद]

वे अपने निगमों पर इतना अधिक कर नहीं लगाना चाहते कि भूमंडलीय ढांचे में उनकी प्रतियोगिता क्षमता समाप्त हो जाये।"

[हिन्दी]

यह तो तर्क है शब्दों का बना खेल है।

[अनुवाद]

"लागत कम करने तथा गुणवत्ता बढ़ाने पर बल देने के साथ, भूमण्डलीकरण का अर्थ यह होगा कि जब उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी तब भी कामगारों के वेतनों में परिवर्तन नहीं होगा।"

और अन्त में:

[अनुवाद]

यह निजी नियोक्ताओं तक ही सीमित नहीं है, यहां तक कि राजकीय उद्यमी भी इन नियमों से बंधे होंगे।"

और आगे:

[अनुवाद]

"यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हमें राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।"

[हिन्दी]

मुझे दुनिया में और कहां क्या होगा, इससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे देश में क्या होगा, मुझे इससे मतलब है। क्लाइड स्नाजा के भाषणों से जो लोग एक जमाने में प्रभावित हुए थे, तो क्लाइड स्नाजा ने जो आज कहा है और यहां कहा है, डावोस में नहीं, बल्कि यहां दिल्ली में जो कुछ कहा है, इस पर इनकी क्या टिप्पणियां होनी हैं और उसमें से ये लोग क्या रास्ता निकालने वाले हैं। इसलिए हम यह मानते हैं कि हमें अपनी नीतियों में फेर-बदल करना जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इससे पहले जो नीतियां थीं, वे सही नीतियां थीं। मेरा यह कहना भी नहीं है कि इससे पहले जो तथाकथित समाजवाद शब्द का इस्तेमाल करके जो बातें यहां पर चलाई थीं, वे सही थीं। मुझे उन पर न तब विश्वास था और न अब विश्वास है। इसलिए मैं उन पर नजर नहीं डाल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानकर चल रहा हूं कि हिन्दुस्तान का जो हमारा मनुष्य बल है, उसको कैसे इस्तेमाल करें, इसका उपाय खोजना होगा, अपने मनुष्य बल को मिटाने का नहीं। और उस मनुष्य बल का यदि इस्तेमाल करना है, तो गांधी जी के बताए रास्ते पर जाना होगा। गांधी जी का नाम यहां पर बार-बार लिया गया है। यहां पर हम लोग गांधी जी का नाम क्यों ले रहे हैं। जैसे हम लोग 2 अक्तूबर को उनकी मूर्ति के सामने जाकर नाम लेने की रस्म निभाते हैं, वैसे ही यहां पर भी नाम लेने से बात नहीं बनेगी। गांधी जी का इस देश के लिए जो चिन्तन था, उस चिन्तन को फिर से हमें इस देश में अपनाना पड़ेगा। उसको सीखना जरूरी है। उस पर अमल करना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लोक सभा के अध्यक्ष ने अपने भाषणों में कहा है कि हम लोग भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निर्माण करने लगे हैं। माफ करिए महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं यह कहने के लिए कि हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। आज बहुराष्ट्रीय कंपनी की जो परिकल्पना है उसके अनुरूप हम बहुराष्ट्रीय कंपनी का निर्माण नहीं कर पाएंगे। दुनिया में अमरीका की सबसे बड़ी दो कंपनियां - जनरल मोटर्स और फोर्ड मोटर्स हैं। फोर्ड मोटर्स गाड़ी बनाने वाली और जनरल मोटर्स गाड़ियों के साथ-साथ कुछ और चीजों को भी बनाने वाली कंपनी है। इन दोनों कंपनियों का पिछले साल का जो कुल व्यापार था, वह हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय आय से एक लाख करोड़ रुपए ज्यादा था और हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोग महत्वाकांक्षी न बनें या हमारा राष्ट्र महात्वाकांक्षी न बने। हम और हमारा राष्ट्र महत्वाकांक्षी जरूर बने, लेकिन जैसे हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है और जैसे हर आदमी की महत्वाकांक्षा की सीमाएं होती हैं, वैसे ही मेरें राष्ट्र की महत्वाकांक्षा की सीमाएं हैं और उन्हीं सीमाओं के अनुरूप

हमें और हमारे राष्ट्र को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। मेरे देश की आज महत्वाकांक्षा यह होनी चाहिए कि हम अपने देश में किसी भी व्यक्ति को रात में भूखे पेट नहीं सोने देंगे। हमारी यह महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि देश के हर नागरिक को रोटी मिले। हमारी महत्वाकांक्षा यह नहीं होनी चाहिए कि हम पांच सितारा होटलों में बैठे गोरे लोगों के बराबर कैसे बनेंगे या ऊंचे उठेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके दो-तीन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना होगा। एक तो खेती का क्षेत्र है और जब मैं खेती के क्षेत्र की बात करता हूं, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे डर है क्योंकि लैंड सीलिंग के कानून के अंतर्गत सारे राज्यों में ऐसे कानून बनाने आरंभ कर दिए हैं और इसके पीछे वही साजिश है जिसकी तरफ आज से छः वर्ष पहले मैंने इस सदन में इशारा किया था—कार्पोरेटाइजेशन आफ एग्रीकल्चर। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इसमें आ जाएंगी। महाराष्ट्र में आनी शुरू हो चुकी हैं। जमीन खरीदना शुरू कर चुकी हैं क्योंकि कानून में यह लिखा है कि यदि एक छोटी सी झोंपड़ी जिसमें छोटे से कारखाने का सा स्वरूप आ जाए, तो फिर वह कंपनी जितने हजार हेक्टेयर जमीन चाहिए, उतने हजार हेक्टेयर जमीन खरीद सकती है। कर्नाटक में यह हो रहा है। अन्य प्रदेशों में भी यह सिलसिला शुरू हुआ है और शुरू हो रहा है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे देश का कार्पोरेटाइजेशन की तरफ जाने का और हमारे देश के किसान को खत्म करने का जो यह रास्ता खोजा जा रहा है, इसको खत्म करना चाहिए।

दूसरी बात यह कही है, अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा है कि हमें अपने निर्यात को बढ़ाना चाहिए। अध्यक्ष जी के भाषण के एक वाक्य से हमको बहुत परेशानी हुई। वे यह कह रहे हैं कि यदि निर्यात बढ़ाना है तो पहले हमें आयात बढ़ाना चाहिए। हिन्दुस्तान की आबादी आज के दिन सौ करोड़ के आस-पास है। हम एक राष्ट्र हैं। यदि आज यह देश एक राष्ट्र नहीं होता, सौ करोड़ की आबादी का यह भूभाग मात्र होता और हम अनेक राष्ट्र होते तो हमारा व्यापार भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाता, हम भी महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से बंगाल और बंगाल से बिहार खूब एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट करते। हम लोगों की इकोनोमी कौन्टीनैंटल साइज इकोनोमी है। अमरीका की आबादी 25 करोड़ है। हम चार गुना ज्यादा हैं। अमरीका ने अपने निर्यात पर अपनी इकोनोमी नहीं बना रखा है। उसका निर्यात बहुत है। लेकिन उसकी इकोनोमी अपने निर्यात पर नहीं है, अपने देश के बाजार पर उनकी इकोनोमी है। हिन्दुस्तान को भी ऐसी चीजों का निर्माण करना होगा जो चीजें हमारे देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। क्या परेशानी है? तेल की परेशानी है न। आज शरद यादव जी यहां पर तेल के अभाव की बात लाए। तेल खरीदने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए, उतना निर्यात करिए। कुछ मशीनरी, टैक्नोलॉजी चाहिए तो उस टैक्नोलॉजी के लिए जो कुछ करना है, वह करिए। लेकिन आज देश का पैसा, विदेशी मुद्रा जो अनेक मार्गों से विदेश चली जाती है, उसे रोका जाना चाहिए। इसलिए जो आयात, जिसमें कितनी किस्म की मोटर गाड़ियां हिन्दुस्तान में आईं, जिनकी देश में साल में 5,000 गाड़ियां नहीं बिकती हैं, 25,000 गाड़ियां नहीं बिकती हैं, आज वे सारे लोग यहां पर आकर कारखाने बनाने लगे। कारखाना बनाकर यहां पर टैक्नोलॉजी नहीं दी बल्कि अपने देश से किट्स लाकर उसे यहां असैम्बल करके बाजार में देकर चले गए और हम लोगों का देश, मोटर गाड़ियों की बड़ी कम्पनियों के बीच का वार, कोला वार, पैप्सी कोला, कोका कोला के बीच का युद्ध और दुनिया की अन्य ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने-अपने माल को हिन्दुस्तान में ले जाने के लिए युद्ध के तौर पर हमें इस्तेमाल में ला रहे हैं।

यदि सही किस्म की नीति बनानी है तो हम फिर यह दोहराते हैं कि हमें गांधी जी के रास्ते पर जाना होगा। लेकिन इसके साथ एक और काम करना होगा कि इस देश में राइट टू वर्क बनाना होगा, कानून से देना होगा। क्योंकि यदि राइट टु लिव है, राइट टु लाइफ है, यदि मुझे राइट टु वर्क नहीं मिला तो मेरा राइट टु लाइफ एंड राइट टु लिव बेमतलब हो जाता है। इसलिए राइट टू वर्क को यदि यह सदन आजादी की इस पचासवीं वर्षगांठ में अगले सत्र में कानून के तौर पर लाकर उसे पास करता है तो हम मानेंगे कि देश में कुछ बदलाव लाने की दिशा में हम एक ठोस कदम उठा रहे हैं। लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। हमने देखा है कि अनेक राजनैतिक दल, यहां तक कि वामपंथ से लेकर अनेक पंथों तक, राइट टु वर्क को कोई पसंद नहीं करता है। उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जिस दिन राइट टु वर्क होगा, जिस दिन मुझे अदालत में जाकर काम मांगने का अधिकार होगा कि भारत के संविधान ने कहा है मुझे काम दीजिए, उस दिन आज की जो यह व्यवस्था है कि एक तरफ 25-50 लाख रुपये की गाड़ियां भी चलेंगी और दूसरी ओर हम भूखे भी मरेंगे, यह व्यवस्था एक दिन नहीं टिकेगी, यह व्यवस्था अपने आप टूट जाएगी, लोग इसे तोड़ देंगे। इसीलिए इसे बनाना आसान काम नहीं है। लेकिन यदि देश को बनाना चाहते हैं तो फिर यह काम किए बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है।

इसके साथ आपको स्वदेशी की ओर जाना होगा। छोटे और लघु उद्योगों के साथ स्वदेशी की ओर जाना होगा। लेकिन एक शब्द में मैंने कहा कि गांधी जी का रास्ता स्वदेशी का रास्ता है।

आपने घंटी बजा दी है लेकिन हम 2-4 मिनट और लेंगे। ...*(व्यवधान)* मैं 2-3 बातें कहकर समाप्त करूंगा। जहां हमने मानव संसाधन वाली बात कर उसे यहां पर चर्चा के विषय के तौर पर रखा है, मैं उसकी सभी चीजों में नहीं जाऊंगा। लेकिन पहली बात यह है कि पढ़ाई का आज का जो तरीका है, यदि यह बना रहा तो हमारी मानव संसाधन वाली जो सारी बातें हैं, वह हम खुद को और देश को, जैसे पचास साल हुए, उसी तरह से अगले पचास साल के लिए बनाए रखने का काम करेंगे, दूसरा इससे कुछ नहीं होना है। मैं आपसे अपने क्षेत्र की बात कहता हूं। मेरे क्षेत्र में हजारों प्राइमरी स्कूल हैं जिनकी छत नहीं है, जिनमें बैठने का इंतजाम नहीं है, जिनमें कुछ नहीं है और आज के दिन हमारा पूरा क्षेत्र पानी में डूबा है, सारा बिहार डूबा है, वैसे ही मध्य बिहार का काफी हिस्सा डूबा है। नीतीश जी हमारी बगल में बैठे हैं, बाढ़ का क्षेत्र भी पानी में डूबा है, और भी हमारे अपने क्षेत्रों की बात मैं कह सकता हूं कि वहां पढ़ाई नाम की कोई चीज छोटे बच्चों

की नहीं है। तो कौन-सा वह तरीका आगे बनाएंगे कि जिससे उनको आगे पढ़ाई का मौका मिलेगा और कब मिलेगा? वायदे अगर हों, जैसे गरीबी हटाओ कि यहां पर सुबह चर्चा हो गई तो ये वायदे हों तो वायदों से हमको कोई मतलब नहीं है। ठोस कौन से कार्यक्रम, समयबद्ध कौन से कार्यक्रम आप शिक्षण के बारे में दे देंगे, एक तो इसके बारे में आपको तय करना होगा, क्योंकि पहली पैसे वाली शिक्षा एक तरफ, शिक्षा का निजीकरण दूसरी तरफ और फिर गरीब के बच्चों को, गांवों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और अच्छी शिक्षा, उनकी बराबरी की मिलेगी, यह तीसरी तरफ। इतना भारी अन्तर्विरोध इन तीनों बातों में है कि मुझे इन नीतियों के बारे में कोई विश्वास करना सम्भव नहीं है, इसलिए इस पर कोई ठोस कल्पना ले सकता हो, कोई और कल्पना का मतलब एक ही हो सकता है कि यूनीवर्सल एंड यूनीफार्म, सब के लिए बराबरी की शिक्षा एक दर्जे तक आप दीजिए। दुनिया के अनेक देशों में इस प्रकार की शिक्षा का इन्तजाम है और वह इन्तजाम हमारे देश में भी हो जाये।

दूसरी जो बात यहां पर अभी मानव संसाधन के संदर्भ में होती है, तब यह सारा इतना मनुष्य बल है, इतनी युवा शक्ति है, क्यों काम में नहीं लग रही है, यह हम लोगों की चिन्ता का एक विषय है। लेकिन इसके साथ एक और बात है और आज मैं सदन का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि यह मामले इस देश के भविष्य के साथ जुड़े हैं और वह है इस देश में और विशेषकर इस देश की सीमाओं से इस देश के भीतर जो नशीले पदार्थ आ रहे हैं। हम लोग एक ऐसी जगह पर हैं कि हमारा देश है, हमारे पड़ोस में बर्मा है, बर्मा से आगे जाकर वहां थाईलैंड है और थाईलैंड, बर्मा और चीन, ये तीनों मिलकर गोल्डन ट्राएंगल वहां पर हैं, जहां विश्व का अफीम का, हेरोइन की लगभग 80 प्रतिशत पैदावार होती है। पिछली 21 दिसम्बर को **टाइम** मैगजीन ने दो पन्नों का लेख लिखा। मोरे में उनके विदेशी कोरेस्पोडेंट गये थे, हमारी सरकार ने इजाजत दी होगी और उन्होंने जाकर तस्वीरें खींची, लोगों से पूछताछ की और समूची जानकारी दुनिया के सामने रखी। **टाइम** मैगजीन से बढ़कर दुनिया में अंग्रेजी का इतना खपत का कोई दूसरा साप्ताहिक नहीं है। दो पन्नों की उस जानकारी में क्या लिखा, जो जानकारी मेरे जैसे लोग एक जमाने से सदन के भीतर और बाहर देते रहे, लेकिन कोई पूछता नहीं रहा। जानकारी यह दी कि एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये की अफीम, हेरोइन मोरे के मार्ग से हिन्दुस्तान होते हुए विश्व के अन्य देशों में जा रही है-नम्बर एक। नम्बर दो क्या दिया, नम्बर दो यह बताया कि हमें वहां की पुलिस के, सिक्योरिटी के बड़े अधिकारियों से पूछा, वह लिखता है कि क्या यह जो अफवाहें हैं कि आपकी सिक्योरिटी विभाग के लोगों का ही इसमें हाथ है, कुछ लोगों का इसमें कुछ हाथ है तो उनका जवाब है नहीं, यह बराबर सही नहीं है। थोड़े लोगों का हाथ नहीं है, सब का हाथ है। यह हमारी सिक्योरिटी के चीफ ने कह दिया। क्या भारत सरकार ने इस **टाइम** मैगजीन को नहीं पढा? चाहें जो कुछ आप लोगों के विवाद हों, क्या आपके हाथों में यह 21 दिसम्बर का नहीं आया? कुछ पूछताछ की, कुछ जांच आगे चलाई? क्योंकि ड्रग्स का मतलब अफीम पदार्थों का मतलब केवल अफीम पदार्थ आना, उसके साथ तस्करी होना, उसमें हमारे सुरक्षा बल के लोगों का भी कहीं न कहीं फंसे रहना, मामला वहीं तक सीमित नहीं है, उसके साथ कहीं न कहीं देश की सुरक्षा की बात, एक तो हमारी सीमाओं की जो हालत बन जाती है, उसके चलते जुड़ी हुई है और दूसरा उसके साथ-साथ अफीम और अमल पदार्थ, यह नशीले पदार्थ अपने साथ एड्स को लाता है। आज के अखबारों में फिर छपा है, मणिपुर के बारे में छपा है कि मणिपुर में जितनी मात्रा में एड्स बढ़ा है कि आज दुनिया के किसी भी इलाके में, इतने भौगोलिक इलाके की आबादी के हिसाब से, आबादी की मात्रा में इतने एड्स के मरीज और कहां मिलेंगे? मणिपुर में। जिस मणिपुर की चर्चा पिछले कुछ दिनों से हो रही है, वहां क्या-क्या अभियान उसको लेकर चल रहे हैं। जब मानव संसाधन की बात हम लोग करेंगे तो हमारे पढ़े-लिखे, लड़के, हमारे बेरोजगार नौजवान और अगर आप पूर्वांचल के प्रदेशों में जाएंगे, तो आप चलिये मणिपुर, आप चलिये नागालैंड और देखिए 18 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे, कोई रोजगार नहीं है, लेकिन सड़क पर अफीमची होकर पड़े हुए हैं। यह हकीकत है। हम लोग वहां जाकर पैकेज देने की बात करते हैं, लेकिन कोई पैकेज नहीं दिया जाता। जो साथ जाते हैं, वापस लौट आते हैं, बस इतना ही होता है और कोई विकास उस इलाके का नहीं हुआ है। इसलिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, मोरे से, बर्मा से इस तरफ आने वाले अफीम के पदार्थ हैं और जो एड्स आती है उसको रोकने में इस संसद में निश्चित रूप से विचार होना चाहिए। हम लोग छोटी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हम लोग इस मुद्दे को राष्ट्रीय अभियान का मुद्दा बनाकर आगामी 2 अक्तूबर से मोरे में मानव दीवार बनाकर बर्मा से हिंदुस्तान आने वाले अफीम पदार्थ को और एड्स को आने से रोकने का संकल्प, लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज के दिन सदन जरूर इस पर सोचे। ...*(व्यवधान)*

कर्नल राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़): आप समझते हैं कि सड़क बना देंगे।

श्री जार्ज फर्नांडीज: सड़क हमारी सरकार 120 करोड़ रुपये खर्च करके बर्मा के बीच से बनाने में लगी है। वह एक अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम बचा है।

मैं आखिरी बात चुनाव और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। 50 वर्ष पहले मैं 1947 में नहीं जाऊंगा, तब संसद नहीं थी, संविधान सभा थी, संसद 1951 में अस्तित्व में आई। उसके पहले अंतरिम पार्लियामेंट थी, 1950 में मान लीजिए। 1951 में सदन में एक व्यक्ति आए। वह बम्बई से आए। उनका नाम मुद्गल था। मुद्गल ने क्या पाप किया था, उन्होंने इतना ही किया था कि एक कम्पनी, कम्पनी भी नहीं, एक एसोसिएशन, बम्बई बिलियन मर्चेंट्स एसोसिएशन जो सोना-चांदी का व्यापार करती थी उसको बाकायदा पत्र लिखा, टाइप किया हुआ पत्र लिखा। उसमें कहा गया कि आप लोगों के बारे में सदन

में कोई नहीं बोलता है, आप लोगों की काफी समस्याएं हैं, सरकार के लोगों को समझाने की जरूरत है, सांसदों को बुलाने की जरूरत है, साल में दस हजार रुपया खर्चा होगा टेलीफोन और चाय-पानी का, हल्का-फुल्का खर्च होगा, यह उन्होंने उनसे मांगा। यह नहीं कि रात को सूटकेस में लाओ या ब्रीफकेस में भेज दो। बाकायदा प्रस्ताव किया उस एसोसिएशन ने और यह कहा गया कि अभी दस हजार रुपया नहीं, शुरू में पहली किस्त के रूप में एक हजार रुपये दिए जाएंगे। आगे क्या हुआ; हम नहीं जानते। लेकिन पंडित नेहरू को जानकारी हो गई। नेहरू जी कितने महान नेता थे, इसका जिक्र आज सदन में कई बार हुआ। पंडित नेहरू ने मुद्गल को अपने कार्यालय में यहीं 9 नं. कमरे में बुलाया और पूछा कि क्या गलत किया है उन्होंने जवाब दिया कि कुछ गलत नहीं किया। जब पं. नेहरू ने उन्हें चार्ज शीट दी, शोकॉज नोटिस दिया। एक सांसद के तौर पर पार्टी के नेता ने अपने सांसद को नोटिस दिया। फिर क्या हुआ। उनका जवाब समाधानकारक नहीं हुआ तो इस सदन में खड़े होकर पंडित जी ने प्रस्ताव रखा और इस सदन के पांच लोगों की कमेटी बनाई। उस समिति ने निर्णय दिया कि उनका जो बर्ताव था एक व्यापारिक संस्था के साथ पैसे का सौदा करना, उनकी बातों को सदन के भीतर और बाहर प्रसारित करने के लिए, इस सदन के सदस्य को शोभा नहीं देता है। सदन की गरिमा को नीचे उतारता है, लिहाजा इस व्यक्ति को सदन से निष्कासित करना चाहिए। सदन ने प्रस्ताव पारित किया।

आज हम उसी सदन में बैठे हैं और यहां भी यह चर्चा हो रही है कि कैसे-कैसे लोग यहां पर बैठे हैं। लेकिन लगता है हम सब लोग नपुंसक हो गए हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि यहां गलत लोग बैठे हैं, तो हममें क्या हिम्मत नहीं उन गलत लोगों को पहचानने की, इसलिए नहीं कि वहां पार्टी आ जाएगी या उसमें हम लोगों की व्यक्तिगत परेशानी आ जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 40 सांसद हैं। इसलिए उपाध्यक्ष जी जब सदन की गरिमा की चर्चा होती है तो केवल यहां आने का और चिल्लाने का मामला नहीं है। डा. लोहिया एक बात कहा करते थे कि संसद को देश के लोगों के सुख-दुःख और उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करने के रूप में हमें देखना चाहिए।

अपराह्न 6.00 बजे

उसका अर्थ यह नहीं कि हम लोगों को वहां कूदना चाहिए। उसका अर्थ यह नहीं कि गुत्थम-गुत्थी की बात होनी चाहिए। प्रतिबिम्बित इस तरह से हो कि उन लोगों की समस्याओं को यहां पर रखने के साथ-साथ हम लोगों का जीवन भी जहां तक हो सके, मैं यह नहीं कहता हूं कि हम गरीब को प्रतिबिम्बित कर रहे हैं तो मुझे हर रात को भूखा सो जाना चाहिए, यह मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन हम लोगों का जीवन उसकी परेशानियों को प्रतिबिम्बित करने वाला होना चाहिए, इसलिए जब सदन की गरिमा की बात है तो 1951 का उदाहरण हमारे सामने है। 46 साल पहले का उदाहरण है। मुदगल केस के ऊपर किताबें हैं। एक छोटी सी किताब यहां की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, उसे पढ़िए और उसके आधार पर आज की संसद में जिन लोगों ने इस तरह से कोई भी गलत काम किया हो कि जिस काम के लिए मुदगल को हटा दिया था तो फिर आज एक बार फिर हटाने की शक्ति और क्षमता यह सदन दिखाए तब कहीं जाकर बात बनेगी।

मैं अंतिम बात भ्रष्टाचार पर कहना चाहता हूं। हम हमारे प्रधान मंत्री जी से बहुत परेशान हैं। कुछ गुस्से में भी हैं और गुस्सा इसलिए कि कम से कम प्रधान मंत्री जी को अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। देश का प्रधान मंत्री मुझे कहे कि तुम जाकर सत्याग्रह करो। मैं कहां जाकर सत्याग्रह करूं? मैं सत्याग्रह करना चाहता हूं लेकिन सत्याग्रह कहां जाकर करूं? क्या प्रधान मंत्री जी की कोठी पर करूं? कितने लोगों को लेकर करूं? सौ लोगों को ले जाकर करूं? आपकी पुलिस क्या करेगी? लाठी लेकर रोकेगी और हम लोगों में यदि कोई गुस्से वाला हुआ और जो कूद गया तो पुलिस उसके माथे पर लाठी लगाएगी, उसे अस्पताल भेजेगी। आप मुझे क्या करेंगे? हम सबको आप जेल भेजोगे। ठीक है। सत्याग्रह यही है। लेकिन क्या हमें यह करना जरूरी है? फिर आप यहां किसलिए बैठे हैं? आप लोगों को कहें कि तुम सत्याग्रह करो, तुम लड़ो। फिर आप क्या करोगे? आप उन लोगों के साथ बैठोगे, उठोगे, समझाओगे, बुझाओगे और उपदेश देते रहोगे। हमारी समझ में यह बात नहीं आती, इसलिए जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो हम बार-बार इन बातों को कहते आए हैं। मैं फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि कानून सबके लिए समान करिए। पांच रुपए किसी की जेब से यदि किसी ने निकाले तो उनके लिए छः महीने की सजा होगी क्योंकि उसने जेब काटी और दस हजार रुपए खजाने से लूटे तो उसको राजा की व्यवस्था मिलेगी। इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। अगर देश में भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो नहीं मिट सकता अगर ऐसा रहेगा।

दूसरे, पारदर्शिता एक अर्से से सुन रहे हैं। कब आएगी? क्यों नहीं आ रही है? क्या परेशानी है? कौन नंगा हो जाएगा? मैं जानता हूं नौकरशाही नहीं चाहती है। मैं जानता हूं कि राजनीति करने वाले लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन यह सदन क्या चाहता है? एक बार तय करें। फिर सदन की गरिमा, सांसदों का मान-सम्मान और अदालतों का क्या अधिकार है, इन सारी चीजों पर हम लोग कितना गुस्सा करते हैं तो क्यों नहीं पारदर्शिता के लिए हर व्यक्ति कानून के सामने समान होगा? इन दो बातों के लिए हम लोग क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? इसलिए मेरी पूरे सदन से प्रार्थना है कि इन दो चीजों को तत्काल इस सत्र के बाद होने वाले सत्र में अमल करने के लिए उठाना चाहिए। उसके साथ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जब ये सारी बातें अमल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगी तब हम लोगों को अगले पचास सालों की क्या सोच है, तब कहीं जाकर उसका अर्थ होगा। लेकिन हम लोगों के हाथों में पचास साल नहीं हैं। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, कितना भी चाहें, पचास साल के बाद सदन में तो कोई नहीं रहेगा, दुनिया में भले ही रहें क्योंकि जो औसत उम्र है, उसको देखते हुए और जो सबसे कम उम्र वाले नौजवान हैं, उनकी तरफ नज़र डालते हुए पचास साल के बाद यहां कोई नहीं रहेगा। अगर हम लोगों को पचास साल की चर्चा

करनी है तो चर्चा जरूर हो जाए। लेकिन चर्चा अगले पचास दिनों की होनी चाहिए कि हमको अगले पचास दिनों में क्या करना है या अगले पचास सप्ताहों में क्या करना है? या यह कहूं कि इस संसद के भंग होने से पहले हम लोगों को क्या करना है क्योंकि भंग तो जल्दी होनी है। उसकी तैयारी हो रही है। आज से इलेक्शन कैम्पेन शुरू हो गया। क्या आपने आज नए नेता का भाषण नहीं सुना? वह तो चुनाव का भाषण था। वे यह भी भूल गए कि वे चेयर को एड्रैस कर रहे हैं। उन्होंने एक बार नहीं, दो-दो बार भाइयों और बहनों करके कहा। चुनाव का अभियान तो शुरू हो गया। किल्ली तो वहीं है, जिन्होंने उनको बोलने के लिए कहा है। उन्हीं के हाथ में किल्ली है। इसलिए हम चाहेंगे कि यह संकल्प अगले कुछ महीनों के लिए, इस सदन के सत्रावसान होने तक, हम लोगों का संकल्प हो।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें यह मौका दिया, जहां पर बिना किसी हिचकिचाहट के हम अपनी बात रख सकते हैं। अंत में, मैं कुछ बातें कहूंगा। एक—स्वदेशी; दो—इस सदन के भीतर एक राष्ट्रीय संकल्प, फिर एक बार हमारी एक-एक इंच जमीन जहां भी है, वह जमीन लेने तक हम चुप नहीं रहेंगे। इस संकल्प की पुनरीक्षा; तीन—एथिक्स कमेटी यह सदन तत्काल बनाए। जैसे मुदगल का मामला लिया गया था, वैसे आज जो भी मामले हैं, वे लिए जायें और भविष्य में भी जो भी मामले उठेंगे, वे लेने के लिए एक कामन-स्वरूप यहां पर कमेटी बने और रोजगार को मौलिक अधिकार बनाकर इस देश की आर्थिक समस्याओं को हल करने की दिशा में ठोस कदम हम लोग उठायें।

श्री मेजर सिंह उबोक

श्री मेजर सिंह उबोक (तनरतारन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आजादी की स्वर्ण जयन्ती पर मुझे इस स्पेशल सैशन में बोलने के लिए अवसर दिया। मैं अपनी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर कुछ कहने के लिए कहा। बड़ी खुशी की बात है कि हम आजादी के 50वें साल में चल रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास पर अगर आप नजर डालें, तो पाएंगे कि हमारी गलतियों की वजह से हिन्दुस्तान बहुत लम्बे समय तक गुलाम रहा है। चन्द्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य और उसके बाद के इतिहास पर नजर डालें, तो देखेंगे कि विदेशियों ने ही हिन्दुस्तान पर राज किया है। हजारों हिन्दुस्तानियों को रौंदते हुए वे सोमनाथ मंदिर तक पहुंचे। मैं पूछता हूं, हिन्दुस्तान में क्या कमी थी कि हम उस वक्त उनको नहीं रोक सके? हममें एकता की भावना नहीं थी और छोटी-छोटी रियासतों में हिन्दुस्तान बंटा हुआ था। यदि आप एक हजार साल के इतिहास को उठाकर देखें, तो पायेंगे कि कितने ही वंशों ने बाहर से आकर हिन्दुस्तान पर राज किया। यह बात और है कि दक्षिण भारत में, राजस्थान में और बहुत सारी जगहों पर, जो उस समय के देशभक्त हुए, उन्होंने विदेशी राज के खिलाफ तलवार उठायी। महाराष्ट्र में शिवाजी ने, राजपुताना में महाराणा प्रताप सिंह ने और पंजाब में गुरुगोविन्द सिंह जी ने तलवार उठायी और कहा कि यहां विदेशियों का राज नहीं रहने देंगे। यह एक लम्बा इतिहास है। अंग्रेजों की नीति डिवाइड-एंड रूल की थी। ये दो लफ्ज ऐसे थे कि हिन्दुस्तान वालों को आपस में लड़ाओ और हिन्दुस्तान पर राज करो। ये हिन्दुस्तान पर राज करने की उनकी नीति थी और उन्होंने भी प्लासी से लेकर 1947 तक हिन्दुस्तान पर दो सौ साल के करीब राज किया। यह और बात है कि देश के किसी हल्के में, किसी प्रांत में छोटी-मोटी रियासतें थीं जो आजाद थीं और कुछ रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने उनकी गुलामी अख्तियार कर ली थी। जिनको हम खुद मुख्तियार रियासतें कहते थे वे उनके भी आगे गुलाम थीं। पंजाब भी सब के बाद महाराजा रणजीत सिंह के राज के बाद अंग्रेज राज में समाप्त हो गया और वहां भी सौ साल अंग्रेजों ने राज किया। ये जो अंग्रेजों की नीति थी कि हम डिवाइड एंड रूल के तरीके से राज करेंगे, वे करते रहे। हमारे बहुत बड़े-बड़े देशभक्तों और उन लोगों की वजह से हिन्दुस्तान की आजादी के लिए जद्दोजहद शुरू हुई, इस जद्दोजहद का भी बहुत बड़ा इतिहास है। ज्यों-ज्यों हमारी आजादी की सरगर्मी तेज होती गई तो अंग्रेज हमें थोड़ा देते गए। उन्होंने कभी मिन्टो-मार्ले रिफार्म दे दी, कभी 1935 का एक्ट दे दिया। यह जो सभा आज बनी है, जहां हम खड़े हैं यह भी उस समय की बनी हुई है जब हमें थोड़े से अधिकार मिले थे। उस समय हम पूर्ण तौर पर स्वतंत्र नहीं थे। इस तरह ज्यों-ज्यों हमारी आजादी तेज होती गई तो उसमें गर्म दल वाले आए और शांति से लड़ने वाले भी आए। सभी ने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए हिस्सा लिया जलियांवाला बाग में जो कुछ हुआ उसने हिन्दुस्तान के ज़मीर को जगा दिया कि यह अंग्रेज राज कैसा है। उस वक्त हरमंदिर साहब के पास जो जलियांवाला बाग है उसमें जो हुआ उसको आप सब जानते हैं, उनको मैं बताना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि उस वक्त जो हमारे गुरूद्वारे थे, स्वर्ण मंदिर था वह भी महंतों के कब्जे में था और वे महंत उस वक्त अंग्रेजों के पिट्ठू थे और अंग्रेज के साथ चलते थे। उस वक्त किसी भी सिख को या दूसरे आदमी को वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं थी। शायद आप सब लोगों को यह न पता हो कि जलियावांला बाग का जो भयंकर कत्लेआम हुआ उसके पीछे क्या कहानी थी। उसके पीछे यह कहानी थी कि कुछ लोग फौज से 1919 की लड़ाई के बाद रिटायर हो कर आए और उनमें कुछ अनुसूचित जातियों के लोग भी थे, जो अंग्रेजों की फौज में रहे। उन्होंने कहा कि हम दरबार साहब में जरूर प्रसाद लेकर जाएंगे और हमारा प्रसाद वहां पर स्वीकार होना चाहिए।

महोदय, हमारे समाज में जो शुरू से शूद्र के खिलाफ नफरत चली आ रही थी वह भी महंतों के राज में वहां पर निकली। उन्होंने कहा कि नहीं, शूद्र का प्रसाद दरबार साहब में नहीं आ सकता। इसलिए सारे लोगों ने इकट्ठे होकर यह संघर्ष किया कि ये जो शूद्र हैं ये भी इन्सान हैं। मैं यहां आपको थोड़ा-सा बता दूं, क्योंकि यह हमारे इतिहास से संबंधित बात है। वहां हरमंदिर साहब में गुरूग्रंथ से वाक्य लिया जाता है कि हमारे लिए क्या हुक्म है, फिर हम काम करते हैं तो उस वक्त यह वाक्य निकला कि ये सभी भाई एक हैं। इनमें कोई ऊंच-नीच नहीं है। उसके बाद से हरमंदिर साहब में शूद्र जाए, किसी जात-बिरादरी का जाए वहां सभी का प्रसाद स्वीकार किया जाता है।

पहले हमारे हिंदुस्तान के मंदिरों में होता रहा है कि शुद्र वहां पर नहीं जा सकता था। यह जो बिरादरी का संघर्ष था तो अंग्रेजों ने समझा कि यह जो महंत हैं ये लोगों के आगे दब गये हैं, इसलिए इनको एक सबक सिखाना चाहिए। जलियांवाला बाग में जो लोग संघर्ष के लिए इकट्ठा हुए थे और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने जो कॉल दी थी और उसके ऊपर अंग्रेज जो पंजाब वालों को सबक सिखाना चाहते थे, इन सारी वजहों से जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवाई। कितने लोग शहीद हुए और न जाने कितने लोगों की जानें गयीं, यह इतिहास जानता है। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप भी इस बात को देख सकेंगे। एक अंग्रेज ने लिखा है कि जलियांवाला बाग कांड ने अंग्रेज हुकूमत के पांव हिला दिये। यदि यह कांड न होता तो हिन्दुस्तान के आम आदमी की आत्मा इस तरह से न तड़पती। इस कांड ने सारे हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दीं। उसके बाद जो कुछ हुआ वह बहुत लम्बी कहानी है। कौनसे एक्ट बने, मार्शल लॉ लगे, फिर जाकर हिंदुस्तान आजादी की तरफ बढ़ा। भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू हुआ और लाहौर में अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ो का अल्टीमेटम दिया गया। आज कुछ लोग अपने सिर पर उसका सेहरा बांधते हैं लेकिन असली बात यह है कि उस वक्त आजादी की लहर थी। उस वक्त चाहे सिख था, हिंदू था, मुसलमान था, सबने हिस्सा लिया था। अब चूंकि महात्मा गांधी संघर्ष में सबसे आगे लगे तो उनकी अगुवाई पर सबको भरोसा था। वे कांग्रेसी थे और आजादी के बाद कांग्रेस ने कहा था कि ताकत लेने के बाद हो सकता है कि हममें कुरीतियां आ जाएं, इसलिए कांग्रेस को तोड़ दो। आज यहां जो सब पार्टियां हाउस में बैठी हैं ये सब उस वक्त एक थीं और महात्मा गांधी और जवाहर लाल उस वक्त नेशनल लीडर थे। वे अकेली कांग्रेस के लीडर नहीं थे। सब लोगों ने उन पर भरोसा किया और उनकी अगुवाई में कुर्बानियां दीं और जेल गये। कामागाटामारू और हजारों लोग पोर्टब्लेयर गये। आज जिसको काला-पानी कहा जाता है, वहां लोगों को छोड़ दिया जाता था और चारों तरफ समुद्र था। पिछले कुछ समय से उसको नेशनल म्यूजियम बना दिया गया है। हमारे देशभक्त जिस-जिस अंधेरी कोठरी में रहे, उनमें उनका नाम लिखा है कि इसमें कौन रहा है और इसमें कौन रहा। सेलूलर जेल जिसमें परिंदा भी नहीं जा सकता था, एक इंसान को दूसरा इंसान देख नहीं सकता था, मैंने उसको देखा है और आप लोगों को भी उसको देखना चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए क्या-क्या कुर्बानियां दीं। उसके बाद जो कुर्बानियां दूसरे देशभक्तों ने और दूसरे साथियों ने दीं, वह एक इतिहास बन जाता है। हमें आज यह सोचना है कि हमारा देश इतनी ज्यादा देर क्यों गुलाम रहा? स्पीकर साहब ने आज यहां यह कहा है कि हमने यह देखना है कि पचास साल में क्या प्राप्तियां हुई हैं और पचास साल में क्या खोया? उसके बाद आने वाले समय में हमें क्या करना है यह देखना होगा। मेरा कहना यह है कि इससे पहले जो कुछ हुआ, उससे हमें सबक लेना चाहिए। हमारे देश में कौमी एकता नहीं है, सॉलिडैरिटी नहीं है। वह लानी चाहिए। हिन्दुस्तान के माथे पर जो कलंक है कि यह शूद्र है, उसको जब तक मिटा कर उसे समाज में बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। मुझे मौलाना इकबाल का एक शेर याद है:

''आह के लिए हिन्दुस्तान गमखाना है,
दर्दे इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है।''

क्या हमारे दिल में राम नहीं बसा है? क्या वे लोग इन्सान नहीं हैं? जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ, उन लोगों ने हिन्दुस्तान के संघर्ष में बहुत कम हिस्सा लिया। वे कहते हैं कि हम को इन्सान नहीं समझा जाता, हम को दूसरों के बराबर नहीं समझा जाता। इसलिए वे कहते हैं कि हमें आजादी या दूसरी चीजों से क्या लेना है, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। वे अलग हैं। हम जब तक उनको साथ नहीं मिलाएंगे, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। हम वोट हासिल करने के लिए हम बहुत कुछ कहते हैं लेकिन समाज में उनका क्या स्थान है, उसकी तरफ हम को जरूर ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के 16 मिनट थे। 16 मिनट पूरे हो गए हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप पहले बात सुन लीजिए। आपकी पार्टी के चार ऑनरेबल मैम्बर्स के और नाम हैं। 16 मिनट पूरे हो गए हैं। अब आप कनक्लूड करिए।

श्री मेजर सिंह उबोक: मुझे बरनाला साहब कह गए थे कि अभी आपको नहीं बोलना है। इसलिए मैं चला गया। पता नहीं वह खुद कहां चले गए? वह मुझे यहां बुला कर लाए हैं। बाकी जो समय बचेगा, वह उसे ले लें। मैं कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूं। मैं पुराने इतिहास की बात कह रहा हूं। लोक सभा के जो गलियारे हैं, उन पर लोगों को बड़ी आस्था है और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। मुझे इसके बारे में थोड़ा-सा बोलना है। मैं पीछे की बात छोड़ कर आगे की बात पर अभी आ जाता हूं।

एक माननीय सदस्य: आप बहुत अच्छे टॉपिक पर बोल रहे हैं। इस पर ही बोलिए। वह भी शूद्र हैं।

श्री मेजर सिंह उबोक: यह मुझे उस पर बोलने नहीं देते।

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप मेरी जगह यहां बैठे होते तो यही कहते।

श्री मेजर सिंह उबोक: हम हर शूद्र को छाती से लगाते हैं और हम भी शूद्र हैं। अगर मैंने गुरू नानक देव जी की बात कही तो यह कहेंगे कि धर्म की बातें करते हैं। उन्होंने एकता की बात कही थी और कहा था कि सभी बराबर हैं और एक हैं। आप कभी भी इसे देख सकते हैं। आजकल डाक्टर बहुत माहिर हो गए हैं। इन्सान के ए, बी और सी खून के ग्रुप्स होते हैं। शूद्र में अलग किस्म का खून नहीं होता। उनके खून का ग्रुप भी ए, बी और सी होता है।

हिन्दुस्तान ने बड़े संघर्ष के बाद और कुर्बानी देने के बाद आजादी हासिल की। इस समय देश में बहुत संकट है। जब चुनाव होते हैं तो लोगों की आंखें इस मन्दिर (सदन) पर लग जाती हैं। यह हिन्दुस्तान के लोगों का मन्दिर है। पूरे देश के लोगों को इससे उम्मीदें हैं कि हमें फिर से कुछ मिलेगा। यह बेशक धार्मिक मन्दिर नहीं है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि लोगों के मन में इसके प्रति उतनी ही आस्था है। आप एक तरफ देश की बेहतरी और आम लोगों की बेहतरी के लिए आशाएं भी रखते हैं लेकिन दूसरी तरफ उन्हें पूरा नहीं करते। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं:

चूं कुफ्र अज काबा बरखेजद
कुजा मानद मुसलमानी

अगर यहां से असत्य पैदा होगा तो वह देश के बाकी हिस्सों में फैलता जाएगा। अगर इन्सानियत यहां से पैदा होगी तो वह पूरे देश में फैलेगी। अगर यहां असत्य बोला जाएगा, यहां अखलक और सच्चाई की बात नहीं कही जाएगी तो देश के लोगों की जो इसके प्रति आशाएं हैं, वे पूरी नहीं हो सकतीं। तो इन गलियारों में जब लोग करप्शन की बातें पढ़ते हैं, यहां के बड़े-बड़े लोगों की बात जब रोज अखबारों में आती हैं तो बहुत अफसोस की बात होती है। कहां पं. जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी? हम इस हाउस वालों ने बेशक तीन प्रधानमंत्री देखे हैं और इस लोक सभा को तसल्ली जरूर है कि इन तीनों प्रधानमंत्रियों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है लेकिन उसके पहले जो हुआ, वह शर्म की बात है। यहां कोई कहता है कि आप आठवें नम्बर पर हैं और कोई दसवें नम्बर पर कह देता है। अगर ऊपर से करप्शन चलेगी तो नीचे वाला जो अफसर है, नीचे छोटे से छोटा कर्मचारी है, वह भी और करप्शन करेगा। इसलिये लोक सभा के जो गलियारे हैं या लोक सभा में जो यहां बैठते हैं, मुझे खुशी है कि अब इन्होंने इरादा किया है और कहते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो पीछे हुआ, वह हम सब के लिये शर्म की बात है और आइंदा यह सोचना चाहिए कि कम से कम लोक सभा और दस-दस लाख लोगों द्वारा चुने गये नुमाइंदे, देश के चुने हुये वारिस हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सके। इससे हमारे देश में जो सदाचार और अच्छे रास्ते हैं, वे कायम हो सकें। तो मुझे कुछ और बातें करनी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब टाइम हो गया हैं, आप कनक्लूड करें।

श्री मेजर सिंह उबोक : मैं थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं। बहुत सी बातें मेरे साथियों ने कही हैं, मैं उन्हें छोड़ देता हूं। मैं बार्डर का रहने वाला हूं और बार्डर के लोगों का नुमाइंदा हूं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ दो लड़ाइयां लड़ी हैं। ये लड़ाइयां तरनतारन, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट्स और सारे बार्डर की सरजमीं पर 1965 में और 1971 में भी लड़ी गईं। अब भी ये लड़ाइयां असम, जम्मू कश्मीर और पंजाब में चल रही थीं। यह खुशी की बात है कि पंजाब वालों ने इस लड़ाई पर काबू कर लिया और वहां अब शान्ति है। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जो देश के समूचे संकट हैं, वहां पर सारे देश को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परसों कश्मीर में जो लड़ाई हुई है। जब प्रधानमंत्री जी वहां गये थे, हम भी वहां पर थे, तो क्या डा. फारूख अकेले लड़ाई लड़ सकते हैं? असम में बगावत चल रही है तो वहां की सरकार अकेली नहीं लड़ सकती है। जब तक सारा देश उनके पीछे खड़ा नहीं होगा, हर प्रकार की सहायता नहीं देता, वे नहीं लड़ सकते हैं। इसी तरह से पंजाब में ऐसा हुआ।

मैं थोड़ा और आगे बात करना चाहता हूं कि पंजाब में पाकिस्तान बार्डर के साथ कांटे की तार लगी हुई है। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर और असम देख लिया। वहां सब कारखानेदार लोग भाग रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र कहते हैं कि वहां कारखाना लगायें लेकिन वहां पर कोई चक्कर लगाने के लिये और उसको देखने के लिये भी नहीं जाता है। इस हाउस में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फौजी हैं। मैं देख रहा हूं कि फौजी जनरल ने वहां जाकर लड़ाई देखी होगी। दूसरों ने लड़ाई देखी भी नहीं होगी कि कैसे पंजाब और जम्मू-कश्मीर में लड़ाई चल रही है। हमें खुशी है कि प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि कंटीले तारों के पार हमारी जितनी जमीनें हैं, वह सारी जमीन सरकार ले ले। वहां लोग जाकर काश्त नहीं कर सकते। वहां गोलियां चल रही हैं, वे जाकर क्या करेंगे? बार्डर के आगे और जहां पाकिस्तान की जमीन हैं, वहां लोगों का बहुत बुरा हाल है। 1971 में डिफेन्स की ग्रेफ ने कहीं-कहीं पुल बनाए थे, लेकिन वे पुल बरसात् के कारण या ज्यादा समय बीत जाने के कारण टूट गए हैं। आप सोचिए कि वे लोग कैसे जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। सभी पार्टियों के एम.पीज़ वहां गए थे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको 16 मिनट बोलना था और आप 24 मिनट बोल चुके हैं। मेरी कठिनाई है कि अन्य सदस्यों को भी बोलना है। स्पीकर साहब कहते हैं कि 10 मिनट से ज्यादा समय मत दीजिए।

श्री मेजर सिंह उबोक : बोर्डर पर जहां हमारी फौजें लड़ी थीं, वहां हम खुद अपने कंधों पर गोले रखकर लाहौर की तरफ बढ़े थे। हमने 1965 और 1971 की लड़ाई देखी। बोर्डर पर जो लोग रहते हैं, उन लोगों का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए। जम्मू-कश्मीर, पंजाब और असम तीनों प्रांतों में जहां प्रौक्सी वार चल रहा है, अगर ये सारा सदन चुप करके बैठेगा और यह कहेगा कि हम इनके खर्च में भी शामिल नहीं होंगे, तो यह अफसोस की बात है। सारे सदन को इस बारे में सोचना चाहिए। मैं कमेटी ऑफ डिफेन्स का भी मेम्बर हूं। मैं आपको बताऊं कि जम्मू वालों ने लद्दाख स्काउट्स भर्ती किये हैं। वहां एक सरदार आफिसर था। हम दो महीने पहले वहां गए थे। मैंने कहा कि

यह आपको क्या काम देते हैं? उसने बोला कि ये सभी इलाकों को जानते हैं। हरेक जगह को जानते हैं। इनका हमें इतना ज्यादा फायदा है कि अगर हम नये सिपाही बटालियन में बाहर से लेते हैं तो उनको इतनी जानकारी इस इलाके की नहीं होती जितनी इनको है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अनन्त कुमार बोलेंगे, श्री उबोक कृपया बैठ जाइये मैंने अगले वक्ता को बोलने को कहा है।

[हिन्दी]

श्री मेजर सिंह उबोक : मैं प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जैसे लद्दाख स्काउट्स के लोग आपने बटालियनों में भर्ती किये हैं, उसी प्रकार पंजाब के जो इलाके बार्डर के साथ लगते हैं, वहां के लोग अपने घरों की रखवाली के लिए दुश्मन से ज्यादा मजबूती से लड़ेंगे, बजाय उनके कि जो लोग बाहर से आते हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि आप इस ओर उचित ध्यान दें और खासकर इन तीनों प्रांतों में जहां पर अब भी लड़ाई जारी है वहां देखें कि इन लोगों के लिए कोई भी कारखाना नहीं है। जम्मू कश्मीर में क्या है? वहां लोग थोड़ी बहुत कशीदाकारी करते थे। वह भी तबाह हो गया। छोटे कारखाने भी तबाह हो गए। वहां सरकार को कुछ करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा एक निवेदन है। यह फैसला हुआ है कि दस मिनट से ज्यादा कोई एम.पी. न बोले।

श्री अनन्त कुमार।

श्री अनन्त कुमार

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा लोकतंत्र के लाभों को निचले स्तर तक पहुंचाने के बारे में है। वास्तव में, जब मेरे वरिष्ठ साथी बोले, तो उन सभी को 20-25 मिनट से अधिक समय तक बोलने की अनुमति दी गई। पहली बार लोक सभा के लिए निर्वाचित तथा पीछे बैठने वाला सदस्य होने के कारण मैं आशा करता हूं कि इस विशेष सत्र में कम से कम प्रजातंत्र पीछे की सीटों पर बैठने वालों तक पहुंचना चाहिए।

प्रारम्भ में, मैं भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में यह विशेष सत्र आयोजित करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय तथा माननीय उपाध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूं। लेकिन अपना भाषण आगे बढ़ाने से पूर्व में आपके ध्यान में दो तीन महत्वपूर्ण बातें लाना चाहता हूं।

''भारतीय संसदीय लोकतंत्र के पचास वर्ष'' नामक पुस्तिका वितरित की गई है। इस के प्रथम पृष्ठ में, जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज तथा श्री चित्त बसु दोनों ने बताया है, यह कहा गया है ''भारत ने अहिंसक संघर्ष के पश्चात् विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की जिसका विश्व इतिहास में अब तक कोई उदाहरण नहीं है। इसमें केवल यही लिखा गया है तथा किसी सशस्त्र संघर्ष का कोई उल्लेख नहीं है। यदि ऐसे दस्तावेज में किसी सशस्त्र संघर्ष का उल्लेख नहीं है, जब हम भारत की स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यदि हम छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने 'हिन्दवी स्वराज' आन्दोलन प्रारम्भ किया, राणा प्रताप, सरदार भगत सिंह, झांसी की रानी, लक्ष्मी बाई, किट्टूर रानी चेन्नम्मा, अल्लुरी सीता रामा राजु तथा वीर पांडया कट्टा बो ममन को याद नहीं करते तो इसका अर्थ यह है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के उस समस्त विशिष्ट समूह की अनदेखी कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष किया। अत: मैं माननीय उपाध्यक्ष से इस आधारभूत दस्तावेज में इस विकृति को सुधारने का अनुरोध करता हूं।''

दूसरे, जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने पहले ही बताया है, इस संसद ने विगत 47 वर्षों के दौरान दो प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किए हैं। एक प्रस्ताव चीनी आक्रमण के पश्चात् अक्तूबर, 1962 में चीन द्वारा कब्जा किए गए भारतीय भूभाग की प्रत्येक इंच भूमि को मुक्त कराने के लिए था तथा दूसरा प्रस्ताव 1995 में स्वीकृत किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई थी कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है।

इस संसद ने विगत 47 वर्षों में दो प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किए हैं। मेरा विचार है कि इस विशेष सत्र के दौरान इस संसद का यह कर्तव्य बनता है कि वह इन दो सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रस्तावों पर पुन: बल दे तथा यह शपथ लें कि हम अपने उस भूभाग को पुन: प्राप्त करेंगे जिस पर किसी अन्य देश ने कब्जा कर रखा है तथा हम अपनी अखण्डता को भी बनाये रखेंगें।

देश इस प्रजातंत्र की व्यवहारिकता पर अभी भी विचार कर रहा है कि क्या यह प्रजातंत्र हमारे लिए अनुकूल है। लोगों में इस संबंध में कुछ निराशा है। लोग यह महसूस करते हैं कि लोकतंत्र कार्य नहीं कर रहा है।

मुझे याद है कि जब हमारे वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी मंगलौर में एक बड़ी सार्वजनिक सभा में बोल रहे थे तो एक श्रोता ने उठकर कहा था: ''महोदय, प्रजातंत्र असफल हो गया है।'' तब

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ठीक ही कहा था—और उन्होंने वही बात इस सभा में भी कही—कि "मेरे प्रिय मित्र, लोकतंत्र असफल नहीं हुआ है। हम लोकतंत्र को असफल बना रहे हैं।" यही सारा देश महसूस कर रहा है। प्रजातंत्र हमारे देश के लिए नया नहीं है। यह हमें वेदों से ही विरासत में मिला है। वेदों में तीन घोषणाएं की गई हैं:

"आनो भद्रा कृत्वों यंतु विश्वत:" अर्थात्

"हमें अच्छे विचार विश्व के सभी भागों से लेने चाहिए।"

"सर्वेजना सुखिनो भवन्तु"

इसका अर्थ है "अधिसंख्य लोगों की प्रसन्नता नहीं, बल्कि प्रत्येक की प्रसन्नता।"

वसुधैव कुटुम्बकम्

इसका अर्थ है "समस्त विश्व एक परिवार की तरह है।"

हमने कभी भी भूमण्डलीय गांव की छोटी अवधारणा के बारे में नहीं सोचा। हम उससे आगे गये और कहा "वसुधैव कुटुबम्कम्" जिसका अर्थ है कि समस्त ब्रह्माण्ड एक परिवार है। यहां तक कि भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, अशोक तथा कर्नाटक के भगवान बसवेसवरा के काल में भी 800 वर्ष पूर्व हमारे यहां **अनुभव मनतप**, अपनी तरह का एक अलग संसदीय लोकतंत्र विद्यमान था। प्रजातंत्र भारतीय संस्कृति की विशेषता रहा है। यहां तक कि कई परवर्ती महाराजाओं के एकतंत्र के दौरान परामर्श से कार्य किया जाता था। लेकिन मुगलों विदेशी आक्रान्ताओं के आक्रमणों तथा बाद में ब्रिटिश शासन के कारण हमारे देश में प्रजातांत्रिक ढांचा तथा लोकतांत्रिक भावना दब गई। पुन: अपने भाषण में माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हमने भारत की स्वतंत्रता के लिए दो संग्राम लड़े हैं। मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि हमने तीन स्वतंत्रता संग्राम लड़े हैं। पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1947 के बीच हुआ। दूसरा संग्राम आपातकाल के उस काले दिन के विरुद्ध 1975 से 1977 के बीच हुआ जिसका उद्देश्य हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के ऊपर दाग लगाना था। अब, हम स्वतंत्रता संग्राम के तीसरे दौर से गुजर रहे हैं। अत: मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र का तीसरा युद्ध है।

संसद, दल और जनता लोकतंत्र के तीन अंग है। विगत पचास वर्षों से दलीय प्रणाली हमारे लोकतंत्र का मुख्य आधार रही है। इन दलों में आंतरिक लोकतंत्र के न होने के कारण इन्होंने अपनी पवित्रता खो दी है। दलों पर अब कुछ निहित स्वार्थों से प्रेरित कतिपय लोगों, गुटों और यहां तक कि कुछ विशेष व्यक्तियों का कब्जा है। पूरा विश्व यह जानकर आश्चर्यचकित है कि इस देश के कुछ दलों में आंतरिक लोकतंत्र बनाये रखने हेतु चुनाव करवाने तथा उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए निर्वाचन आयोग तथा उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। वंशानुगत शासन अभी भी जारी है।

आज सुबह हमने अपने कांग्रेसी नेता और संसद सदस्य, श्री माधवराव सिंधिया का भाषण सुना। उसमें उन्होंने पंडित नेहरू, इंदिरा जी और राजीव जी के नामों का उल्लेख किया। लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री के नामों को कैसे भूल गए। उन्होंने उनके नामों का उल्लेख नहीं किया। इसका आशय यह है कि प्रमुख दल, जो इस देश पर करीब ब्यालीस वर्षों तक शासन करने का दावा करता है, पूरी तरह से वंशानुगत शासन में ही उलझा रहा।

जहां तक राजनीति में अपराधीकरण का मसला है, तो निर्वाचन आयोग ने इस पर अपनी टिप्पणी की है। जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है, तो माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्रचारी से सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इस सत्याग्रह की शुरूआत प्रधानमंत्री कार्यालय से की जाएगी क्योंकि जैसा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि सभी 149 मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उन पर आगे कार्यवाही करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से स्वीकृति मांगनी पड़ी है।

लेकिन वे अनुमति क्यों नहीं दे रहे है। वे उन 149 मामलों में कार्यवाही किए जाने की अनुमति दे कर सत्याग्रह आरम्भ क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस चार दिन के विशेष सत्र के अन्त में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस सत्याग्रह के पथ प्रदर्शक के रूप में एक वक्तव्य के साथ यह कहते हुए सामने आयेंगे कि वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इन सभी 149 मामलों के संबंध में कार्यवाही करने की अनुमति दे रहे हैं? मैं उनसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि वह ये कदम उठाते हैं, तो मैं यह मानता हूं कि वे एक सत्याग्रही हैं और वे वास्तव में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सत्याग्रह करना चाहते हैं।

कुछ ऐसी बातें है जिनके लिए राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है, बनावटी सहमति नहीं, बल्कि स्वाभाविक सहमति होनी चाहिए। विकास के संबंध में हमें शासन की वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता है। प्रशासन का यह रूप और विकास का यह रूप जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। अत: परिवर्तन की आवश्यकता है।

क्या आप यह नहीं समझते कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्षों के बाद यह एक अच्छा समय है कि हम अपने संविधान में उपयुक्त परिवर्तन तथा संशोधन करने के लिए एक आयोग बनाएं ताकि हम सरकार के ढांचे, सरकार के स्वरूप को बदल सकें? क्या आप यह नहीं समझते कि इस देश में इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हमें राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है अथवा नहीं तथा क्या हमें इस खरीद-फरोख्त को चलने देना चाहिए? इस देश को तीन अभिशाप पूर्णत: घेरे हुए हैं। एक है जातिवाद, भाषायी कट्टरवाद, क्षेत्रीयतावाद यदि देश के शासनतंत्र को इन सभी अभिशापों पर विजय पानी है और एकजुट होना है तो सरकार के स्वरूप को बदलने की आवश्यकता है। अत: मैं यह महसूस करता हूं कि संविधान पर फिर से विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि हम सरकार का एक वैकल्पिक स्वरूप बना सकें।

दूसरे यहां अनेक अनुभवी तथा वरिष्ठ व्यक्ति हैं जो मंत्री के रूप में अथवा अन्यथा पिछले 25-30 वर्षो से इस संसद में हैं। वे अनेक सुझाव दे रहे होंगे, वे अनेक संबद्ध तथा वैध मुद्दों के बारे में भी उल्लेख कर रहे होंगे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सब बातें एक दिखावे के रूप में समाप्त होंगी अथवा हम इन सुझावों की कोई सूची बनायेंगे। अत: मैं आपसे और साथ ही माननीय अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि यदि संसद मध्यावधि चुनाव के लिए नहीं जाती है, बची रहती है तो यह देखने के लिए कि कुछ सुझावों पर कानून बनाया गया है,

स्वर्ण जयंती समारोहों की समाप्ति से पूर्व अर्थात् एक वर्ष के भीतर एक विशेष सत्र को बुलाया जाना चाहिए। किसी एक बात का समाधान करने से कोई फायदा नहीं है। विधिक कार्यवाही के माध्यम से सुधार के लिए भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसलिए, सुधारों के माध्यम से संकल्प को विधिबद्ध करने के लिए भी एक विशेष सत्र की आवश्यकता है।

दूसरी बात राष्ट्रीय कार्यसूची के बारे में है। शासन की वैकल्पिक व्यवस्था का पता लगाने के लिए संविधान का अध्ययन करने हेतु एक आयोग गठित होना चाहिए। विकास के वैकल्पिक स्वरूप के साथ आगे बढ़ने की एक राष्ट्रीय कार्यसूची होनी चाहिए। सुधारों के द्वारा संकल्प को विधिबद्ध करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए।

मेरे विचार से इन विषयों पर आपको विचार करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि भारत में अपने आपको परिस्थिति के अनुरूप ढाल लेने की आन्तरिक क्षमता है और हमें भारतीय शासन व्यवस्था के कर्णधारों के रूप में और देश के सर्वोच्च विधायी मंच, संसद के प्रतिनिधियों के रूप में स्वयं में नेतृत्व का आचरण और परिवर्तन की क्षमता को लाना होगा।

इसलिए, मैं अपने भाषण को वाशिंगटन इनवायरिंग के कथन के साथ समाप्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, ''सजीव वर्तमान में पूरी लगन से ईश्वर के दिग्दर्शन में कार्य करो, कार्य करो।'' हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है कि पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, हमारे लम्बे स्वतंत्रता संग्राम को निरर्थक प्रयत्न बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता, पिछले पचास वर्षों के प्रजातांत्रिक प्रयोग को एक निरर्थक प्रयत्न बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमें इस सिद्धांत वाक्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

''चरैवेति चरैवेति ... आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।''

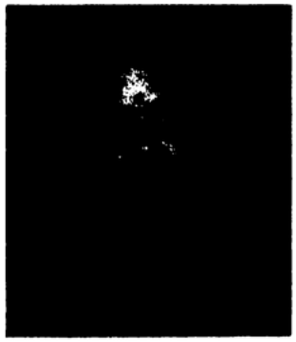

डा. गिरिजा व्यास

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष महोदय और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत पहले कहा था कि

''हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी;
आओ विचारो बैठकर हम सभी''

उसके लिए एक जगह खोली और हम लोग आजादी के 50 वर्ष के बाद, स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर आज यहां पर उपस्थित हुए हैं कि हमने 50 सालों में क्या पाया, क्या खोया और आगामी 50 सालों में हम लोग क्या करने जा रहे हैं।

खट्ठे-मीठे अनुभव हैं और जो प्रजातांत्रिक सिस्टम डैवलप हुआ, उसके लिए हम अपने आपको बहुत गौरवशाली भी मानते हैं। लॉफ्ट ने कहा था-

[अनुवाद]

लोकतंत्र एक दैवी विचार है जबकि इसका अस्तित्व पृथ्वी पर है।

[हिन्दी]

उसी प्रजातंत्र को लाने के लिए हमारे आजादी के दीवानों ने अपने खून की बलि चढ़ा दी और हमें उनके खून-पसीने के बाद आजादी मिली। आजादी के कुछ साल बहुत अच्छी तरह से बीते। जार्ज फर्नान्डीज साहब ने नेहरू जी का उदाहरण दिया। मैं आजकल के.एल. श्रीमाली जी की ऑटोबायोग्राफी का काम कर रही हूं। उसके भी दो उदाहरण मुझे याद आ रहे हैं। पहला उदाहरण यह है कि के.एल. श्रीमाली जी यहां पर शिक्षा मंत्री थे। एक दिन नेहरू जी ने उनसे किसी वाइस चांसलर को, जिसकी शिकायतें आ रही थी, हटाने के लिए कहा। श्रीमाली जी ने इंकार कर दिया कि शिकायतें गलत हैं। जब वे घर पहुंचे तो लोगों ने कहा कि आज तुम्हारा मंत्री पद से इस्तीफे का बुलावा जरूर आ जाएगा। आपने प्रधानमंत्री जी की बात को टाला है। छः बजे बुलावा जरूर आया लेकिन जवाहर लाल जी ने उनको बहुत कांग्रैचुलेट किया और कहा कि आपमें कम से कम यह हिम्मत है कि सही व्यक्ति की यहां पर पहचान करके मुझे उसकी बात बता सके। दूसरा उदाहरण जाकिर हुसैन जी का है। उनके एक रिश्तेदार लाईब्रेरी में काम करते थे और वे लाईब्रेरी आते नहीं थे। एक-दो बार श्रीमाली जी ने टाला। लेकिन जब बहुत दिन इस तरह की शिकायतें हुईं तो उन्होंने जाकिर हुसैन जी से जाकर कहा कि वे काम पर नहीं आ रहे हैं। जाकिर हुसैन जी कुछ नहीं बोले लेकिन दूसरे दिन एक आर्डर दिया कि उस व्यक्ति को इमीडिऐट इफैक्ट के साथ हटा दिया जाए चाहे वह मेरा रिश्तेदार ही है। ये बातें भी तो इसी संसद की हैं, इसी संसद के नुमाइंदगों की हैं और आज जब हम पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो हम पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि हम आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लेकिन उपाध्यक्ष जी, मैं पूरी तरह से इस प्रजातंत्र को विफल नहीं मानती बल्कि मैं तो भारतीय जनता को धन्यवाद देना चाहती हूं कि वह चाहे अनपढ़ है, चाहे अर्धशिक्षित है, लेकिन गांव में बैठकर वह कम से कम एक स्वतंत्रता का अर्थ तो जानती है कि उसे वोट देने का अधिकार है और वोट देने में वह स्वतंत्र है। यही वजह है कि यहां पर प्रजातंत्र के बाद से हम लोगों ने खेल देखे और बहुत बार सत्ता का परिवर्तन इस जनता ने किया। आज जरूरत इस बात की है कि जिस संविधान को उस समय पेश किया गया, उस संविधान की रक्षा, उस संविधान के मूल मंत्रो को

हम आज पुनर्जीवित कर सकें हैं या नहीं। मुझे याद आ रहा है, जब संविधान को प्रेषित किया गया था तब उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वैलिटी, सर्टनिटी शब्द थे और 42वें संशोधन के द्वारा सोशलिज्म और सैकुलरिज्म जोड़ा गया है। लेकिन पंचायत का बहुत बाद में जोड़ा गया। यहीं पर मैं एक प्रश्नचिन्ह लगाना चाहती हूं कि हमने आजादी पा ली, गांधी जी के आदर्शों को लेकर हम चले लेकिन गांधी जी के आदर्शों को हम कहां तक रख पाए। गांधी जी ने जिस स्वराज की बात की थी और जिस स्वराज के सपने को देखते हुए नेहरू जी ने पंचायत का उद्घाटन भी 2 अक्तूबर, 1952 को राजस्थान के एक क्षेत्र से कर दिया था, लेकिन अब तक दूसरी, तीसरी बार संशोधन होने के बावजूद भी वह स्वराज का स्वरूप क्यों उभरकर सामने नहीं आया। एक प्रश्न बार-बार आज के इंटलैक्चुअल्स को ही नहीं बल्कि आज की जनता को भी मथ रहा है कि जिस डैमोक्रेसी के लिए कहा जाता है कि वह लोगों का प्रजातंत्र है, लोगों के लिए प्रजातंत्र है, लोगों के द्वारा प्रजातंत्र है, लेकिन क्या आज उसका सही अर्थ हम पा रहे हैं। पंचायत के पास कितने अधिकार हैं, कितने राजनैतिक, कितने आर्थिक और कितने सामाजिक परिवर्तन के हैं। मैं कहूं शून्य हैं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी बल्कि पंचायत अमैंडमैंट बिल के बाद बहुत आशाएं थीं और राजीव जी ने एक सपने के साथ उसे रखा था। लेकिन तीसरी सूची में न होने के कारण अलग-अलग राज्यों ने जिस तरह से उसके साथ बिहेव किया, आज उस पर हमें सोचने की जरूरत है।

नेहरू जी अपने वादों को नहीं भूले थे। जो बात उन्होंने कही थी, उसे उन्होंने पूरा करने का प्रयास भी किया। जब संविधान को रखा गया था तो उन्होंने कहा था

[अनुवाद]

"मुझे विश्वास है कि संविधान ही हमें वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करेगा, क्षुधित जन को भोजन, उन्हें वस्त्र एवं आवास तथा प्रगति के सभी अवसर उपलब्ध कराएगा।"

[हिन्दी]

और उन्होंने नेशनल इण्टीग्रेशन, इकोनोमिक डवलपमेंट, सोशल इक्वेलिटी और पोलिटिकल डैमोक्रेसी के लिए जो प्रयास किये, जनता उसको भूल नहीं सकती, यह देश उसको भूल नहीं सकता। लगातार लोगों के या पीपुल के पास जाने के हमारे प्रयास जारी रहे। मैं यहां पर यह भी कहना चाहती हूं कि जब इन्दिरा जी पावर में आईं और 1967 के बाद वे पूरी तौर पर अपनी पावर का उपयोग करने लगीं, तब कई सामाजिक कार्यक्रम उन्होंने अपने तौर पर रखे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवीपर्स की समाप्ति, लैण्ड सीलिंग कानून और गरीबों के साथ जुड़ने के साथ 1971 में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया।

शास्त्री जी ने बहुत कुछ किया और 'जय जवान, जय किसान' के द्वारा कृषि तक पहुंचने की कोशिश की। राजीव जी को भी यह देश नहीं भुला सकता, जिसमें कि खासकर के युवा के साथ 21 वर्ष से घटाकर वोटिंग की उम्र 18 वर्ष रखी। जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना और सबसे बड़ी बात पंचायती राज एमेंडमेंट बिल लाकर उन्होंने एक मिसाल कायम की।

लेकिन मैं जहां पर थीं, वहीं पर आती हूं कि इस सब के बावजूद आज गांव के रहने वाले लोगों को अधिकार कितना मिल पाया। 15 अगस्त की ही बात है, मैं अपने इलाके में राष्ट्रीय ध्वज के कार्यक्रम से लौट रही थी और एक स्कूल में कुछ मिठाई का वितरण हो रहा था। एक औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर, हाथ में एक बच्ची को पकड़े हुए, जिसके सिर पर पानी का बोझा था और टोकरी में एक छोटा बच्चा था, वह मिठाई मांगने लगी। मेरे साथ वाली महिला ने कहा कि तुम्हें मालूम है, आज क्या है, उसने देखा, हां झंडा फहरा रहा है। उसने कहा कि कैसा लग रहा है, उसने कहा कि झंडे के रंग अच्छे हैं। उसने कहा मिठाई दो, उसने कहा तुम्हें मालूम है कि आज आजादी मिली थी। उसने प्रश्नसूचक दृष्टि से देखकर कहा था, कौन सी आजादी, कब मिली? तीसरा प्रश्न की आजादी की हम स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं, उसके साथ-साथ मेरे साथ खड़ी महिला ने कहा कि इसके बाद हम लोगों को संसद् और विधान सभाओं में भी बैठने का 33 प्रतिशत का अधिकार मिलने जा रहा है तो उस महिला ने एक प्रश्नसूचक दृष्टि से मेरी तरफ देखा, बेबसी से, भर्त्सना से और 'तो' शब्द बोला और मुझे जो लगा, उसे मैं शेर के द्वारा कहना चाहती हूं:

"बेकसी का हाल मैयत से अयां हो जायेगा,
बेजुबां होना मेरा, गोया जुबां हो जायेगा।"

जैसे उसने प्रश्न पूछा कि वहां बैठने से आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाने से मैं पांच किलोमीटर से जो पानी लाती हूं, वह बन्द हो जायेगा क्या? क्या मेरी बच्ची, जो स्कूल जाने की उम्र की है, वह पानी भरने और मेरे घर के काम में मेरी मदद करने के लिए बनी है? मेरा छोटा बच्चा जो इस टोकरी में बीमार है, क्या मैं उसका इलाज करा सकूंगी? और मेरा बच्चा, जिसको मैंने गोद में ले रखा है, क्या उसे पूरा पोषण दे सकूंगी? यह प्रश्न एक ज्वलन्त प्रश्न है, जो हमारे सामने, हमारी संसदीय प्रणाली पर एक प्रश्नचिन्ह लगाये आजादी की 50वीं सालगिरह मनाते हुए और मुझे जब यहां पर संसद् में आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहे थे, गांधी जी की बात याद आ रही थी कि जब दोनों मुल्क आजादी का जश्न मना रहे थे तो वह बूढ़ा दो-दो आंसू रो रहा था, क्योंकि उसके दो बाजू कटकर गिर रहे थे, एक इधर और एक उधर। उसका दिल इधर था तो उसका दिमाग उधर था। उसका शरीर इधर था तो उसकी आत्मा उधर थी, इस तरह की आजादी हमने पाई। लेकिन उसके बाद में भी तो हमने सबक नहीं सीखा।

आज भ्रष्टाचार पर बहुत बातें हुईं और सचमुच एक प्रश्नचिन्ह है कि हम आजादी का 50वां साल मनाते हुए और जिस देश ने ऐसे-ऐसे उदाहरण दिये, वहां आज हम आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गये हैं।

हम लोगों ने बात भी की कि जब तक हमारी चुनाव प्रणाली में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाएंगे।

लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न साम्प्रदायिकता है प्रश्न है, जिस पर गांधी जी ने कहा था कि मेरे दो बाजू इधर और उधर गिरे हैं। आज उस साम्प्रदायिकता का चेहरा लोगों की रगों तक पहुंचने लगा है। हम यहां बैठकर सोचें तो सही, संसद् में बैठे हुए जब मैं सोचती हूं, यूनिवर्सिटी से आकर जब हम लोग यहां पर बैठते तो विचार होता था कि यहां पर जो उच्चतम लोग बैठे हुए हैं, यहां पर साम्प्रदायिकता नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा खुरचा तो उसमें से हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई निकलकर सामने आ जाता है। यही नहीं, जातिवाद का और निचला हिस्सा आ जाता है। कौन ब्राह्मण है, ब्राह्मण के नाम पर, कौन गूजर है, गूजर के नाम पर, कौन दूसरी जाति का है, उसके नाम पर उठकर खड़े हो जाते हैं और कभी-कभी प्रश्नों पर आश्चर्य होता है, जो पूछे जाते हैं कि नेहरू सेंटीनरी ईयर में हमने क्या किया और अम्बेडकर सेंटीनरी ईयर में क्या किया। हम लोग तो अब अपने नेताओं को भी बांटने में लग गये हैं। किसी की मूर्ति का उद्घाटन करने जाते हैं तो किसी की मूर्ति को गिरा देते हैं। इन प्रश्नों का जवाब जब संसद से नहीं जा सकता तो आजादी के पचास साल मनाने का क्या अर्थ रह जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि कुछ करें या न करें, हमने पाया बहुत कुछ है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : गिरिजा जी, आप और कितनी देर तक बोलेंगी, अगर दो-चार मिनट में समाप्त करेंगी तो अभी बोल लें, नहीं तो कल बोलना।

डा. गिरिजा व्यास : मैं दस मिनट और लूंगी इसलिए कल ही बोल लूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 27 अगस्त, 1997/5 भाद्र, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।